44वाँ अंक, अक्तूबर 2025- मार्च 2026

सत्यमेव जयते

उदयाचल

राजभाषा पत्रिका

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

कार्यालय : प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
झारखण्ड, राँची

सी.ए.जी. द्वारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा

कार्यालय में सी.ए.जी. की गरिमामयी उपस्थिति

ऑडिट सप्ताह के दौरान आयोजित वॉकथॉन

ऑडिट सप्ताह की झलकियाँ

उदयाचल

राजभाषा पत्रिका

44वाँ अंक, अक्तूबर 2025 - मार्च 2026

पत्रिका परिवार

मुख्य संरक्षक
श्रीमती इन्दु अग्रवाल
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)

संरक्षक
श्री सदानंद नस्कर
उप महालेखाकार (प्रशासन)

प्रकाशक परामर्शदातृ समिति

श्रीमती माया कुमारी
उप महालेखाकार (ए.एम.जी.-I एवं III)

सुश्री अभिरूचि
उप महालेखाकार (ए.एम.जी.- IV)

संपादक मंडल

डॉ. मंजेश परासर
सहायक निदेशक (राजभाषा)
(लेखापरीक्षा)

श्री शैलेन्द्र कुमार
सहायक निदेशक (राजभाषा)
(एल.ए.डी.)

श्री सुबोध कुमार
कनिष्ठ अनुवादक

श्री अमर आनंद मिंज
कनिष्ठ अनुवादक

श्री राजेश साह
वरिष्ठ लेखापरीक्षक

उदयाचल

राजभाषा पत्रिका

44वाँ अंक, अक्तूबर 2025 - मार्च 2026

स्वत्वाधिकारी	:	प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखण्ड, राँची
प्रकाशन	:	'उदयाचल' (कार्यालय पत्रिका)
		प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड, राँची
अंक	:	44वाँ
आवरण एवं मुद्रक पत्रिका सज्जा	:	खुशी डिजीटल, राँची
आवरण चित्र	:	झारखण्ड के विभिन्न पर्यटन स्थलों से संबंधित
मूल्य	:	राजभाषा के प्रति निष्ठा
वितरण	:	राजभाषा अनुभाग

इस पत्रिका में संकलित सभी रचनाओं में रचनाकारों के विचार निजी हैं,
जिनसे 'उदयाचल' परिवार का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

– संपादक मण्डल

मुख्य संरक्षक की कलम से...

हमारे कार्यालय की हिंदी पत्रिका "उदयाचल" का 44वाँ अंक आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है।

यह पत्रिका हमारे कार्यालय के कार्मिकों द्वारा हिंदी भाषा के प्रति निष्ठा का दर्पण है। साथ ही, यह उनके सृजनशीलता और सामूहिक प्रयास का सुंदर प्रतीक है। पत्रिका के माध्यम से न केवल राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा मिलता है, अपितु हमारे कार्मिकों की प्रतिभा, विचारों और अनुभवों को एक मंच भी प्राप्त होता है। कविताएँ, कहानियाँ, लेख, कार्यालयीन अनुभव एवं अन्य रचनाएँ इस पत्रिका को जीवंत एवं बहुआयामी बनाती हैं।

आशा है कि यह राजभाषा पत्रिका सभी सहकर्मियों तथा पाठकों के बीच साहित्यिक रुचि और सामूहिक एकता की भावना को और सशक्त बनाएगी। हमारा प्रयास रहेगा कि आगामी अंकों में इसी उत्साह, नवीन विचारों एवं रचनात्मक योगदान के साथ इस सृजन यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाएंगे।

सभी रचनाकारों, संपादक मंडल, पाठकों एवं हिंदी प्रेमियों को इस अंक के सफल प्रकाशन पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।

प्रधान महालेखाकार
(लेखापरीक्षा)

संरक्षक की कलम से...

हिंदी का विकास एक अनवरत गंगा-प्रवाह सा है। आज यह भाषा मात्र साहित्य तक सीमित नहीं – यह डिजिटल युग की सबसे तेजी से बढ़ती भाषाओं में से एक है। सोशल मीडिया पर हिंदी कंटेंट की खपत कई गुना तेज बढ़ रही है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ब्लॉग एवं वेब-पत्रिकाएँ हिंदी को वैश्विक मंच प्रदान कर रही हैं।

राजभाषा के रूप में हिंदी की स्थिति पर विचार करें तो संविधान के अनुसार हिंदी का प्रसार एवं विकास संघ का कर्तव्य है। राजभाषा विभाग तथा विभिन्न समितियाँ इस दिशा में निरंतर प्रयासरत हैं। हमारे कार्यालय की पत्रिका "उदयाचल" भी राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए एक प्रयास है।

कार्यालय की राजभाषा पत्रिका के इस नवीन अंक में कार्मिकों ने जीवन के विभिन्न पहलुओं को गद्य एवं पद्य के रूप में सरलता से प्रस्तुत किया है। यह सुखद है कि कार्मिक कार्यालयीन कार्यों के साथ-साथ अपनी हिंदी लेखन में अपने जीवन की अनुभूतियों एवं भावों को "उदयाचल" के माध्यम से आपके समक्ष रख रहे हैं।

संपादक मंडल एवं सभी रचनाकारों को बहुत-बहुत बधाई।

सदानन्द नस्कर

उप महालेखाकार
(प्रशासन)

संपादक की कलम से

वैश्वीकरण के इस युग में भी औपनिवेशिक मानसिकता से प्रभावित हमने अंग्रेजी एवं अन्य विदेशी भाषाओं को ज्ञान तथा सफलता की एकमात्र कुंजी मान लिया है और अपनी प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृति, सभ्यता से अनभिज्ञता हमें सांस्कृतिक पतन की ओर ले जा रही है । यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि अपनी भाषा को अपनाना ही हमारी सच्ची पहचान एवं सच्ची शक्ति है। वेदों-उपनिषदों की ऋचाएँ, रामायण-महाभारत की कथाएं, भक्ति काव्य की धारा एवं स्वतंत्रता संग्राम की हुंकार – सभी हिंदी एवं हमारी अन्य भारतीय भाषाओं में ही जीवंत हुए हैं। इसे सर्वप्रथम सीखना एवं अपनाना ही हमारा परम कर्तव्य है। यह हमारे विचारों, भावनाओं तथा भारतीय संस्कृति को सबसे गहराई से व्यक्त करती है। यह वह धागा है जो हमें लोककथाओं की मिठास एवं संतों-कवियों की वाणी से बांधे रखता है। यह हमारी जड़ों को इतना मजबूत बनाती है कि हम वैश्विक मंच पर भी गर्व से सिर ऊंचा करके खड़े हो सकते हैं। विदेशी भाषाओं से पूर्व हमें अपनी भाषा को जानना चाहिए।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अपनी भाषा की उन्नति ही सब उन्नतियों की जड़ है। यदि हम किसी व्यक्ति से अंग्रेजी या अन्य विदेशी भाषा के स्थान पर उसकी अपनी भाषा में बात करते हैं तो वह उसके हृदय तक पहुंचती है। मातृभाषा भावनाओं को सीधे स्पर्श करती है। यदि हम दुनिया की सभी भाषाएँ जानते हों, किंतु अपनी मातृभाषा या संस्कृति की भाषा नहीं जानते, तो हम अपनी संस्कृति एवं सभ्यता से विमुख होकर अपनी चेतना की नींव को कमजोर कर रहे हैं। हमें हिंदी को पूरे मन से अपनाना चाहिए, उसे घर-परिवार एवं शिक्षा में सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। ध्यातव्य हो कि परिवार ही हमारी पहली पाठशाला है जहाँ हम सर्वप्रथम बोलना, समझना एवं भावनाओं को व्यक्त करना सीखते हैं। यह सब मातृभाषा में ही होता है। घर में माता की लोरी, दादी - नानी की कहानियाँ, भाई-बहन के साथ खेलते हुए बोले गए शब्द – ये सब हमारी भाषा के माध्यम से ही हमारे मन में बसते हैं। यही भाषा हमें अपनी संस्कृति, अपने मूल्यों एवं अपनी पहचान से जोड़ती है।

"उदयाचल" पत्रिका का सफर कार्यालय के कार्मिकों के सहयोग, प्रेम एवं विश्वास की अमृत धारा से निरंतर सिंचित हो रहा है। आशा है कि यह अंक पाठकगणों के मन में अमिट छाप छोड़ेगी एवं अमूल्य सुझाव तथा उत्साहवर्धक प्रोत्साहन से पत्रिका निरंतर उत्कृष्टता की ओर अग्रसर होती रहेगी।

आगे की यात्रा में भी मैं सभी सम्मानित रचनाकारों, संपादक मंडल के सदस्यों, मार्गदर्शकों तथा वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग, समर्थन एवं मार्गदर्शन की कामना करता हूँ, ताकि इस पुनीत कार्य को उत्कृष्टता के साथ आगे बढ़ाया जा सके।

डॉ. मंजेश परासर
सहायक निदेशक (रा.भा.)
(लेखापरीक्षा)

संपादकीय

हमारे कार्यालय की हिंदी पत्रिका "उदयाचल" का 44वाँ अंक आपके समक्ष सादर प्रस्तुत है। इस सृजनात्मक यात्रा के सफल संचालन हेतु मैं समस्त रचनाकारों, संपादक मंडल तथा सहयोगियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।

हमारी राजभाषा मात्र संचार का माध्यम नहीं बल्कि यह हमारी सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक धरोहर, विचार-वैभव की सशक्त वाहिका एवं राष्ट्रीय एकता की मजबूत कड़ी है। यह पत्रिका हिंदी के प्रगामी प्रयोग, सृजनात्मक अभिव्यक्ति तथा कार्यालयीन परिवेश में इसके उत्कृष्ट उपयोग को प्रोत्साहित करने का एक सार्थक प्रयास है। इस अंक में प्रकाशित काव्य, गद्य, विचार-लेख, अनुभव-कथन एवं अन्य रचनाएँ हिंदी की समृद्ध शब्दावली, भाव-प्रवाह, लालित्य एवं गंभीरता को उजागर करती हैं। ये रचनाएँ न केवल ज्ञानवर्धक हैं, अपितु मनोरंजक एवं प्रेरणादायी भी हैं।

मेरा मानना है कि "उदयाचल" की सफलता प्रधान महालेखाकार एवं सभी उप महालेखाकारों द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शन के बिना अधूरी रह जाती। अत: मैं सभी उच्चाधिकारियों का इस हेतु आभार प्रकट करता हूँ जिनके मार्गदर्शन की रौशनी ने राजभाषा पत्रिका की राह को दीप्तिमान किया है। साथ ही, इस अंक के सफल प्रकाशन पर सभी रचनाकारों, पाठकों एवं हिंदी-प्रेमियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई एवं मंगलकामना।

शैलेन्द्र कु.
सहा. निदेशक (रा.भा.)
एल.ए.डी.

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	शीर्षक	लेखक (सर्वश्री)	पृष्ठ सं.
01	अनमोल रिश्ते	माया कुमारी	08
02	जुदाई	सदानंद नस्कर	09
03	लेखापरीक्षा की ज्योति	विशाल कुमार	10
04	बटरफ्लाई इफ़ेक्ट	शेखर कुमार राय	11
05	ताना-बाना	मुकेश कुमार झा	12
06	आठवाँ स्वर्ग	मुकेश कुमार नं. 1	16
07	वरदान का फेर	बिनोद कुमार प्रभात	18
08	धरा से पर्वत की ओर "एक अनोखा सफर"	मनोज कुमार नं. 5	19
09	भारत में झारखण्ड का महत्व	निरंजन कुमार	21
10	भारत में शहरी स्थानीय निकाय	कुंदन कुमार	24
11	डिजिटल उपस्थिति	अभिषेक कुमार नं. 1	28
12	भाषायी विविधता	नितेश कुमार	29
13	माँ के आँचल से गंगा तक: एक आत्मिक यात्रा	सोनू कुमार सिंह	33
14	राजस्थान: रेतीले धारों से लेकर झीलों की रौनक तक	पवन कुमार मीना	36
15	लड़कपन का खेल	किशोर कुमार राही	37
16	बैडमिंटन: मेरा जीवन, मेरा संकल्प, मेरी पहचान	मुकेश कुमार नं. 2	40
17	अखंड भारत की जटिल समस्याएं एवं उनके समाधान	चन्द्र भूषण कुमार	44
18	जलवायु परिवर्तन तथा डेल्टा क्षेत्रों का महत्व	राजेश साह	50

अनमोल रिश्ते

माया कुमारी
उप महालेखाकार

रिश्ते वे फूल हैं, जो जीवन को सुगंधित बनाते हैं
होठों पर मुस्कान, आँचल में खुशियाँ सजाते हैं ।
माँ-बाप की ममता में है अनमोल प्यार
भाई-बहन संग हर दिन है त्योहार ।।

दोस्ती के रंग में है इंद्रधनुष सा उल्लास,
उनका साथ है जैसे फूलों की बहार ।
सास-ससुर, दादा-दादी का स्नेह अपार ,
उनकी प्यारी बातों में बसी है जीवन का सार ।।

जो बुजुर्गों का करते हैं सदा आदर सम्मान,
उन्हें मिलता है खुशियों का वरदान ।
उनकी दुआओं से हर राह संवर जाती है ,
उनके अनुभव से हर रुकावट मिट जाती है ।।

रिश्ते वो दीप हैं जो अंधेरों में उजियारा भरते हैं ,
थोड़ा सा त्याग और विश्वास उन्हें अमर बनाते हैं ।
जहाँ प्रेम और धैर्य का संगम हो जाता है ,
वहीं रिश्तों का बंधन अमर हो जाता है ।।

रिश्ते नाम नहीं, एहसास होते हैं ,
खामोशी में भी जो हमारे पास होते हैं ।
कभी मुस्कान, कभी आंसू बनकर,
हर मोड़ पर हमारे साथ होते हैं ।।

रिश्ते निभाना नहीं है आसान,
पग-पग देने पड़ते हैं कठिन इम्तिहान।
रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं,
इन्हें दिल से निभाया जाता है ।।

समय की आँधी, परिस्थितियों की मार,
कभी कम न कर पाए सच्चा प्यार ।
संभाल कर रखना इन अनमोल धरोहरों को,
यही जीवन की पूँजी है महान ॥

जुदाई

सदानंद नस्कर
उप महालेखाकार

जुदाई केवल शब्दों में बयान नहीं होती,
कुछ दूरियाँ ऐसी हैं जो सरेआम नहीं होती।
कभी चुपके से भी कोई दिल से उतर जाता है,
बिना शोर किए ही सब कुछ बिखर जाता है।

एक दिन अचानक ये एहसास होने लगता है,
कोई अपना धीरे-धीरे हमसे खोने लगता है।
न पहले सी फ़िक्र है, न पहले जैसी बातें हैं,
बस खामोश सन्नाटे और सूनी सी रातें हैं।

बिना बताए ही जब कोई मुँह मोड़ लेता है,
वो सलीका जुदाई का दिल तोड़ देता है।
न कोई बहस हुई, न कोई शिकायत रही,
पर दिल को समझ आ गई कि अब न वो मोहब्बत रही।

जो कभी धड़कन बनकर इस दिल में रहता था,
वो आज निःशब्द होकर दूरियाँ सहता है।
हम बेबस होकर बस देखते ही रह गए,
न कुछ बोल पाए, न रोकने को कुछ कह पाए।

क्योंकि कुछ रिश्ते आवाज़ से नहीं टूटते,
वो बिना शब्दों के ही हाथों से छूटते।
फिर भी ये दिल किसी की पुकार ढूँढता है,
उजड़ी हुई महफ़िल में फिर से प्यार ढूँढता है।

भूलकर हर डर और जुदाई का वो गम,
किसी को फिर बसाने की कोशिश करते हैं हम।

लेखापरीक्षा की ज्योति

विशाल कुमार
आशुलिपिक

अंकों के अंबर में छुपे,
सत्य के दीप मिल जाते हैं;
लेखापरीक्षा की यह ज्योति,
अंधेरों को भी जलाते हैं।

हर दफ़्तर, हर दस्तावेज़ में,
कर्तव्य पुकारा करता है;
धोखे की धूल हटाने को,
सच का चिराग ही चलता है।

न यश की चाह, न कोई शोर,
ईमान हमारा पहरों पर;
हर त्रुटि को हम झुका देते,
धर्म पताका ले हाथों पर।

जनहित पर जब संकट आए,
हम सत्य-दीप बन खिलते हैं;
राष्ट्र-भरोसे की नींवों को,
हर जांच से हम सिलते हैं।

लेखापरीक्षा की यह लौ,
विश्वास का मुकुट पहनती है;
सत्य, परिश्रम और निष्ठा से
भारत की पथ-दीपक बनती है।

बटरफ्लाई इफ़ेक्ट

शेखर कुमार राय
लेखापरीक्षक

"बटरफ्लाई इफ़ेक्ट" दर्शाता है कि एक जटिल प्रणाली में बहुत छोटे बदलाव भी समय के साथ बड़े और अप्रत्याशित परिणाम दे सकते हैं। मोहन तेज कदमों के साथ रेलगाड़ी के प्रथम श्रेणी कोच की तरफ बढ़ रहा था। वह 24 वर्ष का एक दुबला-पतला किन्तु फुर्तीला नौजवान था। डरबन शहर से रिटोरिया जाने वाली रेलगाड़ी ससमय अपने प्लेटफॉर्म पर पहुँच गई थी। आज सामान्य दिनों से ज्यादा भीड़ थी इसलिए मोहन को बड़ा बस्ता लेकर चलने में अच्छी-खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। जैसे-तैसे अपने डब्बे में पहुँचकर मोहन ने जेब में पड़ी टिकट से अपनी सीट का मिलान किया। संतुष्ट होने पर बस्ते को अपनी गोद में रखकर वहीं बैठ गया। ट्रेन खुलने में अभी वक्त था। समय काटने के उद्देश्य से मोहन बस्ते में पड़ी कानूनी फाइलों को उलटने पलटने लगा। अभी मोहन अपने काम में डूबने ही वाला था कि उसे महसूस हुआ डिब्बे के अन्दर दूसरे गोरे अंग्रेज उसकी ओर देख कर आपस में फुसफुसा रहे हैं। मोहन का हाथ स्वतः उसके मुख की ओर गया और फिर उसने अपने साफ–सुथरे ईस्त्री किए हुए काले सूट की ओर देखा। तभी एक हट्टा-कट्टा अंग्रेज गोरा नौजवान मोहन की तरफ बढ़ा और ऊँगली दिखाकर तेज आवाज में बोलने लगा। प्लेटफॉर्म के शोरगुल में मोहन ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहा था कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। परंतु गोरे अंग्रेज नौजवान के हावभाव हिंसक थे। मोहन ने सहायता के लिए दयनीय भाव से कोच के बाकी यात्रियों की तरफ देखा। परन्तु, वे सब चिल्ला रहे गोरे नौजवान के हर विराम पर उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे।"यू नीड टू मूव टू थर्ड क्लास कम्पार्टमेंट" मोहन के बगल में बैठे अंग्रेज सह यात्री ने धीमे स्वर में कहा। मोहन को सारा माजरा समझ आ गया। गोरे अंग्रेज गलती से उसे अफ्रीकन मूल निवासी समझ रहे थे। बेशक उसके रंग के कारण वह स्थिति समझने के प्रयास से अपनी सीट पर से उठा तथा नाटकीय अंदाज में चिल्लाते अंग्रेजों की तरफ बढ़ा।"वी आर द सुपिरियर रेस..... हाउ डू यू ब्लैक ट्रैवल विथ अस""ब्रदर आई एम ए रिस्पेक्टेबल........" मोहन अपना वाक्य पूरा कर पाता कि इससे पहले ही हट्टा-कट्टा अंग्रेज उसे गिरेबान से पकड़कर कोच के बाहर धक्का देने लगा। चार्ल्स उसी डिब्बे के अंत में बैठकर अखबार पढ़ रहा था। इस शोरगुल ने उसका ध्यान खींचा। अपने पुलिसिया करियर के अनुभव से उसे इतना आभास हो गया था कि डिब्बे में जो भी हो रहा है वह किसी भी पल हिंसक हो सकता है।

मामले को बेहतर तरीके से देखने के लिए वो अपने सीट से उठा। हट्टा-कट्टा गोरे व्यक्ति एक काले सीधा-साधा व्यक्ति के साथ बहस कर रहा था। काले सीधा-साधा नौजवान के फर्राटेदार अंग्रेजी से गोरा व्यक्ति असमंजस में पड़ गया था। अब वह अपने गोरे चमड़े के काल्पनिक कहानी से दूसरे यात्रियों को उकसाने का प्रयास किया और उस सीधा-साधा नौजवान को बाहर फेंक दिया। चार्ल्स के अनुभवी आँखों ने ताड़ लिया कि कुछेक यात्री किसी भी वक्त मामले में कूद कर शांति भंग कर सकता है।

वह तेज कदमों से हिंसक होता हुआ घटनास्थल की तरफ बढ़ा और कड़क आवाज दिया, "हैलो जेंटलमैन! इज देयर एनी प्रॉब्लम? " एक पुलिसिया वर्दी में आए गोरे व्यक्ति को देखकर हाथापाई को तैयार गोरा अपराधी नौजवान तो सकपका गया। परंतु अगले पल ही उस गोरे नौजवान के चेहरे पर एक छिपी हुई मुस्कान तैर गई। "यस सर, दिस नीग्रो इज डेयरिंग टू ट्रैवल विथ अस! काइंडली गेट बैक ऑन योर सीट!" चार्ल्स ने सीधे-साधे काले नौजवान को टिकट वापस करते हुए कहा। "बट हाउ...." चार्ल्स ने आवाज़ की कड़क और सख्त लहज़े में आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, "मेंटेन पीस, और आई विल हैव टेक इन कस्टडी फॉर डिसरप्शन।"कुछ घंटों के सफर के बाद ट्रेन प्रिटोरिया के प्लेटफॉर्म पर रुकी। चार्ल्स तेज कदमों से चलता हुआ प्लेटफॉर्म के बाहर खड़ी बग्घी की तरफ जा रहा था। तभी उसे आभास हुआ कि पीछे से कोई उसे पुकार रहा है। चार्ल्स ने मुड़कर देखा तो वही ट्रेन वाला दुबला-पतला नौजवान तेज कदमों से चलता हुआ उसकी तरफ आ रहा था।"थैंक यू वेरी मच सर। ओनली बिकॉज़ ऑफ पीपल लाइक यू वी हैव फेथ इन ह्यूमैनिटी।" नौजवान ने दाएं हाथ बढ़ाते हुए हाथ मिलाने के लिए बुलाया तथा बाएं हाथ से अपनी आइडेंटिटी कार्ड उसे दिया। चार्ल्स ने मुस्कुराकर युवक से हाथ मिलाया तथा कार्ड ले लिया। चार्ल्स ने युवक के दिए कार्ड पर एक सरसरी निगाह डाली, "बैरिस्टर..... इम्प्रेसिव, वॉट इज़ "एम. के." स्टैंड्स फॉर?" चार्ल्स ने कार्ड में बैरिस्टर के नाम की तरफ इशारा करते हुए कहा।"मोहनदास करमचंद...... मोहनदास करमचंद गाँधी फ्रॉम इंडिया।" युवक ने उत्सुकता से कहा।

क्या होता भारत का इतिहास! अगर गाँधी को 1896 में प्रिटोरिया जा रहे प्रथम श्रेणी डिब्बे से निकाला नहीं गया होता! यह यात्रा केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक विचार की शुरुआत थी, जो आगे चलकर दुनिया को "सत्य और अहिंसा" का मार्ग दिखाने वाला था।

ताना-बाना

मुकेश कुमार झा
लेखापरीक्षक

कभी-कभी रात के दो बजे, जब मैं लैपटॉप बंद करता हूँ और कमरे में अँधेरा अपना आधिपत्य बढ़ा लेता है, तब मैं खुद से एक अत्यंत सरल परंतु असहज प्रश्न पूछता हूँ—

"मैं यह सब क्यों लिखता हूँ?"

मैं इस प्रश्न के सामने अक्सर उतना ही असहज खड़ा मिलता हूँ, जितना कोई बच्चा अपने ही बनाए रेत के महल के ढह जाने पर खड़ा होता है। सवाल बहुत छोटा है, पर उसकी छाया बड़ी है। खैर... जो जवाब मुझे पता है वो मेरा तर्क है और इसकी कसौटी अब तक मेरे द्वारा ही परखी गयी है।

इस प्रश्न का उत्तर शायद किसी और के लिए जटिल हो ; मेरे लिए भी यह हमेशा स्पष्ट नहीं होता। लोग अपने-अपने अनुमान गढ़ते हैं—तर्कों से, सिद्धांतों से, पर मैं जानता हूँ कि तर्क हमेशा तार्किक हो । ऐसा होना न होने के ज्यादा करीब होता है और जवाब इन तर्कों में कहीं खो जाता है। इनके तर्क केवल सतह को खुरचते हैं। जैसे कोई नदी का पानी पत्थरों के बीच बहता है, पर उसकी गहराई दिखाई नहीं देती, वैसे ही लेखन की वास्तविकता तर्कों में खो जाती है।

जवाब मुझे भी खोजना है और इसकी शुरुआत मेरे द्वारा रचित ताने-बाने में ही कहीं उलझा हुआ मिल जाएगा । क्योंकि जब शब्द भीतर जमा होने लगते हैं, वे दीवारें नहीं बनाते; वे दरवाज़े बनाते हैं—और हर दरवाज़ा मुझे मेरे भीतर के किसी नए कक्ष में ले जाता है। मैं हर कमरे में एक नया "मैं" पाता हूँ—कभी साहसी, कभी हताश, कभी मौन और कभी उद्वेलित। तब एक ही रास्ता बचता है, उन्हें बाहर निकाल दो, कागज़ पर रख दो, नाम दे दो, चेहरा दे दो। मैं अपनी कहानियों में प्रायः एक किरदार भी होता हूँ। जरूरी नहीं कि मैं कहानी का हीरो ही बनूँ, यह तो मैं अपनी सुविधा से चुनता हूँ कि किस प्रकार खुद के एक अंश को विपरीत या अनुकूल परिस्थिति होने पर प्रकट करता। कभी मैं स्वयं को कहानी के केंद्र में रखता हूँ, तो कभी किसी कोने में छिपे उस पात्र में ढाल देता हूँ, जो बोलता कम है पर महसूस बहुत करता है। मेरे हर पात्र में मेरा कोई न कोई अंश ज़रूर होता है — कभी स्पष्ट, कभी धुंधला। वे परिस्थितियों पर निर्भर हैं, पर उन परिस्थितियों के भीतर मैं भी तो वही हूँ — बदलता हुआ, टकराता हुआ, फिर भी स्वयं को खोजता हुआ। इस तरह कभी मैं हीरो बनकर जाता हूँ जो अंत में विजय पाता है; कभी मै असफल कवि बनकर जो अपनी कविता भी पूरी नहीं लिख पाता; और कभी वह निःशब्द दर्शक जो पूरे दृश्य को देखता है, पर कुछ कहता नहीं — क्योंकि वह जानता है कि मौन भी एक भाषा होती है।

मैंने एक बार कहानी लिखी थी — एक बूढ़े आदमी की । जो रोज़ उसी बेंच पर जाकर बैठता था जहाँ कभी उसकी बीवी बैठा करती थी। लोगों ने पूछा, "ये इतना शांत आदमी तूने कैसे लिखा?" मैंने कहा, "क्योंकि मैं वही हूँ, बस उम्र बदल दी है। सच कहूँ तो एक ही सीने में कई उम्रे साँस लेती हैं; एक जिद्दी बच्चा, जो अब भी मिट्टी में खेलना चाहता है, एक बूढ़ा, जो बस शाम की धूप में शांत बैठना चाहता है, एक माँ, जो अपने भीतर के डर को छिपाकर सब को हँसाती रहती है, एक प्रेमिका, जो चिट्ठी लिखती है पर डाकिया नहीं मिल पाता। मैं वही सब हूँ — जो मैं नहीं हूँ। असल ज़िंदगी में इतनी जगह कहाँ? इसलिए मैं उन्हें कागज़ का शहर देता हूँ। लिखना समय का स्क्रीनशॉट है।

परिस्थितियों पर निर्भर हर पात्र मेरी मनोदशा के दोनों ध्रुवों को व्यक्त करता है जो किसी विशेष परिस्थिति में मेरे द्वारा व्यक्त होती है या अव्यक्त रह जाती है। उदाहरण के लिए एक बार मैंने एक दृश्य लिखा था जहाँ एक वृद्ध आदमी रन-अप करता है जीवन की दौड़ से थका हुआ, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने की जिद में और उस दृश्य में वृद्ध आदमी पर 'मैं' की सामग्री का एक अंश था मेरी देर रातों का जुझारूपन, अपनी सीमाओं से हार न मानने का प्रण। और फिर... दूसरे दिन मैंने एक किशोर का पात्र लिखा था—जिसमें मेरी बीते हुए किशोर काल की चुप आँखों की चमक, मेरी उन सपनों-की, प्रतिध्वनि थी जो मैंने खो दी थी या छोड़ दी थी। कहानी में मेरे भीतर का वह 'मैं' आकार ले लेता है और मैं उसे देखता हूँ, उसे बढ़ते-घटते देखता हूँ।

हालाँकि मैं एक कहानी का हीरो भी हो सकता हूँ, एक बूढ़ा और लाचार भी एक माँ या एक नायिका भी मेरे अन्दर ही होती है । ये सब मैं हूँ, मेरे भीतर ही बसते हैं, एक-दूसरे में घुलते-मिलते हुए। एक पात्र से दूसरा पात्र हो जाना और फिर दूसरे से कोई तीसरा या सच पूछा जाए तो यह बस एक नजरिया है किसी कहानी को कहने का। जरूरी नही कि मैं बस एक पात्र बनूँ, कहानी मेरे इर्द-गिर्द भी रचित हो सकती है, मैं कहानी का पूरा का पूरा गाँव हो सकता हूँ और यह भी संभव है कि मैं ही पूरी कहानी होऊँ।

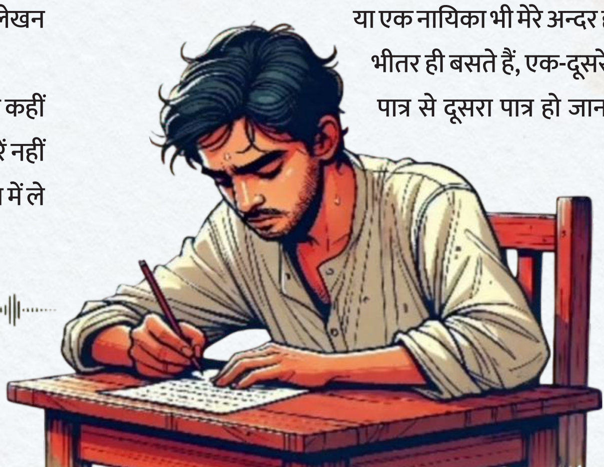

लेकिन, जब मैं कहानी खत्म कर देता हूँ या कहानी स्वयं मुझे छोड़ देती है, तब मैं वापस आता हूँ, और देखता हूँ कि वहाँ "मैं" और "मेरी कहानी" का फर्क बहुत हल्का हो गया है। मैंने पाया है कि जब मैं बहुत सोच लेता हूँ, तो लेखन शब्दों के भार में दबती चली जाती है। लेकिन, जब मैं "महसूस" कर लेता हूँ—जो कि विश्लेषण से परे है—तो शब्द स्वयं निकलते चलते हैं, कहानी आकार ले लेती है। बस कहानी कहना मेरा काम नहीं होता है, ये तो बस एक विवशता है- एक ऐसा पुल जो मुझे मेरे भीतर और बाहर के संसार के बीच ले जाता है। पात्र और घटनाएँ भी कभी पूर्ण काल्पनिक नहीं हो पाती, शायद सिर्फ कला ही मौलिक हो सकती है, परन्तु कला की उत्पत्ति का साधन का मौलिक हो पाना थोड़ा कठिन है। जो भी मैं रचता हूँ, वह पहले से विद्यमान किसी भावना, दृश्य या स्मृति का पुनराविष्कार होता है। मेरी

रचित कहानियाँ मौलिकता और उस मौलिकता से व्युत्पन्न प्रेरणा का शाश्वत आवृत ही है जो अलग-अलग बिन्दुओं को मिलाते हुए पूर्ण होता है किन्तु हर बिंदु, पूर्व बिंदु की प्रतिकृति होती है।

मेरा असल काम है सारे बिन्दुओं को एक ऐसे सिरे में पिरोना जो एक पूर्ण आवृत्ति रच दे, जहाँ पात्र और घटनाएँ समय से परे जाकर शाश्वत हो जाए। पात्र एवं घटनाएँ इन्हीं बिन्दुओं पर स्थान एवं परिस्थिति के साथ बार-बार जन्म लेती हैं, बदलती हैं, और फिर उसी मौन केंद्र पर लौट आती हैं जहाँ से सब शुरू हुआ था। पात्र? अरे, वो तो मेरे पुराने दोस्त हैं जो नए-नए मेकअप में आ जाते हैं। एक बार बचपन में मेरे मोहल्ले के चाचा जी थे न, जो हर शाम लालटेन जलाते वक्त गाली देते थे कि “ये बुझती क्यों है रे।” आज वो मेरी कहानी में स्पेसशिप का मैकेनिक बनकर आ गए। नाम रख दिया “चाचा-420”। अब वो किसी SCI-FI कहानी के गैलेक्सी में लालटेन नहीं, प्लाज्मा कोर ठीक करते हैं पर गाली अब रीसाइक्लिंग कर वही वाली देते हैं।

घटनाएँ भी ऐसी ही चालू माल हैं। असल में जो हुआ था वो ये कि मैंने एक लड़की को बस में देखा था। वो खिड़की से बाहर देखकर रो रही थी। मैंने सोचा, यार! कोई बात होगी। कुछ समय बाद वही सीन मेरी कहानी में आ गया। बस थोड़ा मसाला डाल दिया—अब वो रो नहीं रही, बल्कि उसका प्रेमी चाँद पर रहता है और उसने अभी-अभी वीडियो कॉल काटा है। सिग्नल कमजोर था, इसलिए “आई लव यू” की जगह “आई लव... ब्रेड” सुनाई दिया। लड़की अब चाँद पर ब्रेड डिलीवर करने का स्टार्टअप खोलने की सोच रही है।

महत्वपूर्ण है, कहानी का कहानी बन पाना, मेरी अनुभूति का पूर्ण अभिव्यक्त हो पाना। बिना अनुभूति के कहानी, कहानी नहीं होती वह बस एक बात रह जाती है — सपाट, शुष्क, बिना आत्मा के। बातों एवं कहानियों में एक सूक्ष्म अंतर होता है। बातें एक धुन भर होती हैं, जबकि कहानी पूरा सा-रे-गा-मा-पा। जैसे ऑफिस में कोई सहकर्मी आकर बोले, “यार कल ट्रैफिक बहुत था।” बस, खत्म। न कोई धड़कन, न कोई गंध, न कोई चुभन। वो बात है, कहानी नहीं।

लिखते वक्त मैं खुद DJ बन जाता हूँ —शब्दों के बीट्स मिलाता हूँ, वाक्यों का Bass बढ़ाता हूँ और भावनाओं का Volume High कर देता हूँ। मैं अपनी धुन में एक लय बनाता हूँ, प्रवाह देता हूँ । उसके साथा खुद स्वंय भी उस प्रवाह में कहानी के साथ-साथ गोते लगाता जाता हूँ। यही वह क्षण है जब कहानी सचमुच अपनी आत्मा पाती है। मैं इस समय कुछ प्रयास नहीं करता, बस खुद को ठहराव देता हूँ और कहानी के मार्ग को विस्तृत होने देता हूँ। मैं सिर्फ दरवाजा खुला छोड़ देता हूँ। कहानी आती है, अपने जूते उतारती है, मेरे भीतर घुसती है, सोफे पर लेटती है और बोलती हैं—“अब मेरी बारी। तू बस देखता रह।” यह ठहराव सिर्फ मेरा ठहराव होता है, कहानी का नहीं।

रांची आए अभी मुझे कुछ दिन ही हुए थे। एक रोज सुबह-सुबह मैं जगन्नाथ मंदिर गया। धूप बहुत नरम थी, ठंडी हवा थी, चिड़ियों की चह-चह थी, लोग-बाग अपने में मशगूल थे। एक-एक कदम मेरे भीतर की गति को धीमा कर रहा था। तब मुझे अनुभूति हुई कि मैं भाग नहीं रहा; मैं लौट रहा हूँ—अपने भीतर। कभी-कभी मैं कहानी के बीच में रुक जाता हूँ। सोचता हूँ Writer’s block आ गया, पर असल में वो pause ही सबसे Creative Moment होता है। उस ठहराव में कहानी खुद अपना रास्ता ढूंढती है और मैं बस को-ड्राईवर बनकर देखता हूँ — कैसे शब्द अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। इस ठहराव ने मुझे सिखाया कि “लेखन” सिर्फ हर समय आगे बढ़ने-का नाम नहीं है, कभी-कभी “रुकने” का भी नाम है। शायद यही लेखन है — जब मैं ठहरता हूँ, तो कहानी चल पड़ती है और जब कहानी ठहरती है, तब मैं फिर से बहने लगता हूँ।

जबकि कहानी का ठहराव मेरा एक प्रयोग होता है। हाँ, ठहराव मेरा सबसे बड़ा शरारती प्रयोग है। मैं जान-बूझकर ब्रेक मार देता हूँ, जैसे कोई लड़का स्कूटी पर सिग्नल से पहले अचानक रुक जाए और पीछे बैठी लड़की उसकी पीठ से टकरा जाए। वो टक्कर ही रस है। हर ठहराव, हर प्रवाह मेरा ऋतु-प्रवास भर है। ठहराव-गति, ठहराव-गति... यह कोई रेस नहीं, वह बस एक अल्प-विराम है; कोई अंत नहीं।

इस प्रकार, विराम-गति रूपी आवृत्ति का यह माला फिर फेर लिया जाता है, अब उसी बिंदु पर एक अलग पात्र और एक अलग परिस्थिति के साथ कहानी चल पड़ेगी। हो सकता है कि अब पात्र पाश्विक हो गया हो, परिस्थिति तामसिक हो चुकी हो। पर, कहानी शाश्वत रहेगी, इसका कभी अंत नहीं होता। अब अगर हर कहानी को जोड़ दें तो एक नयी कहानी बनेगी और पूर्व कहानियां अब एक हिस्सा मात्र होगी, एक किस्सा मात्र होगी।

लिखना स्मृति को फ्रीज़ करने की कोशिश है, पर फ्रीज़र में रखी चीज़ भी धीरे-धीरे बर्फ़ बन जाती है — उसका मूल स्वाद बदल जाता है। पर सच है कि मैं बस रसास्वादन के लिए अलग-अलग कहानी रचता हूँ। मुझे सारे रसों की अनुभूति चाहिए या उस पल जी रहे रस को कहानी बना कर शाश्वत कर लेना है ताकि बाद में भी उसे अनुभूत कर सकूं। लिखकर उसे पकड़ लेता हूँ। बाद में पढ़ता हूँ तो पता चलता है कि सच थोड़ा और साफ़ हो

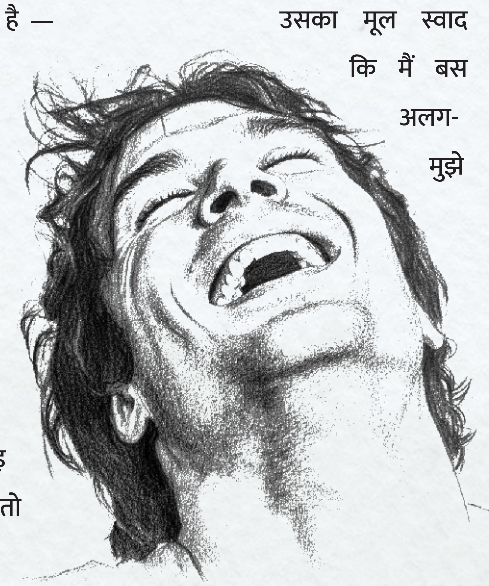

गया है या थोड़ा और धुँधला। दोनों हालत में कुछ न कुछ साफ़ होता है। कम से कम यह समझ तो आती है कि मैं उस वक़्त क्या था और अब क्या हो गया हूँ।

यह अनुभूति दूसरों के लिए होती भी है और नहीं भी। जो पाठक है वो बस रस को देख सकता है, पर उस प्याले को पी नही सकता। हर रस हर एक के लिए अलग-अलग है, एक चोट खाए आदमी का रस, उसे देख रहे आदमी का रस और जब उसे सुनाया जाए तब सुनने वाले आदमी को मिलने वाले रस में अंतर है। यह अंतर मेरी वजह से नहीं बल्कि यह कहानी को आत्मसात कर पाने की क्षमता पर निर्भर है। क्या पता चोट की खबर पाए माँ को उस बेटे से ज्यादा दर्द हो रहा हो। तो यह रसास्वादन पाठक की अनुभव-इन्द्रियों पर निर्भर है। इसलिए यह भी संभव है कि कोई कहानी जो उत्तम हो एक पाठक की अनुभव-इन्द्रियां उसे महसूस न कर पाए और इसका उल्टा भी संभव तो है ही।

जब कोई पाठक मेरी कहानी पढ़ के रो देता है या गुस्सा हो जाता है या उत्तेजित हो जाता है... तो मैं मन ही मन मुस्कुराता हूँ और सोचता हूँ – "हां हां, मेरे अंदर का ये भूत अब तेरे अंदर घुस गया रे बाबा।" मेरी गंदगी, मेरा दर्द, मेरी फैंटसी... अब किसी और के सिर पर सवार। यही तो है असली मज़ा... मैं अपने पाप, अपने सपने, अपनी बीमारियाँ – सब किराए पर चढ़ा देता हूँ। और पाठक खुशी-खुशी किराया दे के ले जाते हैं... और मैं? मैं फिर से "पवित्र" हो जाता हूँ... जब तक अगली कहानी न लिख लूँ।

यादों की पुरवाई है, सुख–दुःख और उम्र के पड़ाव की बस अमिट निशानी है। मेरी कहानी कोई समाज का आइना हो, मुझे तनिक संशय है। मैं कहता हूँ कहानी सिर्फ आईना नहीं , प्रिज्म है। यह उम्र के उस पड़ाव में मेरी इंद्रधनुषी समझ के बस पन्ने पर उतरने की बात है।

कहानी समाज का आइना होती तो प्रतिछाया सबकी 'एक' होती, 'एक-सी' नही. प्रतिछाया का 'एक-सा' होना दिखाता है कि कहानी बस हमने बुनी है, सब के आईने अलग है और उनमें सब की प्रतिछाया भी।

आपकी कहानी में मैंने 'खुद' को देखा, मेरी कहानी में मैंने आपको 'उस खुद के' जैसे पाया। आप मेरी कहानी में अपने बचपन की गंध महसूस कर सकते हैं और मैं उसी कहानी में अपनी आधी जवानी खोज सकता हूँ। एक ही कथा, सौ अनुभव। शायद कहानी 'आईना' नहीं, 'आँख' है – हर किसी की अपनी झलक वाली।

मेरा एक उद्देश्य अपने मूक विचारों का दूसरों के माध्यम से पुष्टिकरण कराना भी हो सकता है। कहानी का हर पात्र और प्रत्येक परिस्थिति इस हेतु ही रचित है। कभी वे मेरे भीतर की उन भावनाओं का बोझ उठाते हैं, जिन्हें मैं स्वयं ढोने से कतराता हूँ। हर पात्र मेरा बैकअप हार्ड-ड्राइव है। जिन फाइलों को मैं अपने सीने में डिलीट नहीं कर पाता, उन्हें कॉपी-पेस्ट कर देता हूँ किसी किरदार में।

अपने इस उद्देश्य में सफल होने के लिए मैं पात्रों एवं परिस्थितियों का ताना बाना बुनता रहता हूँ। जब मैं लिखता हूँ, तो मानो भीतर की उलझनों को आकार देने की कोशिश करता हूँ — कभी वे आकार लेते हैं, कभी बस बिखर जाते हैं। मेरी संवेदनाएं इस प्रयोग में धागे का काम करती है यह ताना बाना कुछ इस प्रकार बुना जाता है कि अगर मेरी कहानी सफल हो जाये, मेरी संवेदनाएं पात्रों एवं परिस्थितियों के माध्यम से कहानी रूपी वैतरणी को पार करे और यह आवृत पुनः थोडा और घूम जाता है। सामान्य जीवन में मेरा चरित्र मेरी संवेदनाओं का दायरा तय करती है जबकि कहानी में मेरी संवेदनाएं मेरी चारित्रिक विशेषताओं का निर्धारण करती है। साधारणतया यह चुनाव मैं स्वविवेकाधीन ही करता हूँ, परंतु यह चुनाव मेरे मनावृत होते हुए भी स्वछन्द होता है। कहानी में संवेदनाएं तो जुगनू - सी जिद लिए होती है, जबकि जीवन का पाश इस स्वछन्द पतंग की डोर होती है।

मेरे अन्दर का कहानीकार कहानी मेरे लिए रचता है। एक शाम ऑफिस के बाद लोग छाते ढूँढ रहे थे और मैं अकेला बारिश में भीगता चला गया; मैं शब्द ढूँढ रहा था। उस रात जो कहानी लिखी — वो किसी छतरी जैसी थी; भीगने से नहीं बचाया, पर ठंड कम कर दी। लोग GYM जाते हैं तनाव उतारने, मैं लिखता हूँ। मेरे लिए Keyboard ही Treadmill है। कभी दर्द

पसीने की तरह बह जाता है, कभी एक अधूरी पंक्ति रह जाती है जो दिल में अटकी रहती है। पर जब कोई कहानी पूरी होती है, तो मुझे लगता है जैसे किसी घाव पर पट्टी बँध गई हो।

यह मुझे समाज के साथ अपने सामंजस्य को चित्रित करने का अवसर प्रदान करता है। यह बिलकुल संभव है कि सामंजस्य काल परिस्थिति में अलग-अलग हो। इन सामंजस्यों की श्रृंखला ही कहानी को पात्र और परिस्थिति प्रदान करती है। हर पात्र और परिस्थिति मेरी भोगी गयी या अनुभूत की गयी संवेदना भर है। और चूँकि यह अनुभूति मेरे और आपके द्वारा संवेदना के अलग-अलग स्तर पर अनुभूत हो पाती है तो मेरी हर कहानी आपको कुछ आपकी जैसे लग सकती है और कुछ थोड़ी अलग-सी भी। पर सच्चाई यह है कि हमारी और आपकी संवेदना में उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव जैसा विरोध नहीं होगा, संवेदना आखिरकार बस एक ही चुंबक है—इंसानियत का। हम सब उसी के अलग-अलग पॉइंट्स पर खड़े हैं और इस कारण ही एक कहानी किसी न किसी समय हम सब की अपनी कहानी लगती है। सब सही कह रहे हैं। क्योंकि मैंने जो लिखा है, वो आपका भी सच है। बस आपने उसे अब तक शब्दों में नहीं देखा था। मैंने देख लिया और आपको दिखा दिया। वास्तव में, हर कहानी एक थर्मामीटर है, जितना पारा ऊपर-नीचे होता है, उतना ही पता चलता है कि संवेदना अभी कितना गर्म है, कितना ठंडा।

और इस सामान्य से कारण की वजह से लोग मुझे तर्कों के माध्यम से साधने का प्रयास करते हैं और तार्किक कोशिश करते हैं, यह जानने का कि मैं कहानी क्यों रचता हूँ और इस प्रकार तर्क – वितर्क का यह आवृत शाश्वत हो जाता है और सत्य से दूर होता जाता है। हालाँकि यह तर्क-वितर्क आवश्यक भी है; बिना पक्ष लिए चुप रहना भी किसी एक का पक्ष लेना ही होता है। संभवतः मैं किसी तर्क-वितर्क से परे अपने अनुभवों को शब्द देने को आतुर रहता हूँ। दिल से कहूँ तो "अरे बाबू, मैं तो बस अपने अंदर के जिन्न को बोतल से बाहर निकाल रहा हूँ, लेकिन दुनिया को ये बात हज़म नहीं होती। उन्हें चाहिए "तर्क का लेबल"। अरे भाई, कभी-कभी इंसान बस इसलिए रोता है क्योंकि प्याज काट रहा होता है... उसे हर बार Childhood trauma से जोड़ने की ज़रूरत नहीं।

शायद यही लेखन का सबसे सुंदर छल है क्योंकि यही छल मुझे सच्चा बनाता है। जब मैं लिखता हूँ, मैं खुद को धोखा देता हूँ — मानता हूँ "ये सब काल्पनिक है।" पर भीतर से जानता हूँ — "ये सब सच है, सिर्फ नाम बदले हैं। मेरी कहानियाँ दरअसल मेरे DEJA VU हैं —वो पल जो कभी जी लिए या जीने की हिम्मत नहीं हुई। मैं उन्हें फिर से जीता हूँ, लेकिन इस बार अपने शब्दों के साथ।

शाम को निकल पड़ता हूँ। फ़ोन में वॉइस नोट ऑन। रास्ते में जो दिखता है, बोलता जाता हूँ। "वहाँ वो बूढ़ा चाय पी रहा है, उसकी उँगलियाँ काँप रही हैं... वो लड़की हँस रही है पर उसकी आँखें रो रही हैं..." घर आकर वॉइस नोट सुनता हूँ और टाइप कर लेता हूँ। आधे घंटे की वॉक से पूरी कहानी का कच्चा माल तैयार। और जब कहानी खत्म होती है... मेरे अंदर का सारा कचरा साफ। जैसे कोई किराए का घर खाली करके चले गए हों – अब मैं फिर से "सभ्य इंसान" बन के ऑफिस जा सकता हूँ, अपनी एजी/ओजी से बात कर सकता हूँ, पड़ोसी से नमस्ते बोल सकता हूँ।

दिन में मन बहुत मुखौटे पहन लेता है। रात को सब उतर रहे होते हैं, मैं अपने अंदर का पूरा भूतबंगला खाली कर रहा होता हूँ। तो भाई... लिखते रहता हूँ। ये दुनिया का सबसे सस्ता और सबसे मज़ेदार "मनोचिकित्सक" है मेरा – मेरी ही कलम।

कारण बस इतना सा है। रात के ढाई बज जाय यही बहुत है।

आठवाँ स्वर्ग

मुकेश कुमार नं- 1
वरिष्ठ लेखा परीक्षक

ऋषि उद्दालक ने स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से विश्वजित यज्ञ किया। इस यज्ञ के अनुसार यज्ञकर्ता को अपनी धन संपत्ति दान में देनी होती थी। ऋषि को धन-संपत्ति से बहुत मोह था। इसलिए, यज्ञ के दौरान उसने बूढ़ी और कमजोर गौएँ दान में देनी शुरू कीं। ऋषि उद्दालक के पुत्र नचिकेता ने उन्हें ऐसा करने से मना किया और कहा कि "आप मुझे किसको दान में देंगे?"। पहले तो उद्दालक ने कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन, जब नचिकेता ने तीन बार पूछा तो उसने क्रोधित होकर कहा, "जाओ तुम्हें मृत्यु के देवता यम को दिया"। नचिकेता अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए यमलोक जाने की तैयारी करने लगा। नचिकेता जब वहाँ पहुँचा तो यम कहीं बाहर गया हुआ था। यम तीन रात के बाद वापस लौटा तो उसने देखा कि नचिकेता प्रतीक्षा में बैठा है। यम ने एक-एक रात्रि के लिए नचिकेता को तीन वर दिये। नचिकेता ने पहले वरदान में कहा कि वह जीवित अपने पिता के पास पहुँच जाये, तो उसके पिता क्रोध त्यागकर उसे क्षमा कर देंगे। दूसरे वर में उसने उनसे अग्नियज्ञ की संपूर्ण विधि पूछी, जिससे उसके पिता को मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हो। तीसरे वर में वरदान के रूप में उसने जन्म, मृत्यु का रहस्य और इससे मुक्ति के साधन बताने को कहा। धर्मराज यम ने पहले दो वर तो तुरंत दे दिए, लेकिन तीसरे वर के स्थान पर उसे अन्य कोई भी चीज़ माँगने को कहा, लेकिन नचिकेता अपनी बात पर अडिग रहा।

यम ने बताया कि देवी-देवता भी इस रहस्य को नहीं सुलझा पाये हैं, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ जिससे तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। नचिकेता उस बात को जानना चाहता था। धर्मराज ने देवलोक में स्थित सात स्वर्गों की सविस्तार चर्चा की और कहा कि एक आठवाँ स्वर्ग भी है, जिसमें जाकर जन्म, मृत्यु और मुक्ति का रहस्य समझा जा सकता है। वह आठवाँ अद्भुत स्वर्ग मृत्यु लोक में है।

सातों सूक्ष्म स्वर्गों से बढ़कर वह अलौकिक स्वर्ग मनुष्य शरीर (देह) है।

यही कारण है कि देवता भी मनुष्य जीवन पाने के लिए लालायित रहते हैं। प्रभु ने चौरासी लाख प्रकार के जीवों की सृष्टि करके मनुष्य को उनमें श्रेष्ठता प्रदान की है। ऋषि-मुनियों ने मनुष्य शरीर को 'नर-नारायणी देह' कहा है। मुसलमान फकीरों ने इसे 'सृष्टि का सिरताज' कहा है। मनुष्य को छोड़कर चौरासी लाख प्रकार की जितनी भी योनियाँ हैं, सब भोग-योनियाँ हैं; देवी-देवता भी इसी के अंतर्गत आते हैं।

मनुष्य योनि की यह खूबी है कि भोग-योनि होने के साथ-साथ यह कर्म-योनि भी है।

मनुष्य शरीर का पहला आवरण बाहरी शरीर है जिसे स्थूल शरीर कहते हैं और तीसरा सबसे अंदर का आवरण कारण शरीर है। जाग्रत अवस्था में मनुष्य को प्रकाश बाहर से प्राप्त होता है, जिससे स्थूल शरीर कार्य करते हैं। स्वप्नावस्था में या गहरी निद्रा के समय बाहरी प्रकाश से कोई लाभ नहीं होता है, फिर भी स्वप्नावस्था में मन की गतिविधियाँ चलती रहती हैं। इसके लिए भी प्रकाश की आवशयक्ता होती है। वह आंतरिक प्रकाश आत्मा का प्रकाश है। इस स्थूल शरीर के भीतर उस आत्मा को पहले कारण शरीर और फिर सूक्ष्म शरीर द्वारा ढक लिया गया है। साधारण अवस्था मे जब कोई मृत्यु को प्राप्त होता है, तो केवल स्थूल शरीर का ही नाश

होता है।
सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का नाश नहीं होता है। आत्मा तभी मुक्त हो सकती है, जब सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का भी नाश हो जाये। पूरे शरीर के अंदर मन ही एक ऐसी चीज है, जो इंद्रियों के माध्यम से स्थूल शरीर की मदद से सांसारिक बाहरी कार्यों को संभालता है। चूंकि बाहरी संसार के सभी कार्य मन कर लेता है, अतः वह शरीर के भीतर भी सभी कार्यों को कर सकता है। मन की पहुँच कारण शरीर तक है। स्पष्ट है कि सूक्ष्म और कारण शरीर को जानने के लिए मन को सहायक बनाना जरूरी है।

जो मन है, यह न जड़ है न चेतन बल्कि जड़ और चेतन के बीच की कड़ी है। मनुष्य का मन बहिर्मुखी है सर्वप्रथम इसे अंतर्मुखी बनाना होगा । मन का ठहराव शरीर के अंदर ध्यान के माध्यम से ही संभव है। ध्यान तभी संभव है जब व्यक्ति का विवेक जाग्रत हो और विवेक सत्य ज्ञान से उत्पन्न होता है । अतः इसके लिए मनुष्य को सत्य की खोज करनी होगी। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और आत्मा तीनों मिलकर शरीर के अंदर जिस सत्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसे सूरत या चेतन सत्ता कहते हैं।

मृत्यु के समय पहले मूलाधार चक्र ढह जाता है, यहाँ पृथ्वी का वास है। पृथ्वी तत्व स्वाधिष्ठान (इंद्रिय) चक्र में जाकर समा जाता है, पानी ने मिट्टी को घोल लिया। आगे नाभिचक्र (मणिपुर चक्र) है, वहाँ अग्नि है। जब इंद्रियचक्र टूटा तो वह नाभिचक्र में जा समाया, आग ने पानी को सुखा लिया। इससे ऊपर अनाहत चक्र आ गया, यहाँ हवा का वास है। जब नाभिचक्र टूटा तो हवा ने अग्नि को अपने में समा लिया। इस तरह हवा आकाश में समा गयी। यह आकाश वाला जगह विशुद्धि चक्र है, जिसका स्थान कंठ है। जब मौत आती है, शरीर से सारी चेतन सत्ता निकलकर नीचे के पाँचों चक्रों तथा आज्ञा चक्र से होते हुए चिदाकाश में समा जाती है। वैसे ही जन्म के समय बच्चे का निर्माण शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन से शुरू होता है, जैसे ही शुक्राणु अण्डाणु को निषेचित करती है, प्रभु की अपार कृपा से प्रारब्ध लेकर चेतन सत्ता चिदाकाश से आज्ञा चक्र होते हुए सुषुम्ना के रास्ते सभी चक्रों को पार करते हुए नाभि में आ जाती है। और फिर, यह गर्भाशय में जाकर प्रत्यारोपित हो जाती है।

इंद्रिय चक्र के देवता ब्रह्मा उस चेतन सत्ता के लिए स्थूल शरीर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थूल शरीर गढ़ दिये जाने के पश्चात उसी रास्ते से प्रभु द्वारा प्राण और प्रारब्धों द्वारा निर्मित गिनती के एक निश्चित संख्या में श्वास डाल दिये जाते हैं। ब्रह्मा ने उस स्थूल शरीर का निर्माण पंचतत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन और आकाश से की है जो कि शरीर के पाँचों चक्रों में मौजूद होता है। प्रभु ने नाभि चक्र के देवता विष्णु को इस चेतन प्रभा सत्ता को संभालने का जिम्मा दिया हुआ है। शरीर के अंदर पाँचों चक्रों के देवताओं का ज्ञान लेना आवश्यक है।सर्वप्रथम मूलाधार चक्र से शुरू करते हैं। इस चक्र में गणेश जी का वास है, यहाँ पृथ्वी तत्व मौजूद है। स्वाधिष्ठान चक्र में ब्रह्मा और सावित्री का वास माना जाता है, यहाँ जल तत्व मौजूद है। तीसरा चक्र नाभि चक्र है जहाँ विष्णु का वास है, यहाँ अग्नि की प्रधानता है। इससे आगे अनाहत चक्र (हृदय चक्र) है, जिसमें महेश (शिव) का स्थान बताया गया है, इसमें पवन की प्रधानता है। विशुद्धि चक्र जहाँ आकाश तत्व मौजूद है वह दुर्गा जी का स्थान है, इसका स्थान कंठ है।

जब किसी व्यक्ति का चित्त पूरी तरह से मग्न हो जैसे किसी बौद्धिक चिन्तन या फिर ईश चिन्तन में तो उसका श्वास अपने आप बहुत धीरे चलता है, जिससे दो श्वासों के बीच का अन्तराल बढ़ सकता है और वह व्यक्ति दीर्घायु हो सकता है। योगी अपने मन को ध्यान के माध्यम से अपनी प्राणशक्ति को मेरुदण्ड के छह चक्रों में ऊपर नीचे घुमाता है और फिर अपनी चेतना को आज्ञाचक्र से आगे चिदाकाश में विलीन कर देना चाहता है। उसकी प्राणशक्ति शरीर से खिंच जाती है, लेकिन प्राण चिदाकाश से आगे नहीं जा सकती है। योगी अपने प्राण को चेतना से अलग करके शरीर में ही स्थित चिदाकाश में प्रवेश कर जाता है, प्राण शरीर में ही चेतना के वापस लौटने का इंतजार करता रहता है। इस कारण से प्राणों का प्रवाह नीचे के चक्रों में रुक जाता है जिससे शरीर निश्चल और कड़ा या "मृत" प्रतीत होता है। उस समय श्वास की गति बहुत ही धीमी होती है। प्राण का संबंध श्वासों से रहता है । अतः यदि प्राण किसी प्रविधि से चिदाकाश के अन्दर चली जाये तो निश्चित ही श्वास रुक जाएगी जिससे व्यक्ति की मृत्यु सचमुच में हो सकती है।

लेकिन, प्रारब्ध से प्राप्त श्वासों की गिनती पूर्ण होने तक प्राण चिदाकाश के अन्दर नहीं जा सकती है। अतः योगी को पूर्ण भान रहता है कि उसके शरीर में चलने वाली सारी जीवन क्रियाएँ उस अवस्था में रुकी हुई होती है और वह जीवित रहता है। योगी का सारा ध्यान चिदाकाश से आगे सहस्त्रार चक्र पर केन्द्रित होता है और अभ्यास से धीरे-धीरे निर्विकल्प समाधि में पहुँचता है। वहां पहुँचकर चेतना सहस्त्रदल कमल में लीन हो जाती है। इतनी उपलब्धि हासिल कर लेने के उपरांत भी योगी आत्मा को आबद्ध करने वाले सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से पूरी तरह मुक्त होने की विधि का पता नहीं चलता है। इस कारण से आत्मा का पूर्ण परिचय होने के बावजूद भी वह उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाता है। मनुष्य के स्थूल शरीर में गतिशील उस चेतन सत्ता को संभालने के लिए प्रभु ने मेरुदण्ड के सुषुम्ना वाले रास्ते में अनेक देवी-देवताओं की नियुक्ति की है, जो सूक्ष्म रूप में इस चेतन सत्ता की सेवा में लगे हुए रहते हैं। स्पष्ट है कि चेतन सत्ता में मौजूद आत्मा एक ऐसी सत्ता है, जिसकी संभाल और देखरेख के लिए देवी-देवता भी उस प्रभु के आदेश की प्रतीक्षा करते रहते हैं। जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला है और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट है। उनके लिए परमपिता के तरफ से कोई कर्तव्य निर्धारित नहीं किया गया है। जब किसी व्यक्ति को सत्य का पूर्ण ज्ञान हो जाता है, तब वह व्यक्ति परमपिता के प्रति समर्पित रहकर अपने निरंतर प्रयास के माध्यम से स्वयं को सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से मुक्त कर लेता है और परमतत्व में विलिन हो जाता है जिससे उसके आवागमन का चक्र हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है।

वरदान का फेर

बिनोद कुमार प्रभात
पर्यवेक्षक

नामकुम गाँव में एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे एक बहुत पहुँचे हुए साधु चिरकुट बाबा बैठते थे। कहा जाता था कि जो भी सच्चे मन से उनके पास जाता, उसे वरदान मिल ही जाता था।परंतु उस वरदान का क्या परिणाम होगा, यह कोई नहीं जानता था। गाँव में एक लालची किस्म का व्यक्ति था जिसका नाम बिनोदानंद था। जो भले ही 'बुद्धू' जैसा था, परंतु वह मूर्ख नहीं था। हाँ, थोड़ा आलसी था और अपने काम की बजाय दूसरों की मदद की आस लगाकर बैठा रहता था। उसका मानना था कि मेहनत करने से ज्यादा आसान तरीका कोई वरदान पाकर अमीर बन जाना है। एक दिन गाँव के एक वृद्ध ने बिनोदानंद को चिरकुट बाबा के बारे में बताया। बस, फिर क्या था। बिनोदानंद ने सोचा कि यदि उसे कोई बड़ा वरदान मिल जाए, तो वह जीवन भर की मेहनत से बच सकता है।

अगली सुबह वह बाबा के पास पहुँचा और हाथ जोड़कर बोला, "बाबा, मुझे ऐसा दो वरदान दीजिए जिससे कि मैं हमेशा सुखी रहूँ।" चिरकुट बाबा ने कहा कि तुम्हारे दो वरदान क्या हैं? बिनोदानंद ने कहा कि मेरा पहला वरदान है कि मुझे कभी किसी चीज की कमी ना हो और मेरा दूसरा वरदान यह है कि पहले वरदान के पूर्ण होते ही मुझे दो और वरदान मिल जाए। चिरकुट बाबा ने आँखें बंद कीं, कुछ देर मौन रहे और फिर बोले, "तथास्तु! जाओ, तुम्हारे भाग्य में अपार संपत्ति लिखी गई हैं।" बिनोदानंद खुशी से उछल पड़ा। उसने सोचा कि अब वह राजा की तरह रहेगा। लेकिन, चिरकुट बाबा ने आगे कहा, "परंतु ध्यान रखना किजो कुछ भी तुम्हें मिलेगा,उसे तुम्हें संभालने की समझ भी रखनी होगी।" बिनोदानंद ने इस चेतावनी को हल्के में लिया और घर लौट आया। अगले ही दिन गाँव के जमींदार के घर से एक संदूक गायब हो गया। खोजबीन हुई, तो संदूक बिनोदानंद के आँगन में पड़ा मिला। उसमें सोने-चाँदी के सिक्के भरे थे। गाँव वालों को लगा कि बिनोदानंद ने चोरी की है।लेकिन इसी बीच जमींदार ने कहा, "मैंने यह संदूक कहीं रखा था, पर अचानक गायब हो गया। यह यहाँ कैसे पहुँचा?" बिनोदानंद समझ गया कि यह चिरकुट बाबा के वरदान का असर है। वह खुशी से उछल पड़ा, लेकिन गाँव वालों ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया और पंचायत बुलाई। सौभाग्य से, जमींदार ने कहा कि वह बिनोदानंद को माफ कर रहा है। बिनोदानंद ने चैन की सांस ली, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि यह सोना आया कैसे?

धीरे-धीरे बिनोदानंद के पास और भी दौलत आने लगी। उसे कहीं से चावल की बोरियाँ मिल जातीं, कभी उसके आँगन में गाय बंधी मिलती, तो कभी किसी अमीर का गहनों से भरा संदूक प्रकट हो जाता। गाँव वाले हैरान थे। कुछ उसे भाग्यशाली मानने लगे, तो कुछ को संदेह हुआ कि वह किसी तंत्र-मंत्र का उपयोग कर रहा है। समय बीतता गया और बिनोदानंद ने आलस में जीवन बिताना शुरू कर दिया। जब भी उसे किसी चीज़ की जरूरत होती, वह बाबा को याद करता और कोई न कोई बहुमूल्य वस्तु उसके सामने प्रकट हो जाती। परंतु, यहाँ एक समस्या थी। जो भी वस्तु उसे मिलती, उस वस्तु का असली मालिक वहाँ आकर वस्तु को खोजने लगता। धीरे-धीरे गाँव वालों को शक हुआ कि बिनोदानंद किसी अदृश्य ताकत की मदद से चीज़ें चुरा रहा है।

एक दिन राजा के सैनिक गाँव में आए। राजा के महल से एक बहुमूल्य हीरा गायब हो गया था और किसी अज्ञात कारण से वह बिनोदानंद के आँगन में मिला। अब गाँव वालों के पास कोई संदेह नहीं था—उन्होंने बिनोदानंद को चोर समझ लिया। बिनोदानंद को पकड़कर राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने गुस्से से पूछा, "तूने यह हीरा कहाँ से पाया?" बिनोदानंद डर गया और बोला, "महाराज, मैं निर्दोष हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि ये चीज़ें मेरे पास कैसे आ जाती हैं।" राजा को यकीन नहीं हुआ और उन्होंने उसे कारागार में डालने का आदेश दे दिया। कारागार में बैठा बिनोदानंद पछताने लगा। उसे समझ आ गया कि बिना मेहनत से प्राप्त चीज़ों का कोई मूल्य नहीं होता। उसने ठान लिया कि अगर कभी उसे बाहर निकलने का मौका मिला, तो वह मेहनत करके ही अपना जीवन-यापन करेगा। कुछ दिनों बाद गाँव के कुछ वृद्धों ने राजा से बिनोदानंद की रिहाई की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि बिनोदानंद वास्तव में एक सीधा-सादा व्यक्ति है और उसके साथ जो घटनाएं घट रही थीं, वह किसी चमत्कार का प्रभाव हो सकता है। राजा ने सोचा कि यह मामला अजीब है इसलिए उन्होंने बिनोदानंद को रिहा कर दिया, लेकिन एक शर्त रखी कि अगर वह फिर से किसी संदिग्ध गतिविधि में पकड़ा गया, तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। रिहाई के बाद बिनोदानंद सीधा चिरकुट बाबा के पास गया। उसने सिर झुकाकर कहा, "बाबा, मुझे क्षमा करें! मुझे बिना परिश्रम से मिलने वाले धन के दुष्प्रभाव का ज्ञान हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे मेहनत करने की शक्ति मिले।" बाबा मुस्कुराए और बोले, "बेटा, वरदान तो तुम्हें पहले ही मिल चुका था, लेकिन तुमने उसे सही तरीके से नहीं समझा। अब तुमने सच्चा ज्ञान पा लिया है। जाओ, मेहनत करोऔर ईमानदारी से कमाओ।" बिनोदानंद ने सिर झुकाया और गाँव लौटकर एक नया जीवन शुरू किया। उसने एक छोटी सी दुकान खोली, खेती करनी शुरू की और ईमानदारी से जीने लगा। अब वह सच में सुखी था, क्योंकि उसने जाना कि असली वरदान मेहनत और ईमानदारी ही है।

इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बिना मेहनत से मिली दौलत अधिक दिनों तक नहीं टिकती। असली वरदान वही है जिसे हम खुद अर्जित करते हैं।

धरा से पर्वत की ओर "एक अनोखा सफर"

मनोज कुमार नं 5
वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी

ज़िंदगी का यह सफर मैं कहाँ से बताना शुरू करूँ- वहाँ से जब हम हवाई जहाज पर बैठे बादल और आसमान को छूते हुए आगे बढ़ रहे थे; या जब हम हवाई जहाज में बैठे खिड़की से बाहर बादलों को देख रहे थे जहाँ से चारों तरफ सफेद रूई के फाहो की तरह बादलों की बिछी चादर दिखाई दे रही थी। इन सफेद चादरों को नज़र न लगे, इसलिए कहीं-कहीं काले बादलों की परत इसकी शोभा को वैसे ही बढ़ा रही थी, जैसे आँखों में लगे काजल आँखों की शोभा बढ़ाती है। देखते-देखते मन में रोमांच का अनुभव करते हुए मैं त्र्यंबकेश्वर के उस धरा पर उतरा जहाँ से आगे का सफर शुरू होने वाला था। जहाँ भगवान भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग सहित त्रिदेव दर्शन (ब्रह्मा, विष्णु और महेश) की महिमा सदियों से लोगों को अपनी ओर खींचती और भाव-विभोर करती आ रही है, उस पवित्र धरा पर पांव पड़ते ही मन में आनंद और पैरों में स्फूर्ति स्वतः आ गई। रात्रि में विश्राम के बाद अगले दिन भक्तों की भीड़, बाबा के दर्शन और उनसे मिलने की लालसा मन में कौतूहल पैदा कर रही थी। लंबी कतार में घंटों खड़े रहने के बाद बाबा त्र्यंबकेश्वर ने अपने दर्शन देकर हमारे जीवन को अमृत से भर दिया। दर्शनोपरांत रास्ते में एक पथिक मिले, जिन्होंने साक्षात् साईं बाबा का रूप धरकर हमारा मार्गदर्शन किया-एक अनोखे पर्वत की ओर अग्रसर होने का। पर्वत... अर्थात्... ब्रह्मगिरी पर्वत।

अगले दिन, हम सभी चल पड़े एक रोमांच भरे सफर पर, जहाँ से रास्ता चढ़ाई की ओर जा रहा था। सबके मन में उल्लासथा कि हम तो तुरंत चढ़ जाएंगे और यह विश्वास भी किहमें ज़रा भी डर नहीं लगेगा। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, रास्ता ऊँचा होता जा रहा था। रास्ते में खाने-पीने के सामानों की छोटी-छोटी दुकानें लगी हुई थीं। रोमांच भरी बात यह थी कि उनके पास लाठी थी वह भी भाड़े में देने के लिए। हल्की लाठी के 20 रुपये, भारी और थोड़ी सुडौल लाठी के 30 रुपये का किराया। हमलोग आश्चर्यचकित थे कि लाठियों के भी किराये देने होते हैं। फिर उलझन... कि लाठी लें या न लें। कोई कहता लाठी ले लो, कोई कहता पैसे की बर्बादी। कोई कहता, "अरे! लाठी की जरूरत क्या है, ऐसे ही सीढ़ियाँ चढ़ जाएंगें।"इसका फैसला तब हुआ जब अचानक से एक लहूलुहान व्यक्ति ऊपर सीढ़ियों से उतरा।उन्होंने बताया कि बंदरों ने उनका ये हाल किया। फिर क्या था, लगे सब डरने। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि लोग पानी की बोतल और खाने-पीने का सामान भी ले जाने से डरने लगे। इस दौरान कुछ लोगों ने हौसला अफ़ज़ाई कर कहा, "कुछ नहीं होगा, आराम से जाइए।" तब जाकर जाने वालों के मन में थोड़ा हौसला जगा।

हम सभी अपने-अपने हाथों में लाठी पकड़कर और सीढ़ियों पर ठक-ठक की आवाज के साथ आगे बढ़ते चले गए। उस दौरान एक विचित्र अनुभव मन को रोमांचित कर रही थी। कहीं चारों तरफ की हरियाली मन में उल्लास जगा रही थी,

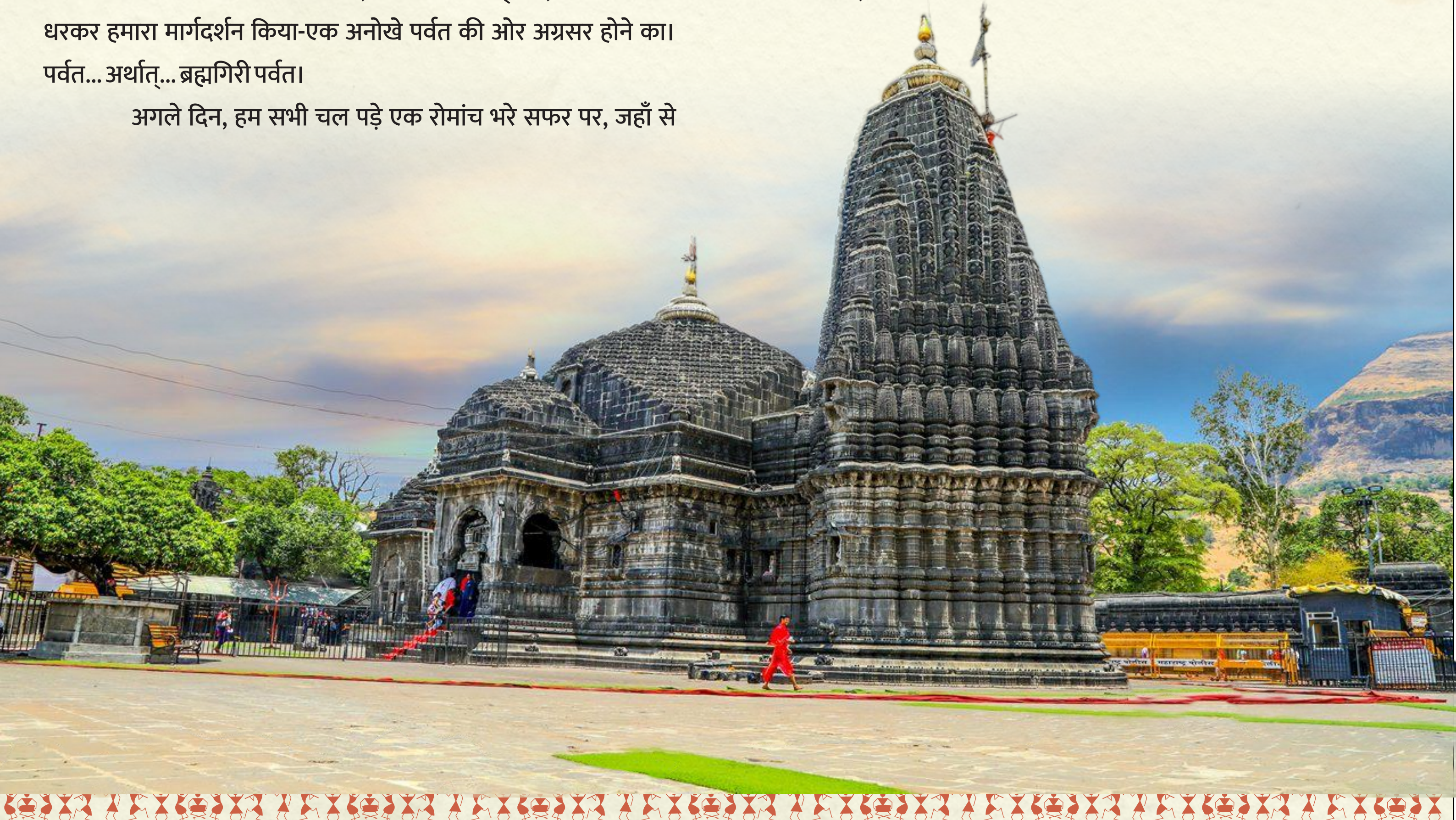

तो कहीं बंदरों का डर मन में घबराहट पैदा कर रहा था कि कहीं वो हमपर हमला न कर दें या हमारे सामान न छीन ले। इसी उधेड़बुन में पहाड़ों के बीच एक दुकानदार के पास सारे सामान रखकर मन के भय को वहीं छोड़ हम सब आगे बढ़ने लगे। पथरीली सीढ़ियाँ और ऊँचाई हमारे हौसलों को रोक नहीं पा रही

थी। भगवान राम और भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हुए भक्तजन ऊपर चढ़ते जा रहे थे। अचानक वही हुआ जिसका डर था। रास्ते में बंदर राह रोककर खड़े हो गये।

जैसे ही बंदर सामने आए, हम लोगों ने "जय श्रीराम, जय भोलेनाथ" कहना शुरू कर दिया। बंदर वहीं रुक गए। बंदरों ने हमारे हाथ से पानी का बोतल छीन लिया। फिर हमलोग आगे बढ़ गए। आगे जाकर सीढ़ियों पर सर्पो का जोड़ा दिखाई दिया, जिन्हें "प्रणाम" कर हम आगे बढ़ गए। सीढ़ियों पर बहता पानी और जमी हुई काई हमें संभलकर चढ़ने को प्रेरित कर रही थी। साथ ही, हमें ज़िंदगी में भी संभलने की सीख दे रही थी और बता रही थी कि देखो हमारी कितनी महत्ता है। आखिर अब वह समय आ गया, इतने दुर्गम रास्तों को पार कर ब्रह्मगिरी पर्वत का आनंद लेने का। जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे, चारों तरफ का नजारा देखकर हम अचंभित हो गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई चोटी फतह कर ली हो, बहुत बड़ी जीत मिल गई हो। उस पर्वत को देखकर, जो कि चारों तरफ बादलों से घिरा हुआ था, मन आनंदित हो उठा। यहाँ गौतम ऋषि ने गौ-हत्या के पाप से मुक्ति के लिए तपस्या की थी और भगवान भोलेनाथ ने उन्हें दर्शन दिया था। हमें लग रहा था कि वहाँ ईश्वर की शरण में शांत भाव से ध्यान में लीन हो जाएं और हमेशा के लिए वहीं रुक जाएं। इन्हीं वादियों में, जो हमारे मन को हमेशा के लिए शांत कर दे। हमारे मन में संसार से अलग एक वैराग्य की भावना जाग रही थी और हमें हमारे ऋषि-मुनियों एवं तपस्वियों की याद दिला रही थी। वे इन्हीं वादियों में भगवान की साधना में लीन होकर अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते थे और हमेशा के लिए अंतर्ध्यान हो जाते थे। शाम होने वाली थी। हमलोगों ने जल्दी-जल्दी भगवान के दर्शन किए। गुप्तगंगा, गोमुख से निकलती हुई गंगा धारा, बीचों-बीच जलकुंड, ऊपर चारों तरफ बंदरों का आना- जाना, प्राकृतिक एवं धार्मिक वातावरण इत्यादि को देखकर मन तृप्त हो उठा। आगे जाकर, भगवान भोलेनाथ की जटाओं के पटकने के निशान एवं पैरों के निशान देखकर हमारा मन शांत हो गया था।

वहाँ हमें पूजा-अर्चना के साथ उस प्राकृतिक वातावरण के नजारों की कहानी जानने का अवसर मिला। अब समय आ गया था वापस नीचे लौटने का। लेकिन, अचानक बादलों का घिरना और बिजली का कड़कना शुरू हो गया। बादल चारों तरफ तीव्र गति से दौड़ रहे थे। देखते-देखते चारों तरफ बादल घिर आए, जिनको महसूस करते हुए हमलोग नीचे की ओर अग्रसर होते गए। तभी अचानक बारिश होने लगी जिसकी हल्की-हल्की बूँदें और भी सुखद एहसास करा रही थी। इसी एहसास के साथ हमलोग धीरे-धीरे ब्रह्मगिरी पर्वत से नीचे उतर गए और इस तरह धरा से पर्वत की ओर निकले सफर से हम सब पुनः पर्वत से धरा की ओर लौट आए।

भारत में झारखण्ड का महत्व

निरंजन कुमार
सहा. लेखापरीक्षा अधिकारी

भारत विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं, परंपराओं, भौगोलिक परिस्थितियों और संसाधनों से भरा एक विशाल राष्ट्र है। हर राज्य अपनी विशिष्टताओं के कारण देश की सामूहिक शक्ति को बढ़ाता है। उन्हीं में से एक राज्य है झारखण्ड, जो वर्ष 2000 में बिहार से अलग होकर भारत का 28वाँ राज्य बना। खनिज संपदा, प्राकृतिक सौंदर्य, जनजातीय संस्कृति, औद्योगिक महत्व और रणनीतिक दृष्टि से झारखण्ड आज भारत के सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में गिना जाता है। झारखण्ड की पहचान केवल एक प्रशासनिक निर्माण नहीं है, बल्कि एक लंबे ऐतिहासिक संघर्ष, जन आंदोलनों और जनजातीय अस्मिता का परिणाम है। संथाल, मुंडा, हो, उरांव, भूमिज, असुर आदि जनजातियाँ सदियों से यहाँ निवास करती आई हैं। देश की प्रगति में सहायक खनिज संपदा से पूर्ण झारखण्ड का महत्व बहुआगामी है।

1. खनिज और प्राकृतिक संसाधनों का केंद्र

झारखण्ड को अक्सर भारत का खनिज हृदय कहा जाता है। देश की कई प्रमुख धातुओं और खनिजों का बड़ा हिस्सा यहीं से प्राप्त होता है। भारत के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 40% झारखण्ड से आता है। लौह अयस्क, तांबा, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैंगनीज़ और यूरेनियम के बड़े भंडार यहाँ मौजूद हैं। जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद जैसे क्षेत्र खनन और भारी उद्योगों के मुख्य केंद्र हैं।

इन संसाधनों ने न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया है, बल्कि देश की ऊर्जा और औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यदि झारखण्ड की खनिज संपदा उपलब्ध न होती, तो भारत की औद्योगिक प्रगति कहीं अधिक धीमी होती।

2. औद्योगिक विकास का स्तंभ

झारखण्ड भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता ने औद्योगिक विकास की मजबूत नींव तैयार की है। राज्य में कोयला, लोहा, तांबा, यूरेनियम, बॉक्साइट और अभ्रक जैसे खनिज बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। यही कारण है कि झारखण्ड को "भारत का खनिज भंडार" भी कहा जाता है और यहाँ कई बड़े उद्योग स्थापित हुए हैं।

सबसे प्रमुख उद्योग इस्पात उद्योग है। जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील देश के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण इस्पात संयंत्रों में से एक है। इसके साथ ही बोकारो स्टील प्लांट भी राज्य की औद्योगिक पहचान को मजबूत करता है। इन उद्योगों ने बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराया है और राज्य की अर्थव्यवस्था को स्थिरता दी है।

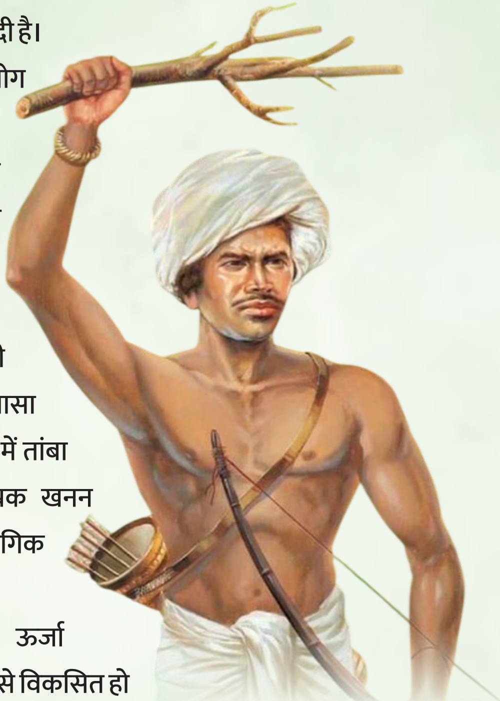

झारखण्ड में खनन उद्योग भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। धनबाद कोयला क्षेत्र देशभर में प्रसिद्ध है और कोल इंडिया की सहायक कंपनियाँ यहाँ बड़े स्तर पर खनन करती हैं। इसके अलावा चाईबासा में लौह अयस्क, सिंहभूम में तांबा तथा हजारीबाग में अभ्रक खनन महत्वपूर्ण औद्योगिक गतिविधियाँ हैं।

इसके साथ ही, ऊर्जा उत्पादन उद्योग भी तेजी से विकसित हो रहा है। बिजली उत्पादन के लिए थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो प्रोजेक्ट राज्य की ऊर्जा क्षमता को बढ़ाते हैं। उद्योगों के विकास में ऊर्जा की उपलब्धता अहम भूमिका निभाती है। हाल के वर्षों में आईटी, खाद्य प्रसंस्करण, सीमेंट और छोटे-मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्र में भी विस्तार देखा गया है। विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ), बेहतर सड़क नेटवर्क और कौशल विकास कार्यक्रमों के कारण नए निवेश आकर्षित हो रहे हैं।

हालाँकि, पर्यावरणीय चिंताएँ, भूमि अधिग्रहण की समस्याएँ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा जैसी चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं, फिर भी झारखण्ड के उद्योग राज्य को विकास के नए आयाम देने की क्षमता रखते हैं।

इन उद्योगों ने लाखों लोगों को रोजगार दिया है और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

3. ऊर्जा सुरक्षा में योगदान

भारत की ऊर्जा सुरक्षा में झारखण्ड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ बड़े पैमाने पर कोयला खनन होने के कारण देश के थर्मल पावर प्लांट बड़े पैमाने पर झारखण्ड के कोयले पर निर्भर हैं। झारखण्ड में नेतरहाट, तलचर, चन्द्रपुरा जैसे कई प्रमुख बिजली संयंत्र स्थित हैं। भविष्य में सौर और जलविद्युत परियोजनाओं के विकास की भी बड़ी संभावनाएँ हैं।

ऊर्जा किसी भी देश के विकास की नींव होती है और झारखण्ड इस नींव को मजबूत बनाए रखने में लगातार योगदान देता आया है।

4. आदिवासी संस्कृति और सामाजिक विविधता

झारखण्ड की सबसे बड़ी पहचान उसकी समृद्ध आदिवासी संस्कृति है। संथाल, मुंडा, उरांव, हो, असुर, बिरहोर जैसे जनजातीय समुदाय यहाँ की सांस्कृतिक आत्मा हैं। उनकी परंपराएँ, नृत्य, त्योहार, वेशभूषा और जीवनशैली भारतीय सांस्कृतिक विविधता को और रंगीन बनाती हैं।

छऊ नृत्य—अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध नृत्य शैली। सरहुल, करमा, सोहारी जैसे त्योहार—प्रकृति और समुदाय के प्रति सम्मान का प्रतीक। बिरसा मुंडा—भारत के जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक, जिनकी विरासत राष्ट्रीय स्तर पर प्रेरणा देती है। भारत की सांस्कृतिक बहुलता को संरक्षित रखने में झारखण्ड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

5. पर्यावरण और प्राकृतिक संपदा

झारखण्ड का लगभग 30% क्षेत्र वन है, जो इसे भारत के हरित राज्यों में शामिल करता है। इन वनों में साल, महुआ, आंवला, कुसुम, सागवान आदि पाए जाते हैं। साथ ही, यहाँ हाथी, हिरण, बाघ और कई दुर्लभ पक्षियों का प्राकृतिक आवास है। नेतरहाट को "भारत का स्विट्ज़रलैंड" कहा जाता है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान, पलामू टाइगर रिज़र्व, दामोदर घाटी, दुमका की पहाड़ियाँ—ये सभी भारत की पर्यावरणीय धरोहर हैं। इन प्राकृतिक संसाधनों ने भारत की पर्यावरण सुरक्षा, जैव विविधता और इको-टूरिज्म के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

6. कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था

यद्यपि झारखण्ड मुख्यतः खनिज और उद्योगों के लिए जाना जाता है, फिर भी कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था यहाँ के समाज की रीढ़ है। चावल, मक्का, दालें, अरहर और कई कंद-मूल यहाँ उत्पादित होते हैं। लाह, तसर रेशम, लकड़ी आधारित उद्योग ग्रामीण रोजगार का बड़ा स्रोत हैं। आदिवासी क्षेत्रों में पारंपरिक खेती और जैविक कृषि का विशेष महत्व है। इन कृषि गतिविधियों ने राज्य के लाखों लोगों को आजीविका दी है।

7. भू-राजनीतिक एवं सामरिक महत्व

झारखण्ड पूर्वी भारत के मध्य में स्थित है— एक ऐसा भूभाग जो पूर्व, उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला प्राकृतिक गलियारा बनाता है। यह स्थिति कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है:

1. पूर्वी भारत की लॉजिस्टिक कड़ी – झारखण्ड से होकर ही बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाले प्रमुख रेल और सड़क मार्ग गुजरते हैं।

2. खनिज पट्टी का केंद्र – दामोदर घाटी, सिंहभूम क्षेत्र और पलामू क्षेत्र भारत के समृद्धतम खनिज क्षेत्रों में शामिल हैं।

3. वन और पर्वतीय भूभाग – पलामू टाइगर रिज़र्व, नेतरहाट पठार, सारंडा और डोकाटा के जंगल सामरिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र हैं, जहाँ वन सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण तथा अंतर्देशीय सुरक्षा का संतुलन ज़रूरी है।

4. नक्सल प्रभावित क्षेत्र में केंद्रीय भूमिका – झारखण्ड लंबे समय से वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित रहा है। यहाँ की स्थिति को नियंत्रित करना पूर्वी भारत की आंतरिक सुरक्षा को स्थिर करता है।

इस प्रकार, भौगोलिक दृष्टि से झारखण्ड न केवल प्राकृतिक संसाधनों का केंद्र

है, बल्कि भारत की आंतरिक सुरक्षा और सामरिक संतुलन का भी एक प्रमुख स्तंभ है। यह राज्य पूर्वी भारत में औद्योगिक नेटवर्क का केंद्र, बड़े रेल और सड़क मार्गों का जंक्शन तथा कोयला और इस्पात के वितरण के लिए मुख्य मार्ग है। देश की आर्थिक गतिविधियों के सुचारू संचालन में यह क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

8. शिक्षा और अनुसंधान का केंद्र

झारखण्ड में कई प्रमुख शैक्षणिक संस्थान हैं:

- आई.आई.एम. रांची
- आई.एस.एम. धनबाद (अब आईआईटी धनबाद)
- बिट्स मेसरा
- नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय, राँची विश्वविद्यालय

इन संस्थानों ने भारत में तकनीकी, प्रबंधन और खनन अनुसंधान को बड़ा योगदान दिया है

9. चुनौतियाँ और अपार संभावनाएँ

झारखण्ड भारत के खनिज-समृद्ध राज्यों में से एक है, लेकिन अपनी प्राकृतिक संपदा के बावजूद यह कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। राज्य गठन के लगभग दो दशक बाद भी विकास की गति अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच पाई है।

पहली बड़ी चुनौती गरीबी और बेरोजगारी है। राज्य के खनिज संसाधन पर्याप्त होने के बावजूद स्थानीय लोगों को रोज़गार के अवसर सीमित रूप से मिलते हैं। उद्योगों में बाहरी मज़दूरों की अधिकता और कौशल-विकास की कमी इस समस्या को बढ़ाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बड़ी संख्या में लोग आजीविका के लिए पलायन करते हैं।

दूसरी प्रमुख चुनौती नक्सलवाद है। कई जिलों में नक्सली गतिविधियाँ लंबे समय से विकास योजनाओं के क्रियान्वयन को प्रभावित करती रही हैं। इससे सुरक्षा व्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है और निवेशक राज्य में उद्योग स्थापित करने से हिचकिचाते हैं।

तीसरी चुनौती शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की कमजोर स्थिति है। दूरदराज़ के इलाकों में स्कूलों और अस्पतालों की कमी, शिक्षकों तथा डॉक्टरों की अनुपस्थिति और मूलभूत सुविधाओं का अभाव मानव विकास सूचकांक को नीचे रखता है। परिणामस्वरूप राज्य की बड़ी आबादी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है।

चौथी चुनौती इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। सड़कों, बिजली, पेयजल और इंटरनेट जैसी सुविधाओं का समान वितरण नहीं हो पाया है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास दोनों प्रभावित होते हैं।

अंत में, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में पारदर्शिता की कमी तथा पर्यावरणीय क्षरण भी राज्य के लिए गंभीर मुद्दे हैं। खनन से होने वाला प्रदूषण, वन कटाई और विस्थापन स्थानीय समुदायों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार, समाज और उद्योगों को मिलकर समन्वित प्रयास करने होंगे, तभी झारखण्ड अपने वास्तविक संभावनाओं को पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकेगा।

झारखण्ड सिर्फ एक भूगोल या प्रशासनिक इकाई नहीं है, बल्कि यह भारत की औद्योगिक शक्ति, सांस्कृतिक विविधता, पर्यावरणीय धरोहर और ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार है। खनिजों से लेकर आदिवासी संस्कृति तक, जंगलों से लेकर तकनीक और उद्योग तक—झारखण्ड बहुआयामी महत्व रखता है। झारखण्ड वह राज्य है जो भारत के औद्योगिक इंजन, पर्यावरणीय फेफड़े, सांस्कृतिक विरासत और जनजातीय अस्मिता—इन सभी भूमिकाओं को एक साथ निभाता है। अतः इसकी उन्नति न केवल एक राज्य की उन्नति है, बल्कि भारतीय संघ की शक्ति, स्थिरता और समृद्धि का आधार भी है।

भारत की समग्र प्रगति में झारखण्ड की भूमिका अतुलनीय रही है और आने वाले वर्षों में यह भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण होने वाली है। भारतीय संघ में झारखण्ड का महत्व केवल उसके खनिजों, जंगलों, उद्योगों या भौगोलिक स्थिति तक सीमित नहीं है। यह महत्व उसकी जनजातीय विरासत, संघर्षों की गौरवशाली परंपरा, सांस्कृतिक विविधता, पर्यावरणीय धरोहर तथा राष्ट्रीय सुरक्षा में उसके योगदान से भी उत्पन्न होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि झारखण्ड भारत का वर्तमान भी है और भारत का भविष्य भी।

भारत में शहरी स्थानीय निकाय

कुंदन कुमार
वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी

भारत में शहरी क्षेत्रों में नगरपालिकाएँ (शहरी स्थानीय निकाय :श.स्था.नि.) जिन्हें संवैधानिक दर्जा प्राप्त है जमीनी स्तर पर सेवा प्रदाता (सड़क, बिजली, जल आपूर्ति, स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा), कल्याणकारी एजेंट (गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए सामाजिक कल्याण योजनाएँ लागू करना, जैसे गरीबों के लिए आवास, स्वास्थ्य सेवाएँ) और विकास सुविधाकर्ता (शहरी नियोजन, बुनियादी ढाँचा विकास जैसे पार्क, श्मशान, कब्रिस्तान और स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देना) के रूप में कार्य करती हैं और स्थानीय स्वशासन को मज़बूत करते हैं।

शहरी स्थानीय निकाय का इतिहास

स्थानीय स्वशासन की अवधारणा हमारे देश के लिए नई नहीं है। 300 ईसा पूर्व कौटिल्य (चाणक्य) के "अर्थशास्त्र" में राज्य द्वारा नियुक्त "नागरक" (नगर अधीक्षक) द्वारा नगर प्रशासन की बात की गई है जो विभिन्न नागरिक कार्य जैसे सड़कें, जल निकासी, कानून-व्यवस्था और नागरिकों के कल्याण की देखरेख करता था, जो आज के नगरपालिकाओं के कार्यों से मिलता-जुलता है।

यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत का वर्णन अपनी पुस्तक 'इंडिका' में किया। उसने पाटलिपुत्र जैसे नगरों के प्रशासन का वर्णन किया। जिसमें नागरिकों को विभिन्न समितियों में बांटा गया था, जो शिल्प, विदेशी, जन्म-मृत्यु, व्यापार, वस्तुओं की बिक्री और कर संग्रह जैसे विभिन्न कार्यों को देखती थीं, जो आधुनिक वार्ड समितियों के कार्यप्रणाली के समान थे।

ब्रिटिश काल

मद्रास शहर 1688 ई. में स्थापित होने वाला पहला नगर निगम था। 1726 ई. में दिए गए शाही चार्टर के द्वारा कलकत्ता और बॉम्बे नगर निगम बने। क्रमशः विभिन्न क्षेत्रों में और अधिक श.स्था.नि. स्थापित किए गए। नगरपालिका शासन की वर्तमान प्रणाली इस देश में ब्रिटिश सरकार द्वारा शुरू की गई थी। जिसे लॉर्ड रिपन (1882ई.) (जिन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है) ने आधुनिक रूप दिया।

भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक
लॉर्ड रिपन (1880-1884)

सामाजिक-राजनीतिक दायित्वों के कारण ही मुख्यतः इन शहरी स्थानीय सरकारों का निर्माण हुआ, ताकि शाही खजाने पर दबाव कम किया जा सके और स्थानीय निवासियों से कर और राजस्व संग्रह को सुगम बनाया जा सके।

लॉर्ड रिपन का प्रसिद्ध 1884ई. का अधिनियम शहरी भारत में स्थानीय लोकतंत्र के अग्रदूत के रूप में सर्वत्र स्वीकार किया गया। इस अधिनियम ने नगरपालिका संरचना, कार्यों और उत्तरदायित्वों में मूलभूत परिवर्तन लाए। बाद में, इस अधिनियम को बंगाल नगरपालिका अधिनियम 1932 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया।

मिंटो-मार्ले सुधार, 1909 ई. और मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 1919 ई. जब स्थानीय स्वशासन एक प्रांतीय हस्तांतरित विषय बन गया, ने शासन प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी को व्यापक बना दिया। 1935 ई. के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा प्रांतों को स्थानीय स्वशासन पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई।

भारतीय संविधान और शहरी स्थानीय निकाय

संविधान के लागू होने के साथ ही, देश की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्थिति का महत्त्व बढ़ता गया। सितंबर, 1954 ई. में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत एक केंद्रीय स्थानीय स्वशासन परिषद की स्थापना की गई। इसने स्थानीय स्वशासन पर नीतियों और कार्यक्रमों पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान किया।

74 वाँ संवैधानिक संशोधन

1992ई. में 74वें संविधान संशोधन (1993ई. में लागू) को पारित कर संवैधानिक दर्जा के साथ शहरी स्थानीय सरकारों के विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। 74वें संशोधन अधिनियम में पूरे देश में एक समान अनुपालन के लिए अनुच्छेद 243P से 243ZG को शामिल किया गया। श.स्था.नि. को तीन श्रेणियों (जनसँख्या के आधार पर) में वर्गीकृत किया गया (राज्यों में अलग-अलग नामकरण) :-

नगर निगम - बड़े शहरी क्षेत्र

नगरपालिकाएँ (नगर परिषद्) - छोटे शहरी क्षेत्र

नगर पंचायतें - संक्रमणकालीन क्षेत्र (शहरीकरण के दौर से गुज़र रहे ग्रामीण क्षेत्र)

किसी राज्य का राज्यपाल किसी क्षेत्र को श.स्था.नि. के रूप में अधिसूचित कर सकता है।

देश में लगभग 4638 श.स्था.नि. हैं जिसमें 269 नगर निगम (सबसे अधिक

महाराष्ट्र-29), 1937 नगर पालिका (नगर परिषद्) और 2432 नगर पंचायत हैं। भारत में सबसे अधिक श.स्था.नि. वाला राज्य तमिलनाडु (25 नगर निगम, 138 नगर पालिका और 490 नगर पंचायत) और सबसे कम (कुल सात) श.स्था.नि. वाला राज्य सिक्किम (एक नगर निगम, तीन नगरपालिका एवं तीन नगर पंचायत) है।

श.स्था.नि. कई वार्ड में विभक्त होते हैं। जैसे झारखण्ड के रांची नगर निगम के अंतर्गत कुल 55 वार्ड हैं। प्रत्येक वार्ड के नागरिक अपने वार्ड के लिए एक वार्ड पार्षद पांच वर्ष के लिए चुनाव करते हैं।

बृहन्मुंबई नगर ननगम (बीएमसी)

ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (पूर्व में मद्रास) नगर पालिका भारत की सबसे पुरानी नगरपालिका संस्था है, जिसकी स्थापना 29 सितंबर 1688 को हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 30 दिसंबर 1607 को एक चार्टर जारी किया गया था, जिसमें "फोर्ट सेंट लुईस टाउन" की स्थापना की गई थी। महाराष्ट्र के मुंबई शहर का बृहन्मुंबई (मुम्बई) नगर निगम (बीएमसी) भारत का सबसे अमीर नगर निगम है।

झारखण्ड में स्थित कुल 49 श.स्था.नि. की स्थिति इस प्रकार है:

श.स्था.नि.	आवश्यक जनसख्या	कुल
नगर निगम	1.5 लाख से अधिक	09
नगर परिषद्	40,000 और उससे अधिक और 1.5 लाख से कम	20
नगर पंचायत	12,000 से अधिक और 40,000 से कम	19
अधिसूचित क्षेत्र समिति, जमशेदपुर	----------	01
कुल		49

संगठनात्मक ढांचा: श.स्था.नि. के कार्यों और वित्तीय रूप से सुदृढ़ बनाने के लिये केंद्र स्तर पर आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय (MoHUA) एवं राज्य स्तर पर नगर विकास और आवास विभाग (UD&HD) (झारखण्ड राज्य के लिये) कार्य करता है। MoHUA, प्रत्येक वर्ष श.स्था.नि. के लिये राष्ट्रीय शहर रेटिंग भी प्रकाशित करता है, जिसमें भारत के सबसे स्वच्छ शहरों की रैंकिंग दी जाती है। वर्ष 2017 से लगातार इंदौर (फूड कैपिटल ऑफ इंडिया) को सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा दिया जा रहा है।

श.स्था.नि. में प्रत्येक वार्ड के लिए वार्ड पार्षद, नगर निगम में महापौर (मेयर)/उप- महापौर (डिप्टी मेयर), नगर परिषद् और नगर पंचायत के लिये अध्यक्ष/उपाध्यक्ष की नियुक्ति आम चुनाव के द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष पर किया जाता है।

नगर आयुक्त, नगर निगम के लिये और कार्यपालक पदाधिकारी/ प्रशासक, नगर परिषद् और नगर पंचायत के लिये प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। इसके अतरिक्त अन्य कई प्रकार के पद सृजित हैं।

शहरी स्थानीय निकाय के कार्य : भारतीय संविधान की 12 वीं अनुसूची श.स्था.नि. की शक्तियों, प्राधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है, जिसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। इस अनुसूची में 18 विषय शामिल हैं। श.स्था.नि. के द्वारा निकाय क्षेत्र में कुल अठारह कार्य किये जाते हैं, जो निम्न हैं:

क्र सं	कार्य	क्र सं	कार्य
1.	जन्म और मृत्यु पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण आँकड़े,	10.	भूमि-उपयोग और भवनों के निर्माण का विनियमन।
2.	झुग्गी बस्तियों का सुधार और उन्नयन	11.	घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए जल आपूर्ति
3.	बूचड़खानों और चमड़े के कारखानों का विनियमन,	12.	जन स्वास्थ्य, स्वच्छता संरक्षण और जल प्रबंधन
4.	पशुशालाएँ; पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम	13.	सांस्कृतिक, शैक्षिक और सौंदर्य संबंधी पहलुओं को बढ़ावा देना
5.	शवाधान और कब्रिस्तान, दाह संस्कार और श्मशान तथा विद्युत शवदाहगृह।	14.	विकलांगों और मानसिक रूप से मंद लोगों सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करना
6.	शहरी गरीबी उन्मूलन	15.	आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना बनाना
7.	पार्क, उद्यान, खेल के मैदान जैसी शहरी सुविधाओं और सुविधाओं का प्रावधान,	16.	सड़कें और पुल
8.	सार्वजनिक सुविधाएं जिनमें स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और सार्वजनिक सुविधाएं शामिल हैं।	17.	शहरी वानिकी, पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिक पहलुओं का संवर्धन
9.	नगर नियोजन सहित शहरी नियोजन	18.	अग्निशमन सेवाएँ

शहरी स्थानीय निकाय में लेखांकन

11वें केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक (सीएजी) के एक कार्यबल ने 'श.स्था.नि. के लिए लेखांकन और बजट पर रिपोर्ट' 2002 में जारी किया। इस रिपोर्ट में श.स्था.नि. के लिए डबल एंट्री अक्रूअल सिस्टम की सिफारिश की गई थी।

भारत सरकार ने 2004 में राष्ट्रीय नगर लेखा नियमावली (एन.एम.ए.एम) जारी किया, जिसमें उपार्जित लेखांकन (accrual accounting) निर्धारित किया गया था। राज्यों से अपेक्षा की गई थी कि वे एन.एम.ए.एम के अनुरूप नगरपालिका लेखा नियमावली जारी करें और उपार्जित लेखांकन सुधारों को लागू करें।

शहरी स्थानीय निकाय की लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखा-परीक्षक: श.स्था.नि.अपनी लेखाओं की जाँच के लिये स्वयं आंतरिक लेखा-परीक्षक की नियुक्ति करता है।

प्राइमरी ऑडिटर: राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राइमरी ऑडिटर 'स्थानीय

निधि लेखा परीक्षा निदेशक (डीएलएफए). श.स्था.नि. की लेखाओं की जाँच करते हैं।

सीएजी: सीएजी को श.स्था.नि. के खातों की नमूना जांच करने और सांविधिक लेखा-परीक्षक (प्राइमरी ऑडिटर) की रिपोर्ट पर टिप्पणी करने और उसे पूरक बनाने का अधिकार है, जैसा वह सीएजी (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 20 की उप-धारा (1) के तहत उचित समझे। महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण (टीजीएस) मॉड्यूल के तहत श.स्था.नि. का ऑडिट करता है। डीएलएफए और सीएजी द्वारा तैयार की गई लेखा परीक्षा रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाती है।

स्थानीय निधि लेखापरीक्षा कैडर (Local Audit Cadre) :

भारत के तीन राज्यों (बिहार, झारखण्ड एवं पश्चिम बंगाल) में स्थानीय निधि लेखापरीक्षा कैडर सीएजी के अन्दर कार्यरत है। देश में पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहाँ स्थानीय निधि लेखापरीक्षा कैडर के द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरणी का सर्टिफिकेशन ऑडिट किया जाता है। बाकि राज्य में यह कार्य प्राइमरी ऑडिटर (डीएलएफए) या चार्टेड अकाउंटेंट के द्वारा सम्पादित किया जाता है।

तकनीकी मार्गदर्शन एवं समर्थन (TGS)

लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम, 2020 के विनियम 120 के अंतर्गत, सीएजी श.स्था.नि.में लोक वित्त प्रबंधन एवं जवाबदेही को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से श.स्था.नि.के प्राइमरी ऑडिटर (डीएलएफए) को टीजीएस प्रदान कर सकता है। टीजीएस के मानदंड निम्नलिखित हैं:

- प्राइमरी ऑडिटर (डीएलएफए) प्रत्येक वर्ष मार्च के अंत तक अगले वित्तीय वर्ष के लिए एक वार्षिक लेखा-परीक्षा योजना तैयार करेगा;
- डीएलएफए द्वारा श.स्था.नि. की लेखापरीक्षा हेतु लेखा परीक्षा पद्धति और प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित विभिन्न अधिनियमों एवं विधियों तथा सीएजी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार होगी;
- निरीक्षण रिपोर्ट (आईआर) की प्रतियां डीएलएफए द्वारा प्रणाली सुधार पर सलाह के लिए महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को भी भेजी जाएंगी;
- डीएलएफए सलाह और निगरानी के लिए सीएजी द्वारा निर्धारित प्रारूप में रिटर्न प्रस्तुत करेगा;
- महालेखाकार (लेखापरीक्षा) तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए कुछ इकाइयों की नमूना जाँच करेगा और नमूना जाँच की रिपोर्ट कार्रवाई के लिए डीएलएफए को भेजी जाएगी;
- धन मूल्य पर ध्यान दिए बिना, किसी भी गंभीर अनियमितता की सूचना महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को दी जाएगी;
- डीएलएफए महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के परामर्श से अपने संगठन में आंतरिक नियंत्रण की एक प्रणाली विकसित करेगा;
- महालेखाकार (लेखापरीक्षा) डीएलएफए कर्मचारियों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण भी करेगा।

इसके अतिरिक्त, सीएजी के निर्देशन के अनुसार महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के द्वारा श.स्था.नि. के कार्यों का निष्पादन लेखापरीक्षा के साथ ही अठारह कार्यों में से प्रत्येक वर्ष किसी एक या अधिक कार्यों का फोकस्ड बेस्ड ऑडिट (कुछ जिलों का) भी किया जाता है।

सर्टिफिकेशन ऑडिट/फाइनेंसियल ऑडिट:

श.स्था.नि. के द्वारा तैयार किये गये वार्षिक वित्तीय विवरणी (Annual Financial Statement) की सर्टिफिकेशन ऑडिट राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राइमरी ऑडिटर (डीएलएफए) या चार्टेड अकाउंटेंट के द्वारा किया जाता है। सीएजी द्वारा श.स्था.नि. के ऑडिटेड वित्तीय विवरणी को जाँच करने का अधिकार है।

सामाजिक लेखापरीक्षा :

समय-समय पर श.स्था.नि. के द्वारा अपने नागरिक को दी जा रही सुविधाओं/ योजनाओं का सामाजिक लेखापरीक्षा भी किया जाता है।

झारखण्ड के श.स्था.नि. में पिछले कुछ वर्षों में किये गये महत्वपूर्ण सीएजी प्रतिवेदन:

1. झारखण्ड में श.स्था.नि. द्वारा जलापूर्ति, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा (31 मार्च 2016) ;
2. '74वें संविधान संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रभावकारिता' पर निष्पादन लेखापरीक्षा;
3. रांची शहर में सीवरेज और जल निकासी व्यवस्था के प्रबंधन पर लेखापरीक्षा;
4. हरमू नदी के पुनरुद्धार और संरक्षण पर लेखापरीक्षा;
5. झारखण्ड में श.स्था.नि. में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट (31 मार्च 2022)।

श.स्था.नि. में कार्यरत समिति:

(1) स्थायी समिति (2) जिला योजना समिति, (3) महानगर योजना समिति (4) नगर लेखा समिति (5) वार्ड समिति (6) क्षेत्रीय समिति (7) तदर्थ समिति (8) उप-समिति (9) विषय समिति (10) संयुक्त समिति (11) झारखण्ड राज्य नगर सलाहकार समिति (12) नगर सड़क तकनीकी समिति इत्यादि।

श.स्था.नि. में इन समितियों के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सुविधायें प्रदान की जाती है।

शहरी स्थानीय निकाय द्वारा सम्पादित केंद्रीय योजनाएँ: प्रधानमंत्री आवास योजना, NULM, SWM, AMRUT, 14 वीं वित्त आयोग/15 वीं वित्त आयोग अनुदान आदि।

शहरी स्थानीय निकाय को प्राप्त होने वाली राशि

श.स्था.नि. की आय के मुख्य स्रोत कर और गैर-कर राजस्व हैं। करों में संपत्ति कर, व्यावसायिक कर और विज्ञापन कर शामिल हैं, जबकि गैर-कर राजस्व में जल शुल्क, पार्किंग शुल्क, लाइसेंस शुल्क आदि आते हैं। इसके अलावा, नगर निकाय केंद्र और राज्य सरकारों से अनुदान, म्युनिसिपल बांड जारी करके या बैंक से ऋण लेकर भी धन जुटाते हैं।

केंद्रीय वित्त आयोगों द्वारा अनुशंसित अनुदान सहायता

संविधान का अनुच्छेद 280 केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के आवंटन (भारत की संचित निधि से) राज्यों को सहायता अनुदानों को नियंत्रित करने के सिद्धांतों के लिए एक केंद्रीय 'वित्त आयोग' के गठन का आदेश देता है।

वित्त आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में श.स्था.नि. के संसाधनों के पूरक के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करे।

केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा श.स्था.नि. को वर्ष 2001-25 तक प्रदान की गई राशि एवं प्रमुख अनुशंसाए निम्न प्रकार हैं -

वित्त आयोग	अवधि	रूपये (करोड़ में)	वित्त आयोग की अनुशंसा
11 वीं वित्त आयोग	2001-05	2,000.00	
12 वीं वित्त आयोग	2005-10	5,000.00	संपत्ति कर प्रशासन में सुधार के लिये भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) और डिजिटलीकरण के उपयोग को प्रोत्साहित करना।
13 वीं वित्त आयोग	2010-15	23,111.00	राज्यों की निष्पादन अनुदान पात्रता के लिये राज्य संपत्ति कर बोर्ड की स्थापना।
14 वीं वित्त आयोग	2015-20	87,143.00	खाली भूमि पर कर लगाने में सक्षम किया जाए।
15 वीं वित्त आयोग	2020-26	4,36,361.00	
16 वीं वित्त आयोग	2026-31		प्रक्रियाधीन है

झारखण्ड में राज्य वित्त आयोग की गठन की स्थिति :

श.स्था.नि. के वित्तीय स्थिति का आकलन और सिफारिश के लिये राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक पांच वर्ष पर निम्न प्रकार था :-

वित्त आयोग	अवधि	अनुशंसा
प्रथम वित्त आयोग	28 जनवरी 2004 से 27 जनवरी 2009	श.स्था.नि. को निधियों का हस्तानांतरण
द्वितीय वित्त आयोग	27 जनवरी 2009 से 27 जनवरी 2014	कोई अनुशंसा नहीं
तृतीय वित्त आयोग	28 जनवरी 2014 से 27 जनवरी 2019	
चतुर्थ वित्त आयोग	28 जनवरी 2019 से 27 जनवरी 2024	
पंचम वित्त आयोग	28 जनवरी 2024 से 27 जनवरी 2029	प्रक्रियाधीन है

डिजिटल उपस्थिति

अभिषेक कुमार नं. 1
सहा. लेखापरीक्षा अधिकारी

अब कागज़ नहीं, स्क्रीन बोलती है,
समय का लेखा स्वयं खोलती है।
एक क्लिक में दर्ज होता विश्वास,
ऑनलाइन उपस्थिति-नया प्रशासनिक आभास ॥

दूर होते हुए भी व्यवस्था पास,
डिजिटल पथ पर चलता है प्रयास।
समय पर लॉगिन, समय पर कार्य,
यही है आधुनिक अनुशासन का सार ।।

न चेहरे की छाया, न मौन संकेत,
डेटा ही बनता है साक्ष्य-संकेत ।
जहाँ तकनीक से जुड़ा उत्तरदायित्व,
वहीं पारदर्शिता का होता निवास।।

ऑनलाइन उपस्थिति केवल प्रक्रिया नहीं,
यह कार्य-संस्कृति का नव-स्वरूप है।
जहाँ अनुशासन तकनीक से मिले,
वहीं शासन का विश्वास मजबूत है।।

डिजिटल हस्ताक्षर कहता है यह बात-"समय
का सम्मान, आज भी सेवा की पहली शर्त है ॥

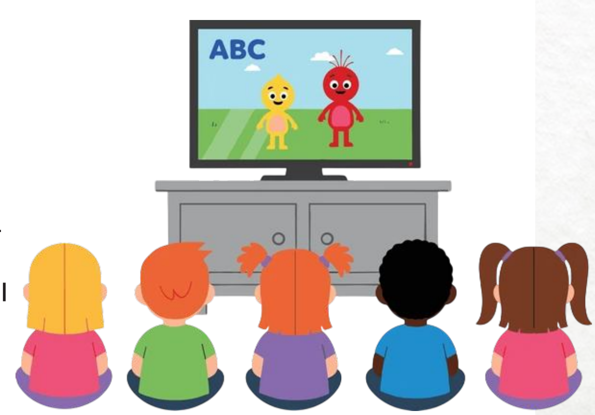

भाषायी विविधता

नितेश कुमार
सहा. लेखापरीक्षा अधिकारी

भाषायी विविधता (linguistic diversity) केवल भाषाओं की संख्या का विषय नहीं है, बल्कि समाज, संस्कृति, शिक्षा, राजनीति और अर्थव्यवस्था के व्यापक ताने-बाने में गहराई से जुड़ी अवधारणा है। भारत अपनी बहुसांस्कृतिक और बहुभाषिक प्रकृति के कारण भाषायी विविधता का एक आदर्श प्रयोगशाला है। यहाँ न केवल कई भाषा परिवार (Indo-Aryan, Dravidian, Tibeto-Burman, Austro Asiatic आदि) मौजूद हैं, बल्कि उनकी बोलियाँ, उपभाषाएँ और लिपियाँ भी अत्यंत विविध हैं।

हालाँकि भाषायी विविधता हमारी सांस्कृतिक समृद्धि का प्रमुख स्तंभ है, लेकिन यह एक चुनौतिपूर्ण वास्तविकता भी बन सकती है — विशेकर शिक्षा नीति, सार्वभौमिक संचार, डिजिटल समावेशन और भाषा संरक्षण के संदर्भ में।

1. भाषायी विविधता का महत्व

1.1 सांस्कृतिक और पहचान दृष्टि

भाषा किसी भी समाज की पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है। यह न सिर्फ संवाद का साधन है, बल्कि उसमें उस क्षेत्र की संस्कृति, इतिहास और परंपराओं का प्रतिबिंब होता है। भारत जैसे देश में जहाँ विभिन्न क्षेत्रों में अलग- अलग भाषाएँ बोली जाती हैं, वहीं भाषा विविधता यह दिखाती है कि हमारी एकता "विविधता में एकता" के सिद्धांत पर आधारित है। भाषा के जरिए लोककथाएँ, लोकगीत, मुहावरे, कहावतें और कहानियाँ पीढ़ियों तक संचारित होती हैं। जब भाषाएँ जीवित रहती हैं, तब हमारी सांस्कृतिक धरोहर भी जीवित रहती है।

1.2 शैक्षणिक दृष्टि

मातृभाषा (mother tongue) में शिक्षा देना बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अध्ययन बताते हैं कि बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता और समझ उस भाषा में बेहतर होती है जिसे वे घर पर बोलते हैं। भाषायी विविधता होने पर शिक्षा प्रणाली में बहुभाषी पाठ्यक्रम बनाना पड़ता है। इससे न केवल सांस्कृतिक समावेशिता बढ़ती है, बल्कि अधिक प्रभावी शिक्षा भी संभव होती है। विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और शैक्षणिक प्रकाशनों में भाषायी विविधता यह सुनिश्चित करती है कि विभिन्न भाषाओं में ज्ञान उत्पन्न हो और साझा किया जाए।

1.3 सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि

भाषायी विविधता सामाजिक समरसता (social cohesion) के लिए चुनौती हो सकती है। लेकिन यदि इसका सही प्रबंधन हो, तो यह राष्ट्रीय एकता का माध्यम भी बन सकती है। भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनकी भाषा को सम्मान देना लोकतांत्रिक समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। राजनीति में भाषाई मुद्दे अक्सर महत्वपूर्ण होते हैं: भाषाओं को मान्यता देने, शिक्षा और सरकारी कामकाज में उनकी भूमिका सुनिश्चित करने जैसी मांगें समय-समय पर उठती रहती हैं।

1.4 आर्थिक और विकास दृष्टि

भाषायी विविधता का अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता है। जब विभिन्न भाषाओं में सामग्री, वाणिज्यिक संचार, मार्केटिंग या सेवाएँ उपलब्ध होती हैं, तो यह कंपनियों के लिए नए बाजार खोल सकती है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) में बहुभाषी समर्थन (मल्टीलैंग्वेज सपोर्ट) आर्थिक अवसर पैदा करता है, जैसे ऐप्स, वेब साइट्स और सेवा पोर्टल्स में स्थानीय भाषा विकल्प। अनुवाद, भाषा संरक्षण और भाषा तकनीक (जैसे मशीन ट्रांसलेशन) में काम करने के लिए नौकरियों और शोध के अवसर बनते हैं

2. भारत में भाषायी विविधता — वस्तुगत परिदृश्य

2.1 संविधान और कानूनी मान्यता

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ये 22 भाषाएँ हैं: असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगू, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोड़ो,

मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। यह कानूनी मान्यता उन भाषाओं को आधिकारिक या संवैधानिक स्तर पर संरक्षण और संवर्धन का अधिकार देती है। "शास्त्रीय भाषा" का दर्जा भी कुछ भाषाओं को मिला हुआ है, जो उनकी प्राचीन और साहित्यिक महत्ता को दर्शाता है।

2.2 भाषाओं की संख्या और स्थिति

भारत में केवल संविधान की मान्यता प्राप्त भाषाएँ ही नहीं हैं, बल्कि बहुत अधिक बोलियाँ और स्थानीय भाषाएँ भी हैं। 2011 की जनगणना में लगभग 121 भाषाओं को उस तरह से दर्ज किया गया है, जिनकी मातृभाषा में

बोलने वालों की संख्या पर्याप्त है।

इन बोलियों में कई ऐसी भाषाएँ या बोलियाँ हैं जो सिर्फ कुछ जिलों या इलाकों में ही बोली जाती हैं और उनका अस्तित्व हमेशा जोखिम में रहता है। राजभाषा, शिक्षा की माध्यम भाषा और स्थानीय भाषा के बीच संतुलन बनाना एक जटिल काम है — सरकारों, शैक्षणिक संस्थानों और सामाजिक संगठनों को मिलकर काम करना पड़ता है।

2.3 भाषा संघर्ष और भाषा राजनीति

भाषायी पहचान अकसर राजनीतिक पहचान के साथ जुड़ी होती है। राज्यों की भाषा नीतियाँ और भाषायी मुद्दे चुनावी एजेंडा भी बनते हैं। कुछ क्षेत्रीय भाषाओं को अधिक अधिकार मिलने की मांग होती है — जैसे शिक्षा, सरकारी नौकरियों और मीडिया में उनकी उपस्थिति बढ़ाने की। दूसरी ओर, कुछ लोग एक "राष्ट्रीय भाषा" की अवधारणा की वकालत करते हैं, जिससे हो सकता है कि कुछ भाषाओं को वरीयता मिल जाए और इससे सांस्कृतिक असंतुलन भी बढ़े।

2.4 व्यावहारिक चुनौतियाँ

बहुत सी भाषाएँ आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं और जिससे उनकी साहित्यिक या तकनीकी सामग्री सीमित हो सकती है। अनुवाद और सामग्री निर्माण में संसाधन की कमी हो सकती है, जिससे भाषा संरक्षण कठिन हो जाता है। ऑनलाइन और डिजिटल दुनिया में बहुत-सी भाषाओं के लिए स्वचालित अनुवाद, कीबोर्ड सपोर्ट और टेक्स्ट-टू-स्पीच जैसी सुविधाएं अभी भी सीमित हैं।

3. आधुनिक युग में भाषायी विविधता — चुनौती और अवसर

3.1 भाषा और तकनीक

मशीन ट्रांसलेशन और एआई: हाल के वर्षों में, टेक्नोलॉजी ने भाषायी विविधता को संभालने में एक बड़ा उपकरण प्रदान किया है। उदाहरण के लिए, IndicTrans2 मॉडल बनाया गया है जो भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं के लिए अनुवाद की सुविधा देता है।

स्वर पहचान (ASR): विभिन्न उच्चारण (accents) की पहचान और मान्यता में भी कंप्यूटिंग चुनौतियाँ हैं — जैसे हाल ही में 'LAHAJA' नामक एक मल्टी-ऐक्सेंट बेंचमार्क बनाया गया है, जो हिंदी के विभिन्न क्षेत्रीय उच्चारणों को मॉडल करने में मदद करता है।

डिजिटल सामग्री निर्माण: वेबसाइट्स, ऐप्स और सेवाओं में बहुभाषी इंटरफेस डिजाइन करना आवश्यक हो गया है, ताकि लोग अपनी मातृभाषा में जानकारी प्राप्त कर सकें।

3.2 भाषा ह्रास (Language Endangerment)

कई लोक भाषाएँ और बोलियाँ समय के साथ लुप्त होती जा रही हैं, क्योंकि नई पीढ़ी शहरों में जाती है और मुख्यधारा की भाषाओं को प्राथमिकता देती है। भाषा संरक्षण के लिए पारंपरिक साहित्य, लोकगीत, कहानियाँ और बोलियाँ रिकॉर्ड करना और उन्हें डिजिटल रूप देना बहुत ज़रूरी है। सामुदायिक स्तर पर भाषा साक्षरता और भाषा प्रचार गतिविधियाँ (जैसे भाषा पाठशालाएँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम) बढ़ायी जानी चाहिए।

3.3 सामाजिक समावेशिता और शिक्षा नीतियाँ

बहुभाषी शिक्षा मॉडल (multilingual education) को स्कूलों में बढ़ावा देना चाहिए, ताकि छात्रों को उनकी मातृभाषा में पढ़ने का अवसर मिले। राज्य और केंद्र सरकारों को भाषा संरक्षण और संवर्धन के लिए नीतिगत उपाय करने चाहिए — जैसे अनुदान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अनुवाद परियोजनाएँ। स्थानीय समुदायों को अपनी भाषा में सामग्री बनाने और साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए — यह उनकी भाषा की समानता और गरिमा को बनाए रखता है।

3.4 भाषा राजनीति और समावेश

भाषा की पहचान राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा हो सकता है । साथ ही, भाषाई समूहों की मांगें जैसे उनकी भाषा को सरकारी कामकाज या शिक्षा में शामिल करना, लोकतंत्र और एकता पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव डाल सकती हैं।

भाषायी विविधता को समझदारी से प्रबंधित करने से सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा मिल सकता है। यह जरूरी है कि भाषाई अल्पसंख्यकों की आवाज़ सुनी जाए और उनकी भाषा को संरक्षण मिले। राष्ट्रीय स्तर पर हमें यह संदेश देना चाहिए कि भाषाई विविधता हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी ताकत है।

4. वर्तमान चुनौतियाँ और उदाहरण

4.1 मातृभाषा में शिक्षा की कमी

कई प्रांतों और जिलों में मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध न होना एक गंभीर समस्या है। माता–पिता और शिक्षक दोनों ही कभी–कभी अंग्रेजी या

“मुख्यधारा की भाषा” को प्राथमिकता देते हैं, यह सोचकर कि इससे भविष्य में बेहतर अवसर मिलेंगे। इसके चलते कई लोकभाषाएँ धीरे–धीरे पिछड़ जाती हैं, क्योंकि नई पीढ़ी उन्हें नहीं सीखती।

4.2 अनुवाद और टेक्नोलॉजी की बाधाएँ

अनुवाद की गुणवत्ता हमेशा अच्छी नहीं होती — खासकर अनौपचारिक भाषाओं या बोलियों में। टेक्स्ट, ओडियो और वीडियो सामग्री को बहुभाषी बनाना महंगा हो सकता है। कम प्रतिनिधित्व वाली भाषाओं के लिए डेटा की कमी (जैसे कॉर्पस, शब्दकोश) है, जो मशीन लर्निंग मॉडल बनाने में बाधा बनती है।

4.3 आर्थिक और संसाधन सीमाएँ

भाषा संरक्षण और प्रचार के लिए जरूरी संसाधन (पैसे, मानव शक्ति) हमेशा उपलब्ध नहीं होते। सरकारी बजट सीमित हो सकता है और प्राथमिकता देने में चुनौती आ सकती है — कौन सी भाषा पहले हो, यह तय करना कठिन हो सकता है। भाषा प्रेरित व्यवसाय (जैसे अनुवाद, भाषा शिक्षण) अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक रूप से विकसित नहीं हुई हैं, खासकर ग्रामीण या पिछड़े इलाकों में।

4.4 सामाजिक तनाव और असमानता

भाषायी पहचान कभी-कभी जातीय, क्षेत्रीय या सांस्कृतिक विभाजन के साथ जुड़ जाती है। यह तनाव और विभाजन का कारण बन सकती है। कुछ भाषाएं अधिक “पावरफुल” या प्रतिष्ठित मानी जाती हैं — जिससे उनकी बोलने वालों को अधिक सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक लाभ मिलते हैं। भाषायी अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा में सरकारी सेवाओं, न्याय और शिक्षा तक पहुंच बंद होती दिख सकती है, यदि उनकी भाषा को पर्याप्त मान्यता न मिले तो।

5. भाषायी विविधता को बढ़ावा देने के लिए सुझाव

5.1 शिक्षा और पाठ्यक्रम सुधार

बहुभाषी शिक्षा मॉडल (Multilingual Education): स्कूलों में शुरुआत से ही छात्रों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने की व्यवस्था हो। इसके लिए पाठ्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षा सामग्री का विशेष विकास किया जाना चाहिए।

भाषा पाठशालाएँ और क्लबहाउस: समुदाय आधारित भाषा पाठशालाएँ बनानी चाहिए, जहाँ वयस्क और बच्चे दोनों ही अपनी मातृभाषा सीखें और उपयोग कर सकें।

शिक्षक प्रशिक्षण: शिक्षकों को मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए ताकि वे न सिर्फ भाषा पढ़ा सकें, बल्कि भाषा-संवर्धन के महत्व को भी समझाएँ।

5.2 टेक्नोलॉजी और नवाचार

मशीन ट्रांसलेशन और अनुवाद मॉडल: अधिक सशक्त और सटीक अनुवाद मॉडल विकसित करने की दिशा में काम करना चाहिए, जैसे IndicTrans2 जैसी परियोजनाएँ।

स्वर पहचान प्रणाली (ASR): विभिन्न उच्चारणों के लिए प्रणालियाँ बनानी चाहिए, जैसे LAHAJA प्रोजेक्ट ने दिखाया है कि हिंदी में कई ऐक्सेंट हैं।

डिजिटल सामग्री: वेबसाइट, ऐप और सेवा पोर्टल्स में बहुभाषी इंटरफेस को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि अधिक लोग अपनी भाषा में जानकारी और सेवाएँ उपयोग कर सकें।

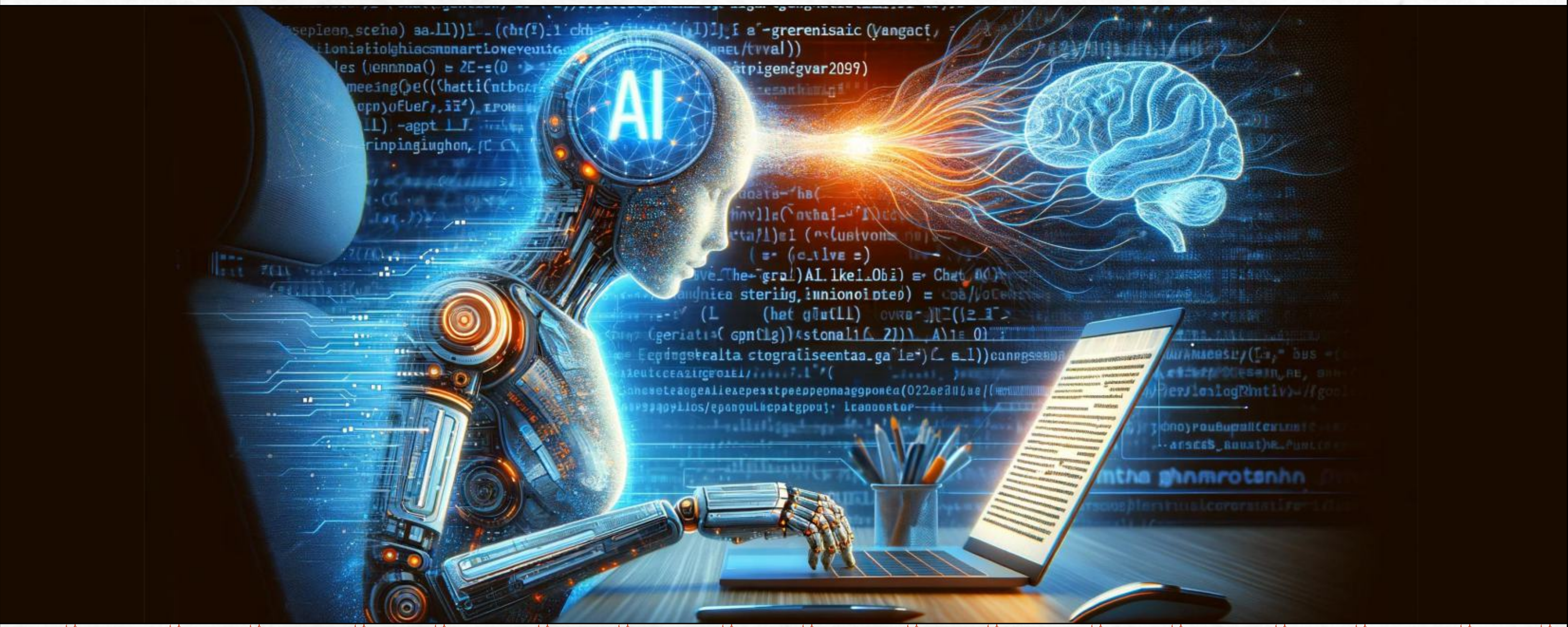

5.3 नीति और प्रशासन

भाषा संरक्षण नीतियाँ: केंद्र और राज्यों को मिलकर ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए जो लुप्त होती भाषाओं को संरक्षित करें — अनुदान, सांस्कृतिक परियोजनाएँ और भाषा संरक्षण कार्यक्रम।

सरकारी दस्तावेज़ और अनुवाद: महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज़ों और संविदाओं को विभिन्न भाषाओं में अनुवादित किया जाना चाहिए, जिससे विभिन्न भाषायी समूहों को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में समान भागीदारी मिले।

भाषा समावेश समितियाँ: राज्य स्तर और जिला स्तर पर भाषा समावेश समितियाँ बनानी चाहिए, जिनमें भाषा विज्ञानियों, शिक्षकों, नीति निर्माताओं और स्थानीय समुदायों के प्रतिनिधि शामिल हों।

5.4 सामाजिक जागरूकता और संस्कृतिक पहल

भाषा समारोह और महोत्सव: भाषायी समूहों के लिए सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित किए जाने चाहिए जहाँ लोकगीत, कहानियाँ और पारंपरिक साहित्य साझा किया जाए।

मीडिया और साहित्य समर्थन: स्थानीय भाषाओं में फिल्म, नाटक, पुस्तकें और ऑनलाइन सामग्री का उत्पादन प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

युवा भागीदारी: युवाओं को अपनी मातृभाषा में काम करने, लिखने, बोलने और डिजिटल सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करें। यह भाषा की जीवंतता बनाए रखने में सहायक होगा।

6. भविष्य की संभावनाएँ और निष्कर्ष

6.1 भविष्य की दिशा

जैसा कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, भाषा संरक्षण और विविधता को बढ़ावा देने के लिए हमारे पास अधिक अवसर होंगे। AI, मशीन लर्निंग और बड़े डेटा मॉडल भाषा संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

वैश्विक संदर्भ में, भारत की भाषायी विविधता एक विश्व मॉडल बन सकती है। यदि हम विभिन्न भाषाओं में डिजिटल और शैक्षणिक सामग्री तैयार कर सकते हैं, तो न सिर्फ भारत बल्कि अन्य बहुभाषी देशों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं।

समाज में भाषा समावेशिता को बढ़ावा देने से सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी — यह दिखाता है कि हमारी विविधता हमारा विभाजन नहीं, बल्कि हमारी शक्ति है।

6.2 निष्कर्ष

भाषायी विविधता न सिर्फ भारत की सांस्कृतिक धरोहर है, बल्कि यह हमारे समाज, अर्थव्यवस्था और शासन की नींव है। यह चुनौती लेकर आती है — शिक्षा, प्रशासन और तकनीक में। लेकिन, साथ ही यह अपार अवसर भी प्रदान करती है।

अगर हम बहुभाषी शिक्षा, टेक्नोलॉजी-समर्थन और समावेशी नीतियों को अपनाएं, तो हम अपनी भाषाओं को न केवल संरक्षित कर सकते हैं, बल्कि उन्हें समृद्ध भी बना सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि भाषा केवल संवाद का जरिया नहीं है — यह हमारी पहचान, हमारी सोच और हमारी एकता का प्रतिबिंब है।

विविधता में एकता का भारत तब ही सचमुच साकार हो सकता है, जब हम अपनी भाषायी विविधता को गर्व से स्वीकार करें और उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवित रखे।

माँ के आँचल से गंगा तक: एक आत्मिक यात्रा

सोनू कुमार सिंह
डी. ई. ओ.

कभी-कभी जीवन में एक ऐसी यात्रा होती है जो केवल दूरी तय करने की कहानी नहीं होती, बल्कि भीतर के मौन को आवाज़ देने का माध्यम बन जाती है। यह वही यात्रा थी। 15 अगस्त की प्रातः जब आकाश हल्के बादलों से ढका था और हवा में स्वतंत्रता दिवस का उल्लास घुला था। हम चार लोग — मैं, मेरे माता-पिता और मेरी धर्मपत्नी — एक ऐसी रेलयात्रा पर निकलने वाले थे, जो हमारे जीवन की स्मृतियों में हमेशा के लिए अंकित हो जानी थी।

राँची स्टेशन पर उस सुबह हल्की हलचल थी। प्लेटफ़ॉर्म पर चाय के कपों से उठती भाप और बच्चों की हँसी के बीच माँ का चेहरा शांति से दमक रहा था। वह हमेशा की तरह यात्राओं से पहले थाली में चावल और तिलक लेकर खड़ी थीं — "भूलना मत, रास्ते में हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ लेना," उन्होंने स्नेह से कहा। उनकी आँखों में ईश्वर का विश्वास था और उस क्षण मुझे लगा कि यह यात्रा केवल स्थानों की नहीं उनके आशीर्वाद की भी है।

ट्रेन धीरे-धीरे प्लेटफ़ॉर्म से खिसकने लगी। खिड़की के पार गुजरते पेड़, गुजरते स्टेशन और गाँव की मिट्टी की गंध — सब मिलकर जैसे कोई पुरानी स्मृति जीवित कर रहे थे। माँ ने थैले से घर का बना पराठा निकाला और प्रेम से कहा, "बाज़ार का मत खाना, घर का स्वाद हर जगह नहीं मिलता।" पिता जी मुस्कुरा दिए — "तुम्हारे बिना यह सफ़र आधा भी नहीं होता।" धर्मपत्नी ने धीरे से पानी की बोतल बढ़ाई और मैं सोचने लगा कि सच में, परिवार ही तो सबसे बड़ा तीर्थ है।

यात्रा का पहला पड़ाव था पटना

यह शहर मेरे जीवन का एक अध्याय था — वही जगह जहाँ कभी मैंने अपने सपनों को आकार देने की कोशिश की थी। जब ट्रेन ने पटना जंक्शन पर प्रवेश किया, तो मुझे याद आया। यह वही प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ कभी मैं अकेला उतरा था, नौकरी की तैयारी के लिए, एक नए भविष्य की तलाश में।

माँ और पिता जी के साथ उतरते ही स्टेशन की आवाज़ें जैसे किसी पुराने गीत की धुन बन गईं। रिक्शा से हम बोरिंग रोड की ओर बढ़े। वही जगह जहाँ कभी दिन-रात किताबों और उम्मीदों के बीच जीवन चलता था। उस गली में लौटना किसी पुराने मित्र से मिलने जैसा था। धर्मपत्नी ने मुस्कुराकर पूछा, "यहीं पढ़ाई करते थे न आप?"

मैंने कहा, "हाँ, यहीं कई सपने गिरे और फिर खड़े हुए।"

उस शाम हम पटना के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर पहुँचे।

माँ के चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। जैसे ही उन्होंने आरती की थाली उठाई, उनकी आँखों से आँसू की एक बूँद छलक गई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा — "बेटा, भगवान जब बुलाते हैं, तो वो हमारे भीतर भी उतर जाते हैं।" मैं उनकी ओर देखता रह गया।

माँ के आँचल में जो आस्था थी, वही शायद मेरे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति थी। मंदिर की घंटियाँ बज रही थीं और भीतर आरती की धुन गूँज रही थी — "जय हनुमान ज्ञान गुन सागर..."।

उस क्षण मुझे एहसास हुआ कि पटना केवल एक शहर नहीं, बल्कि मेरे जीवन की तपस्या का साक्षी है। वहीं गलियाँ, वहीं दीघा घाट की ठंडी हवा — जहाँ कभी अकेले बैठकर भविष्य के सपनों के साथ बातें की थीं। अब उसी स्थान पर जो पहले से बहुत रमणीक मरीन ड्राइव बन गया। माँ-पिता और धर्मपत्नी के साथ होना, एक नई शांति का अनुभव था।

रात को बोरिंग रोड के एक छोटे से कमरे में हम बैठे थे। माँ ने अपना दुपट्टा सिर पर डालते हुए कहा,"देखो बेटा, यहाँ जब तू अकेला था, तब मैंने हर रोज़ भगवान से यही प्रार्थना की कि तू सही राह पर बना रहे। आज जब हम सब साथ हैं, तो मुझे लगता है कि भगवान ने मेरी हर पुकार सुन ली।"

उनके शब्दों ने मन के भीतर कोई गहरी डोर छेड़ दी।

पटना की सुबहें उस समय बिल्कुल अलग लग रहीं थीं हैं — चिड़ियों की आवाज़, हनुमान मंदिर से आती आरती और गंगा के किनारे ठंडी हवा।

माँ की आदत थी कि वो हर सुबह चुपचाप बालकनी में बैठ जातीं, आँखें मूँदकर मंत्र जपतीं। मैं देखता रहता। वो अपने भीतर किसी और लोक से संवाद कर रही हों जैसे। शायद यही माँ का प्रेम है — मौन में भी ईश्वर की उपस्थिति महसूस कर लेना।

तीन दिन हम पटना में रहे। दिन में परिवार के साथ पुराने स्थानों की सैर, शाम को गांधी मैदान या मरीन ड्राइव की सैर। माँ हर जगह बस यही कहतीं"बेटा, जगह बदलती रहती है, पर भगवान हर जगह वही रहते है।" उनके यह शब्द मेरे हृदय में गूंजते रहे।

आगे की राह — भक्ति की ओर

तीसरे दिन की रात, जब हम पटना से अयोध्या के लिए ट्रेन पकड़ने वाले थे, माँ ने प्रसाद की थैली सँभाली। मैंने पूछा,

"माँ, इतना सब ले जा रही हो?"

वो मुस्कुराईं — "जहाँ रामलला हैं, वहाँ खाली हाथ नहीं जाते। घर का प्रसाद भी भगवान को याद रहता है।"

उस क्षण रेल की सीटी बजी — यात्रा का नया अध्याय शुरू होने वाला था।

माँ ने अपने आँचल से मेरे माथे को छुआ, जैसे आशीर्वाद में ईश्वर का स्पर्श दे रही हों। मैंने खिड़की से बाहर झाँका — अँधेरे में दूर-दूर तक खेत, पेड़ और नदी चमक रहे थे। मन में एक ही भावना थी — अब हम केवल स्थान नहीं बदल रहे, बल्कि आत्मा के भीतर किसी गहराई तक उतर रहे हैं।

श्रद्धा की आँच और माँ के आँचल का साया

ट्रेन की खिड़की से भोर की लालिमा झाँक रही थी। जैसे-जैसे हम अयोध्या के करीब पहुँच रहे थे, माँ के चेहरे पर एक अद्भुत चमक उभर रही थी। उनकी आँखें बार-बार बंद हो जातीं और होंठों पर धीमे-धीमे "जय श्रीराम" फिसल जाता। पिता जी शांत बैठे थे — जैसे इस क्षण का इंतज़ार उन्होंने वर्षों से किया हो।

जब ट्रेन ने अयोध्या में प्रवेश किया, तो स्टेशन पर उतरते ही एक अलग-सी हवा ने स्वागत किया। हवा में भक्ति की गंध थी — जैसे हर श्वास में किसी अदृश्य उपस्थिति का आभास हो। शहर की गलियों में "जय श्रीराम" के जयघोष गूंज रहे थे और मंदिरों

की घंटियाँ एक निरंतरता में समय को पवित्र बना रही थीं।

माँ ने अपने थैले से प्रसाद निकाला, सिर ढका और कहा —

"चलो, आज वो दिन है जब जीवन का सबसे बड़ा दर्शन होगा।"

उनके शब्दों में कोई सामान्य उत्साह नहीं था, बल्कि एक ऐसी नर्मी थी जिसमें विश्वास की गहराई और प्रेम की ऊँचाई दोनों समायी थीं।

हनुमानगढ़ी — शक्ति का अनुभव

हमने सुना था कि प्रभु श्रीराम के दर्शन के पहले उनके परम भक्त हनुमान जी का दर्शन होना चाहिए, तो हमलोग हनुमानगढ़ी पहुँचे। वहाँ की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए माँ की साँसें थोड़ी थकान में बदलने लगीं, पर उनके चेहरे पर अडिग विश्वास था। "बेटा, जब मन सच्चा होता है तो चढ़ाई आसान लगती है," उन्होंने कहा, और धीरे-धीरे ऊपर तक पहुँच गईं।

मंदिर के द्वार पर पहुँचते ही हवा में गूंजती घंटियों और पुजारी के "जय बजरंगबली" के स्वर ने सब कुछ भर दिया। माँ ने थाली में फूल रखे, आँखें बंद कीं और हाथ जोड़े। उनके चेहरे की चमक ऐसी थी जैसे भीतर का सारा अंधेरा किसी अदृश्य प्रकाश से भर गया हो।

वहाँ बैठकर मैंने उन्हें देखा — उम्र के साथ झुकी हुई काया, पर भीतर अडिग शक्ति। मुझे लगा, यही तो हनुमान हैं — माँ के रूप में उपस्थित।

श्रीरामलला के दर्शन

हनुमानगढ़ी के बाद जैसे ही हम रामलला के मंदिर के निकट पहुँचे, भीड़ में भी एक शांति थी। लोग एक-दूसरे को रास्ता दे रहे थे, कोई धक्का नहीं, कोई शोर नहीं — बस भक्ति का प्रवाह। माँ का हाथ मेरे हाथ में था, लेकिन उस क्षण मुझे लगा कि जैसे मैं नहीं, वह मुझे नहीं, बल्कि भगवान खुद उन्हें आगे ले जा रहे हैं। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही एक अदृश्य कंपन ने पूरे शरीर को भर दिया। सामने बालरूप में श्रीराम विराजमान थे — चमकते, शांत और दिव्य। माँ ने हाथ जोड़कर धीरे से कहा — "बेटा, देखो... यही तो जीवन का सत्य है । सबकुछ यही से शुरू होता है और यहीं पर समाप्त।" उनकी आँखों से आँसू बह निकले। वो आँसू दुःख के नहीं थे, बल्कि आत्मा की मुक्ति के थे। मैं उन्हें देखता रहा । एक माँ, जो अपने बेटे को आशीर्वाद देती है और अब वही माँ अपने ईश्वर से मिल रही थी। वो क्षण स्थिर हो गया। मैंने देखा, पिता जी भी मौन थे। धर्मपत्नी ने धीरे से माँ के कंधे पर हाथ रखा। और मैं... बस उसी क्षण में खो गया। मुझे लगा — अगर भक्ति का कोई मूर्त रूप होता है, तो वो माँ की आँखों से बहते ये आँसू ही हैं।

सरयू तट की शाम

अयोध्या की शाम सरयू नदी के तट पर बिता दी। सूर्य डूब रहा था और पानी पर उसकी किरणें सोने की लहरों जैसी झिलमिला रही थीं। माँ ने आरती की थाली उठाई और धीरे-धीरे मंत्र गुनगुनाए। उनके स्वर में ऐसी कोमलता थी कि हवा तक रुक गई। पिताजी ने दीया जलाया, धर्मपत्नी ने आरती में साथ दिया। उस पल में मैंने महसूस किया — हम कहीं बाहर यात्रा नहीं कर रहे थे, हम अपने भीतर की यात्रा पर थे।

अयोध्या से मथुरा की यात्रा अलग ही थी। ट्रेन में हल्की धूप, खिड़की के बाहर खेत और माँ के हाथों में तुलसी माला। वो बार-बार कहतीं — "अब देखना, बिहारी जी के दर्शन होंगे तो मन शांत हो जाएगा।" मथुरा में प्रवेश करते ही हर दीवार, हर गली, हर मंदिर से कृष्ण-लीला की अनुभूति हो रही थी । हवा में बांसुरी की कल्पना तैर रही थी।

पहला दिन श्रीकृष्ण जन्मभूमि के दर्शन में बीता। भीड़ थी, पर भीतर पहुँचने के बाद जैसे समय ठहर गया। दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियाँ और मंदिर की गूंजती घंटियाँ — हर चीज़ एक कहानी कह रही थी।

माँ ने दीवार छूकर आँखें मूंद लीं। "देखो बेटा, यहाँ भगवान ने धरती पर जन्म लिया था... यहाँ मिट्टी भी पवित्र है।" उनके शब्दों ने मेरी आत्मा में कुछ पिघला दिया। माँ वहीं थोड़ी देर चुपचाप बैठीं और मैंने उनके चेहरे पर वो संतोष देखा जो शायद किसी साधक को सिद्धि के बाद ही मिलता है।

वृंदावन — बिहारी जी के चरणों में

अगले दिन हम वृंदावन पहुँचे। यहाँ की हवा ही कुछ और थी — मानो हर साँस में राधा-कृष्ण की मधुरता घुली हो। गलियाँ संकरी थीं, पर उनमें जीवन का विस्तार था। "राधे-राधे" की पुकार हर द्वार से आती थी। जब बिहारी जी मंदिर पहुँचे, तो माँ के कदम अपने आप धीमे हो गए। भीतर प्रवेश करते ही भीड़ में भी एक दिव्यता थी — जैसे कोई अदृश्य हाथ सबको एक लय में बाँधे हुए हो। और फिर, जब परदे हटे और बिहारी जी के दर्शन हुए — उस क्षण समय रुक सा गया। उनकी मुरली, मुस्कान और नेत्रों में भरी करुणा देखकर माँ की आँखों से आँसू बरस पड़े। वो काँपते हाथों से आरती की थाली उठाने लगीं। मैंने देखा, उनके आँसू बिहारी जी की मूर्ति के सामने गिर रहे थे, जैसे कोई फूल अर्पण हो रहा हो। उन्होंने धीमे स्वर में कहा"बेटा, जब भगवान खुद आँसुओं से भिगोते हैं, तब मन हल्का हो जाता है।" मैं कुछ नहीं कह सका, धर्मपत्नी भी निःशब्द थीं। वो क्षण किसी शब्द में बाँधा नहीं जा सकता। वो भक्ति नहीं थी, वो आत्मा का विसर्जन था।

प्रेम मंदिर की रात

उस रात हम प्रेम मंदिर गए। रात का आसमान, चाँदनी और रोशनी में नहाया हुआ मंदिर — जैसे स्वर्ग उतर आया हो। माँ ने चुपचाप हाथ जोड़कर कहा — "भगवान सब जगह हैं, पर जब मन निर्मल हो जाता है, तो वो दिखने लगते हैं।" उनका चेहरा उस रोशनी में इतना शांत लग रहा था कि मैं सोचने लगा । माँ स्वयं भक्ति का सबसे सुंदर रूप हैं।

अगले दिन, हम मथुरा से आगे की यात्रा के लिए तैयार हुए। अब दिशा थी आगरा और फिर वाराणसी की। ट्रेन में बैठते समय माँ ने बिहारी जी के प्रसाद के छोटे से पैकेट को अपने आँचल में बाँधा।

"इसे मैं गंगा जी में चढ़ाऊँगी," उन्होंने कहा, "ताकि यह यात्रा पूरी तरह पवित्र हो जाए।" मैंने माँ के चेहरे की ओर देखा — थकान थी, लेकिन उसके भीतर संतोष का सागर भी था। और मुझे लगा — यही तो भक्ति का अर्थ है। थकान में भी शांति, आँसुओं में भी आनंद।

आगरा — इतिहास की गोद में श्रद्धा का स्वर

मथुरा से निकलकर जब ट्रेन आगरा की ओर चली, तो माँ के चेहरे पर थकान के बावजूद एक संतोष भरी मुस्कान थी। वो खिड़की से बाहर झाँकती हुई बोलीं,"बेटा, कितनी जगहें हैं इस देश में... हर जगह कोई न कोई कथा बसती है। भगवान ने हमें इस धरती पर जन्म दिया, ये बहुत बड़ा वरदान है।" आगरा स्टेशन पर उतरते ही ताजमहल का ख्याल सबके मन में था। धर्मपत्नी के चेहरे पर उत्साह थी "माँ, आज आपको वो देखना है जिसे दुनिया प्रेम का प्रतीक मानती है।" माँ हल्के से मुस्कुराईं, "प्रेम तो भगवान में ही पूर्ण होता है, पर चलो, देखते हैं मनुष्यों ने कैसा रूप दिया है।"

जब ताजमहल के सामने पहुँचे, तो सफेद संगमरमर पर पड़ती धूप किसी दिव्य आभा जैसी लग रही थी। माँ ने एकटक उस भवन को देखा —"कितना शांत है, जैसे

समय यहाँ ठहर गया हो।" उनकी आँखों में किसी गहरे अर्थ की चमक थी। मैंने महसूस किया, वो ताज को केवल स्मारक नहीं, बल्कि प्रेम की तपस्या के रूप में देख रही थीं।

उन्होंने धीरे से कहा —"प्रेम चाहे ईश्वर के लिए हो या इंसान के लिए, अगर उसमें निस्वार्थता है, तो वो पूजा बन जाता है।" उनका यह वाक्य मेरे मन में गूंजता रहा। शायद ताजमहल देखने वाले अनगिनत लोग आते-जाते रहेंगे, पर माँ की वह एक पंक्ति सदा अमर रहेगी। शाम को जब हम आगरा फोर्ट पहुँचे, तो गंगा-जमुनी संस्कृति की हवा उस जगह पर महसूस हुई। पिता जी इतिहास की बातों में खो गए, और माँ पास बैठी सब देखती रहीं। धीरे से बोलीं — "इतिहास भी किसी माँ की गोद जैसा होता है, जो हमें बताता है कि हमने कहाँ से सीखा और कैसे आगे बढ़े।"

उस रात ट्रेन से वाराणसी की ओर प्रस्थान हुआ। माँ खिड़की के पास बैठीं, उनके हाथ में जपमाला थी।"अब यात्रा का अंतिम पड़ाव है," उन्होंने कहा,"जहाँ गंगा माँ हैं — और हर थकी आत्मा को विश्राम मिलता है।"

वाराणसी — गंगा के किनारे आत्मा का स्नान जब ट्रेन वाराणसी पहुँची, तो सुबह का धुंधलका था। गंगा के किनारे शहर जाग रहा था — आरती की ध्वनि, मंदिरों की घंटियाँ और आरंभ होते जीवन का संगीत। हम दशाश्वमेध घाट के पास ठहरे।

माँ खिड़की से बाहर देखती रहीं —"यही वो जगह है, जहाँ आत्मा स्वयं से मिलती है।"

काशी विश्वनाथ मंदिर

पहली ही सुबह हम काशी विश्वनाथ मंदिर गए। माँ ने अपने आँचल में प्रसाद, तुलसी और वह छोटा सा पैकेट रखा था जो वें वृंदावन से लायी थी — बिहारी जी का प्रसाद। उन्होंने कहा, "इस प्रसाद को गंगा में चढ़ाऊँगी, ताकि यात्रा पूर्ण हो जाए।"

मंदिर में प्रवेश करते ही वो पल वैसा ही था जैसा केवल काशी दे सकती है — एक गूंज, जो भीतर तक उतर जाती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए माँ के हाथ काँप रहे थे। उनकी आँखें बंद थीं और चेहरे पर वही पवित्र तल्लीनता — जैसे अब वो ईश्वर में विलीन हो गई हों। मैंने उनके पास खड़े होकर देखा — वो केवल प्रार्थना नहीं कर रहीं थीं, वो अपने जीवन की हर थकान, हर प्रसंग, हर आँसू — सब शिव के चरणों में रख रही थीं।

उन्होंने धीमे स्वर में कहा —"अब मन हल्का है, अब सब कुछ तुम्हारे भरोसे महादेव।" मुझे लगा, माँ उस क्षण केवल मेरी माँ नहीं रहीं — वो हर माँ का रूप थीं जो अपने बच्चों के सुख-दुख को भगवान में समर्पित कर देती है।

गंगा आरती — अंतिम आराधना

शाम को हम सब गंगा आरती में सम्मिलित हुए। सूर्य अस्त हो रहा था, आकाश लालिमा से भर गया था। घाटों पर दीपों की कतारें, पुजारियों के हाथों में थालियाँ और घंटियों का सामूहिक स्वर जैसे पूरा ब्रह्मांड आरती गा रहा हो। माँ ने हाथ जोड़कर आँखें बंद कीं। गंगा की हवा उनके चेहरे को छू रही थी, दीयों की रोशनी उनकी आँखों में झिलमिला रही थी। मैंने देखा, उनके आँसू धीरे से बह निकले पर इस बार वो आँसू दुःख के नहीं थे, वो पूर्णता के थे।

उन्होंने कहा —"बेटा, यह यात्रा अब पूर्ण हो गई। हर स्थान पर भगवान ने कुछ न कुछ दिया –

पटना में धैर्य, अयोध्या में श्रद्धा, मथुरा में प्रेम और यहाँ काशी में शांति।"

धर्मपत्नी उनके पास बैठी थीं, पिता जी मंत्रोच्चारण में लीन। मैंने गंगा की लहरों को देखा — वो जैसे माँ की गोद थीं — सब कुछ समेट लेतीं, सब कुछ पवित्र कर देतीं। आरती समाप्त हुई। दीप जलाकर माँ ने गंगा में प्रवाहित किया। वो दृश्य ऐसा था, जैसे कोई आत्मा अपने स्रोत में विलीन हो रही हो।

राँची की वापसी — माँ का मौन और ईश्वर की मुस्कान

अगले दिन जब ट्रेन राँची की ओर चली, तो मन में एक अजीब-सी शांति थी। कहीं कोई अधूरापन नहीं था। माँ खिड़की से बाहर देख रही थीं — पेड़, नदियाँ, खेत — सब उनके चेहरे पर उतरते जा रहे थे। उन्होंने कहा "देखो बेटा, जीवन भी एक यात्रा है। शुरू में उम्मीदें होती हैं, बीच में थकान और अंत में बस संतोष। अगर मन में भगवान का नाम बना रहे, तो हर सफ़र पवित्र बन जाता है।" उनके ये शब्द जैसे इस पूरी यात्रा का सार थे। धर्मपत्नी मुस्कुराईं, पिता जी आँखें मूँदे बैठे थे। ट्रेन की गति के साथ समय बहता गया। मैं सोचता रहा — इन दस दिनों में हमने केवल स्थान नहीं देखे, हमने आस्था का रूप देखा और उस रूप में सबसे उज्ज्वल था — माँ का प्रेम। वो प्रेम जो बिना माँगे देता है, बिना बोले समझता है, जो भगवान के सबसे निकट का रूप है। राँची स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी, तो माँ ने धीरे से कहा — "चलो, अब घर लौट आए। अब मन स्थिर है... जैसे भीतर कोई गंगा बह रही हो।" मैंने उनके पाँव छुए। उन्होंने सिर पर हाथ रखा और कहा —"भगवान का नाम लेते रहना, बेटा। वही सबसे सच्चा साथी है।"

समापन — माँ, तू ही मेरा तीर्थ

अब जब मैं इस यात्रा को स्मरण करता हूँ, तो समझ आता है — हम जहाँ-जहाँ गए, वहाँ भगवान ने दर्शन दिए, पर सबसे स्पष्ट रूप में वो माँ के प्रेम में मिले। माँ ही वह आराधना हैं जो कभी समाप्त नहीं होती। उनकी आँखों से बहते आँसू ही सबसे पवित्र गंगा हैं, उनका स्नेह ही सबसे उज्ज्वल दीप है। रामलला के दरबार से लेकर बिहारी जी की झाँकी तक और काशी की आरती से लेकर राँची की सुबह तक हर क्षण माँ के आँचल ने इस यात्रा को भक्ति में बदल दिया। अब मुझे लगता है, यात्राएँ सिर्फ़ स्थानों की नहीं होतीं, वो आत्मा के भीतर ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग होती हैं। और जब उस मार्ग पर माँ साथ हों, तो हर सफ़र — मोक्ष बन जाता है।

राजस्थान:
रेतीले धारों से लेकर झीलों की रौनक तक

पवन कुमार मीना
लेखापरीक्षक

थार मरुस्थल की सुनहरी रेत, लहराते रेतीले धारें और सूर्य की किरणों में सोने-से दमकते ऊँचे-ऊँचे बालू के टीले राजस्थान की विशिष्ट पहचान हैं। विशाल रेगिस्तानी माटी और विस्तृत भू-भाग न केवल इसे भारत का सबसे बड़ा राज्य बनाते हैं, बल्कि इसकी वीरता, संस्कृति और गौरवपूर्ण इतिहास इसे और भी विशिष्ट बनाते हैं।

राजस्थान, जिसका अर्थ है "राजाओं का स्थान," अपनी शौर्यगाथाओं के लिए प्रसिद्ध है। इस भूमि ने महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा जैसे पराक्रमी वीरों को जन्म दिया, जिनके त्याग, बलिदान और शौर्य के कारण राजस्थान को "शूरवीरों की धरती" के नाम से जाना जाता है।

यह प्रदेश केवल वीरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी अनोखी संस्कृति, लोकपरंपराओं और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण भी विशिष्ट है। यहाँ का प्रत्येक ज़िला अपनी विशिष्ट परंपराओं, लोककथाओं और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजे हुए है, जो राजस्थान को अन्य राज्यों से अलग और विशेष बनाती है।

बाँध और बैराज: पर्यटन और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्वितीय संगम

यूँ तो राजस्थान को मुख्यत: पानी की कमी के कारण पहचाना जाता है। इसके बावजूद, राजस्थान में कई महत्वपूर्ण बाँध और बैराज स्थित हैं, जिनमें भरे जलस्तर न केवल राज्य की जल–व्यवस्था को संबल देते हैं, बल्कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और मनोरम जलाशयों के कारण पर्यटन के लिए भी विशेष आकर्षण का केंद्र बनते हैं। इनमें मुख्यत: राणा प्रताप सागर बाँध चम्बल बाँध, रावतभाटा बाँध और कोटा बैराज शामिल है। जो न केवल जल–व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि पर्यटकों को अपनी शांत एवं मनमोहक जल-ध्वनियों से तथा आस पास उपस्थित प्राकृतिक सुंदरता अपनी ओर आकर्षित करते हैं।

किले—वीरता और वास्तुकला के अद्भुत प्रतीक

इतिहास प्रेमियों के लिए राजस्थान स्वर्ग से कम नहीं है, जहाँ हर किला, हर प्राचीर और हर महल अतीत की जीवंत कहानी कहता है। इनमें मुख्यत: मेहरानगढ़ का विशाल दुर्ग, जोधपुर का किला, आमेर किला, नाहरगढ़ और रणथम्भौर का किला शामिल है। इन सभी किलों को सुरक्षा की दृष्टि से पहाड़ी पर बनाया गया था। ऊंचाई पर होने के कारण इन किलो से सारे शहर दृष्टि का मनोरम दृश्य देखे जा सकते हैं।

रणथम्भौर किला पहाड़ी पर स्थित एक ऐतिहासिक गढ़ है, जिसकी ऊँचाई लगभग 700 फीट है। यहाँ से आसपास के जंगल और रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान का दृश्य दिखाई देता है। इतिहास में इसे कई बार घेरने की कोशिश की गई। लेकिन यह किला कभी आसानी से नहीं जीता गया, इसलिए इसे 'अजेय किला' कहा जाता है। किले के परिसर में स्थित जलाशय और चारों ओर फैले जंगल इसे न केवल इतिहास प्रेमियों बल्कि प्रकृति और रोमांच के शौकीनों के लिए भी आकर्षक बनाते हैं। पर्यटक यहाँ जंगल सफारी का आनंद लेकर वन्यजीवों और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत अनुभव ले सकते हैं।

इन सभी के साथ, कुम्भलगढ़ का किला विशेष महत्व रखता है। कुम्भलगढ़ किला अपनी लगभग 36 किलोमीटर लंबी दीवारों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जिसे ग्रेट वॉल ऑफ़ चाइना के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार माना जाता है। महाराणा प्रताप की वीरता से जुड़ा यह किला हर पर्यटक की 'ज़रूर देखने योग्य जगहों' में शामिल है। किले के परकोटे में स्थित विजय स्तंभ महान योद्धा की बहादुरी का प्रतीक है।

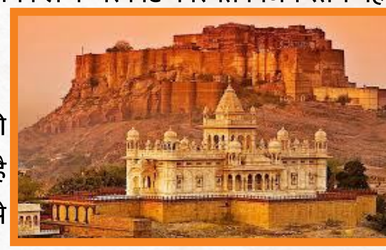

उदयपुर—पूर्व का वेनिस

राजस्थान की खूबसूरती का दूसरा प्रमुख अंग है झीलों की नगरी उदयपुर, जिसे 'ईस्ट का वेनिस' कहा जाता है। यहाँ की शांत और भव्य झीलें पर्यटकों को अद्भुत अनुभव प्रदान करती हैं। झील के मध्य स्थित सफेद संगमरमर से निर्मित "लेक पैलेस" नौका विहार के दौरान जब शाम में सूरज की रोशनी पानी पर सुनहरी चमक बिखेरती है, तो वह दृश्य अविस्मरणीय बन जाता है तथा रात में जब झील की लहरों पर महल की रंग विरंगी रोशनी गिरती है तो झील का दृश्य मनभावन हो जाता है और नौका सफर के आनंद को और अधिक कर देता है।

अरावली—प्रकृति प्रेमियों का स्वर्ग

राजस्थान में स्थित अरावली पर्वत शृंखला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत शृंखलाओं में से एक है। इसकी सबसे ऊँची चोटी गुरु शिखर प्रकृति और साहसिक पर्यटन प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ ट्रेकिंग का रोमांच अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। राजस्थान केवल किलों और रेगिस्तानों तक सीमित नहीं है। यहाँ का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू अरावली पर्वत शृंखला पर स्थित है, जहाँ प्राकृतिक सुंदरता, हरियाली और ठंडी हवा पर्यटकों को एक अच्छा अनुभव देती है। सामान्यत: यहाँ बर्फबारी नहीं होती किन्तु, प्रकति और मौसम यदि साथ दे, तो यहाँ बर्फबारी (snowfall) का आनंद भी लिया जा सकता है, जो राजस्थान के बारे में लोगों की सामान्य कल्पना से बिल्कुल विपरीत है।

अंततः राजस्थान केवल एक राज्य नहीं, बल्कि संस्कृति, साहस, कला, प्रकृति और इतिहास का भव्य संगम है। रेगिस्तान की शुष्कता से लेकर झीलों की शांति तक और वीर योद्धाओं की कथाओं से लेकर पर्वतों की ऊँचाइयों तक—हर कदम पर राजस्थान एक नया अनुभव देता है|

लड़कपन का खेल

किशोर कुमार राही
वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी

लड़कपन कोई समय मात्र नहीं होता—वह एक अनमोल व उदार मौसम होता है। जो दोबारा लौटकर तो नहीं आता, लेकिन जिसकी खुशबू हमेशा सांसों में बसी रहती है। बारिश की वह पहली बूंद, जो मिट्टी से मिलकर खुशबू बन जाती है; वह दोपहर की धूप, जो पेड़ों की छाँव को और ठंडा कर देती है; वह शाम, जो गली-गली में खेलते बच्चों की चीखों को घरों की खिड़कियों तक पहुँचा देती है। एक ऐसा समय जब दुनिया थोड़ी बड़ी लगती थी, सपने थोड़ा ऊँचे और हम थोड़े छोटे। उन दिनों में हर चीज़ में जादू था धूल में, बारिश में, खिलौनों में, झगड़ों में, मान जाने में और सबसे ज़्यादा खेलों में। लुका-छिपी, गिली-डंडा, कंचे, पिट्ठू, चोर-सिपाही हर खेल में एक दुनिया बसती थी। आज के बच्चे शायद इन खेलों के नाम भी ठीक से न जानते हों, पर हमारे वक्त में तो टोले का पूरा ब्रह्मांड इन्हीं में बसता था। वह ब्रह्मांड जिससे निकलकर आज भी मन भटक-भटककर वहीं चला जाता है। जैसे ही घरों में दुपहरिया की नींद शुरू होती, हम बच्चे चुपचाप बाहर निकल आते। माँ की चेतावनी—"बहुत धूप है, मत जाना!" और हमारी आदत—"थोड़ा-सा ही..." वह "थोड़ा-सा" हमेशा पूरे दिन में बदल जाता। शाम ढलते-ढलते मोहल्ले की गली हमारा मैदान बन जाती। धूल उड़ती, हंसी की आवाजें गूंजतीं और हर खेल के पीछे छिपी होती थी एक नई दोस्ती, एक नई सीख। उन्हीं दिनों के कुछ खेल, कुछ दोस्त और कुछ मिट्टी की महक लिये यह संस्मरण उसी सुनहरे काल की स्मृतियों का संग्रह है — उन खेलों का, जिन्होंने सिर्फ़ हमारा मनोरंजन ही नहीं किया, बल्कि हमें गढ़ा, हमें सिखाया और हमें वो बनाया जो हम आज हैं।

1. छुपन-छुपाई—डर भी, आनंद भी

शाम के धुँधलके में पेड़ के पत्तों के बीच से सूरज झाँकता था और हम गली के बच्चों का झुंड घर-घर के कोनों में समा जाते। गिनती करने वाला दीवार से चेहरा सटाए एक–दो–तीन की रट लगाता, आवाज़ में बच्चे की सख़्ती होती, मगर दिल में एक अजीब-सी उत्सुकता। कौन कहाँ छिपा होगा? किसकी हँसी पत्तों में फँसी होगी? किसकी सांस किसी दीवार की ओट में दबी होगी? हम आँख खोलकर दुनिया देखते— एक ऐसी दुनिया जिसमें सब गायब थे और हमारा काम उन्हें ढूँढकर फिर से "मौजूद" करना था। बाकी हम अपनी साँसें थामे, दबे पाँव, अंधेरे के किसी गुप्त कोने में, किसी भूरे पेड़ के पीछे, किसी पुरानी कार की छाँह में, किसी खिड़की की झिरी में अपने-आप को चुपचाप खो देते जैसे कोई चिड़िया अचानक पैंतरा रोक ले। गिनती खत्म होते ही खोज शुरू। जिसे सबसे पहले पकड़ लिया जाए वह अगली बार "धप्पा" लेता। अगर कोई खिलाड़ी छिपी जगह से निकलकर चुपचाप आकर "धप्पा!" बोल देता, तो वह बच जाता। कभी-कभी छुपने में इतनी तल्लीनता होती कि खोजने वाला थककर बैठ जाता और जब वह ढूंढ कर चिल्लाता "धप्पा!", तो हार भी एक हँसी में बदल जाती। इस खेल में डर भी था, रोमांच भी और छूट जाने की ख़ुशी भी।

छुप्पन-छुपाई सिर्फ छुपने का खेल नहीं था, इस खेल में छिपना सिर्फ शरीर का नहीं होता था—कभी-कभी सपने भी छिप जाते थे और साथियों को ढूंढते हुए लगता था जैसे हम दुनिया में एक-दूसरे का सहारा बन रहे हों। छिपे दोस्त को ढूंढ लेना ऐसी जीत लगती थी जैसे कोई रहस्य हल कर दिया हो। हर बच्चे का अपना पसंदीदा और गुप्त ठिकाना था—किसी का नीम का पेड़, किसी की पुरानी दीवार, किसी का पानी की टंकी, भैंसों की परछाई में, पड़ोसी के दरवाज़े के पास, बांस का झोपड़ा, खाट के नीचे तो किसी का आँगन की अँधेरी कोठरी। इस खेल का असली रोमांच अंधेरे में डर और खोजे जाने के बीच की दुविधा में था। खेल खत्म—फुसफुसाहट भी कभी-कभी जिंदगी बदल देती है।

2. कागज़ की नाव—सपनों का पहला सागर

पहली बारिश होते ही हम पुरानी कॉपियाँ फाड़ कर नावें बनाते थे। कागज़ मोड़ कर हम छोटी-छोटी नौकाएँ बनाते - कोई चपटी, कोई नुकीली, कोई टेढ़ी, कभी बड़ी, कभी छोटी, कभी दो-मंज़िला और हम अपनी-अपनी नावें बहते पानी में छोड़ते और आँखों में सपने भर लेते।

नाली में बहते पानी के साथ उन्हें दौड़ाते हुए लगता था जैसे ज़िंदगी का पहला समुंदर हमने जीत लिया हो। लगता बारिश सिर्फ हम बच्चों के लिए बरस रही हो—कागज़ की नावें, हँसी के फब्बारे और पानी की छन-छन करती धुनें... हर आवाज़ दिल में दर्ज। किसी की नाव पहले ही मोड़ पर उलट जाती, किसी की दूर तक जाती— पर सभी नावों में हमारी उम्मीदें तैर रही होतीं। नियम—कुछ नहीं। बस नाव दूर जाए तो दिल खिल जाए। किसी की नाव फँस जाती तो हम सब उसे छुड़ाने के लिए कंकड़ फेंक-फेंककर राह साफ़ करते थे। उस दिन मुझे समझ आया—दोस्ती का पहला नियम यही है: जब किसी की नाव रुक जाए, बाकी सब उसे आगे बढ़ाने में मदद करते हैं।

3. गाना-गोटी/पंच-गोटी: छोटे कंकड़ों की जुगलबंदी

गाना-गोटी हमारे लड़कपन का ऐसा खेल था, जिसमें बस 5 छोटे कंकड़

चाहिए होते थे— न कोई मैदान, न कोई साथी, न कोई खर्चा। खेल की शुरुआत होती है एक गोटा ऊपर उछालो और उसी बीच नीचे पड़े गोटों को एक-एक कर समेटो। फिर उसी उछाले हुए कंकड़ को वापस हथेली पर पकड़ना होता था। पहला लेवल—एक-एक गोटी। दूसरा—दो-दो गोटे। तीसरा—तीन-एक। चौथा—सब एक साथ। अगर कंकड़ पकड़ने से चूके या निचले गोटे हाथ लगते ही हिल गए— बस उतने में ही "तेरी बारी गई...!" सब हँस पड़ते। जब बारी आखिर में आती, एक गोटा ऊपर फेंको और नीचे बिखरी सारी गोटियों को एक ही झटके से समेटकर उठाना होता था। उंगलियों का संतुलन ही जीत तय करता। एक कंकड़ ऊपर फेंक कर ज़मीन के गोटे समेटना—यह खेल जितना सरल दिखता था, उतना ही कठिन था।

4. सुई-धागा छलाँग: उछलता बचपन

दो बच्चे हाथों से गोल 'गेट' बनाते, तीसरा उसे लांघकर निकलता। हर राउंड में ऊँचाई बढ़ाई जाती—कभी हाथ बाहर, कभी अंदर, कभी एक हाथ ऊपर, कभी एक नीचे। गिरने पर हँसी का फव्वारा छूटता कोई चोट नहीं लगती, क्योंकि उस उम्र में शरीर मिट्टी का और मन रूई का होता था।

5. राजा-मंत्री-चोर-सिपाही : कागज़ की चार पुड़ियों में छुपा पूरा राज्य

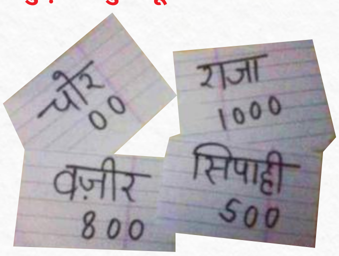

बरसात की दोपहर हो, परीक्षा के बाद का खाली समय हो या सर्दियों की धूप में बरामदे का फर्श — राजा–मंत्री–चोर–सिपाही हमारा सबसे पसंदीदा इनडोर खेल था। चार बच्चे, चार पुड़ियाँ और चार किस्मतें। कोई कॉपी के पुराने पन्ने फाड़कर चार बराबर टुकड़े बनाता। फिर उनमें लिखे जाते—राजा, मंत्री, चोर, सिपाही। लिखने वाला बच्चा पुड़ियों को इतना मोड़ता कि कोई भी पहचान न सके— फिर उन्हें एक-साथ हिलाकर रख देता जैसे कोई तांत्रिक मन्त्र पढ़ रहा हो। चारों बच्चों के दिल धड़कते— किसे क्या मिलेगा? सबसे पहले पुड़िया चुनने का मौका कभी छोटे को मिलता, कभी जिसे "लकी" घोषित किया जाता। फिर एक-एक करके पुड़ियाँ खुलतीं— और जैसे ही कोई बोलता—"राजा!" बाकी तीन तालियाँ बजाते, चेहरे पर ईर्ष्या मिली-मिश्री मुस्कान। "मंत्री!" हंसी की आहट—"अरे आज तो तुझे काम करना पड़ेगा।"; "सिपाही!" सीना थोड़ा फूला हुआ—"आज सब पकड़ लेंगे!"; आख़िर में जिस बच्चे को शरमाते, हँसते, छुपाते हुए कहना पड़ता—"चोर...", सारा समूह ठहाकों से भर जाता। तब खेल का असली मज़ा शुरू होता था। राजा सीधा होकर बैठता और भौहें चढ़ाकर गंभीर आवाज़ में आदेश देता—"मंत्री, बताओ... चोर कौन है?" मंत्री बेचारा घबराया-सा चारो चेहरों को देखता— सिपाही होंठ दबाकर बैठा होता, चोर अपनी मुस्कान रोकने की कोशिश करता और राजा सबके हावभाव देखता रहता। मंत्री अगर गलत बताता— पूरी टोली "हाय मंत्री!" कहकर हँसी उड़ाती। अगर उसकी बात सही निकल जाए— वह गर्व से सिर ऊँचा करता— "देखा? मैं हूं मंत्री!" सिपाही का काम साफ़ था— चोर को पकड़ना। अगर मंत्री ने सही बताया—सिपाही हीरो बन जाता। अगर मंत्री ने गलत फँसाया—दोनों की शामत एक साथ आती। कभी-कभी किसी बच्चे की पुड़िया खुलने से पहले ही हँसी फूट पड़ती— क्योंकि वह चोर बनते ही चेहरे से पहचान में आ जाता था। सबसे मज़ेदार पल वो होता जब मंत्री गलत चोर बता देता— और चोर हँसते-हँसते जमीन पर लोट जाता— "अरे, मैं हूँ चोर, ये तो सिपाही को पकड़वा दिया!" इसमें थी—चालाकी, शरारत, हावभाव पढ़ना, किस्मत, दोस्ती, ठहाके और थोड़ी झूठ-मूठ की राजनीति। हम सब बच्चे थे, लेकिन खेल ऐसे जैसे राजदरबार लगे हों।

6. घर-घर और रसोई खेल: दुनिया का पहला अभिनय

लड़कियाँ ही नहीं, हम लड़के भी कभी-कभी इस खेल में शामिल हो जाते थे— इमली के पेड़ के नीचे मिट्टी के बर्तन, काँच की टूटी चूड़ियों से बनती थालियाँ, घास-फूस की सब्ज़ियाँ, पत्तों की पराठियाँ और पानी वाली चाय और धूप से पकती हमारी कल्पनाएँ। हम दुनिया के सबसे बड़े रसोइये थे। कोई माँ बनता, कोई मेहमान, कोई पड़ोसी। नियम बस इतना—कल्पना की कोई सीमा नहीं। यह खेल हमें सिखाता था कि घर चलाना कोई मामूली काम नहीं। यही हमारा "घर-घर" था। यह खेल हमें पहली बार जिम्मेदारी और रिश्तों की नकल करवाता था। सिर्फ नकल नहीं सीख भी रहे थे कि घर क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं और साझा आनंद क्या होता है।

7. कंचा : काँच की गोलियों में चमकता गर्व

कंचे सिर्फ़ कांच की गोलियाँ नहीं थे—वे हमारे बचपन की संपत्ति थे। नीला, हरा, दूधिया, बिंदीदार, बबल वाला, नीला-पीला, सतरंगी, पारदर्शी, लाल दाग वाला... हर कंचे का एक नाम था। चमकते हुए रंग-बिरंगे कंचे हमारी जेबों के गर्व थे। कंचों के रंग हमें मंत्रमुग्ध कर देते थे। किसी के पास 'टीके वाला' कंचा होता, तो कोई 'लड्डू' वाला दिखाकर सबको चिढ़ाता। खेलने के लिए जमीन पर एक छोटा गड्ढा (घुच्ची) खोदा जाता। खिलाड़ी दूरी बनाकर कंचे फेंकते, जो गड्ढे में जाता वह जीत। कंचा उछालकर किसी के कंचे को मार दे तो वह भी अपनी गोटी जीत लेता। कंचों को जीतना किसी खजाने को हासिल करने जैसा लगता था और हारने पर जो दर्द होता था, वह किसी भी बड़े नुकसान से कम नहीं लगता था। बित्तो, पिल्लो और कनघिच्चो कंचो से ही खेला जाता था। कनघिच्चो में हारनेवाले को पदाने (परेशान करना) में बहुत मजा आता था।

कंचा सिर्फ खेल नहीं था— वह हथेली में चमकने वाला एक सपना था। जिसके पास सबसे सुंदर "दूधिया", "बिंदीदार", "नीला-पीला" कंचा हो, वही सबसे अमीर समझा जाता। हम कंचों को साफ कपड़े में पोंछकर चमकाते जैसे मोती हों। गड्ढे में फेंकते समय हमारे भीतर का गणित जागता। निशाना सही लगा तो लगता हम कोई तीरंदाज़ हैं जो दुनिया का सबसे कठिन लक्ष्य साध रहे हों। जब हम किसी और का कंचा मारकर जीत लेते, तो वह खुशी किसी त्योहार जैसी लगती। कंचे खेलने में सिर्फ निशाना नहीं, धैर्य भी चाहिए था। हमने गणित, भौतिकी और रणनीति का पहला सबक इन्हीं कंचों से सीखा।

8. साईकिल–टायर दौड़ : आजादी के पंख

हम "साईकिल टायर दौड़" भी करते—लोहे के तार से टायर को घुमाते हुए। नियम बस इतना—टायर गिरना नहीं चाहिए। पुराना टायर, एक पतली-सी छड़ और सामने खुली सड़क—इन तीन चीजों से ही हम दुनिया की सबसे बड़ी दौड़ में शामिल हो जाते। जो ज्यादा दूर तक बिना गिरे ले जाए वही चैंपियन।

पहली बार बिना सपोर्ट वाली साइकिल चलाना... जंग लगी साइकिल, आधा फूला

टायर और घंटी जो कभी-कभी ही बजती। फिर भी यह हमारी दुनिया का सबसे तेज़ वाहन था। उस पल की खुशी शब्दों में बयां करना मुश्किल है। गिरने का डर, घुटनों के छिलने का डर और फिर अचानक संभलकर कुछ मीटर चल जाने की जीत—यह वह उपलब्धि थी जो हमें विश्वास दिलाती थी कि हम जिंदगी की बड़ी-बड़ी मुश्किलें भी जीत सकते हैं।

9. पकड़म-पकड़ाई — हवा के पंखों पर दौड़ते बच्चे

गली-गली दौड़, हँसी-ठिठोली और किसी अपने को छूकर "तू पकड़ा गया!" कहना। कोई शॉर्टकट ले लेता, कोई छत की सीढ़ियों में घुस जाता—खेल से ज्यादा मज़ा उसकी चालाकियों में था। गली की कच्ची मिट्टी पर उछलते पाँव, पीछे उड़ती धूल और आगे दौड़ते बच्चे— यह खेल जैसे सारा बचपन एक ही साँस में भर देता था। पकड़म-पकड़ाई ने हमें सिखाया कि जीत केवल तेज़ कदमों की नहीं होती, बल्कि उस मज़े की होती है जिसमें हम और हमारे दोस्त एक साथ दौड़ रहे हों।

10. रस्सी कूद : ताल और खुशियों का नृत्य

रस्सी की ताल में कूदती हमारी परछाइयाँ... एक, दो, तीन, डबल, साइड-टर्न, घूमकर-कूद, हर कूद में ताल, सांस और खुशी का अद्भुत मेल। नियम बस इतना कि रस्सी पकड़े साथियों के कदम न रुकें। दो दोस्त रस्सी घुमाते। मधुमक्खियों जैसी आवाज़ें निकलतीं। मध्य में कूदती लड़की का पाँव, रस्सी की घूमती ध्वनि और गाया जाने वाला गीत—""एक-दी-डंक, हाथी-घोड़ा-नाच..."। कभी हँसी में रस्सी उलझ जाती, कभी बालों में अटक जाती—पर खेल चलता रहता। यह खेल शरीर को ही नहीं, मन को भी लय में बाँध देता था। हम अपनी ताल, साँस और खिलखिलाहट को एक ही जगह बांधना सीख रहे थे। इस खेल ने हमें पहली बार तालमेल और लय का मतलब सिखाया।

11. रस्सा-कस्सी – एकता की ताकत

जूट की मोटी रस्सी, बीच में जमीन पर खींची एक रेखा, दोनों ओर टीमें और दोनों तरफ पूरी ताकत। पाँव जमीन में गड़ाए, हवा में उड़ते बाल और सबका एक स्वर—"खींचो! जोर लगाओ!!" सब हवा में चिल्लाते। नियम सरल— जिसका पैर लाइन पार करे, वह टीम हार जाती। कभी पूरी टीम पीछे गिरती, कभी आगे घिसट जाती। रस्सा-कस्सी में हर खिलाड़ी सोचता कि उसकी ताकत सबसे ज्यादा है। चीख-चिल्लाहट, उत्साह और आखिरी जोर से किसी एक टीम के गिरते ही सब जमीन पर गिर जाते। मिट्टी उड़ती, हँसी उड़ती..., जीतने पर भी खुशी, हारने पर भी। यह खेल टीमवर्क का सबसे बेहतर पाठ था।

12. पिट्ठू-गरम – गेंद और नियमों का दंगल

अगर कोई पूछे कि बचपन का सबसे 'एडवेंचरस' खेल कौन सा था, तो जवाब हमेशा "पिट्ठू" ही होता है। पिठ्ठू-गरम हमारा सबसे ज्यादा चीखने-चिल्लाने वाला खेल था। मिट्टी के सात टुकड़ों या सपाट पत्थरों से एक छोटा-सा टावर बनाते। उस पर गेंद फेंकनी होती। गेंद लगते ही "पिठ्ठू!" की आवाज गूंजती और सब भाग जाते। गेंद से बचते हुए कंकड़ों को दोबारा जमाने की कोशिश... वह भागम-भाग, वह चिल्ल-पों, गेंद से बचने की कोशिश में लड़खड़ाना—यह सब आज भी उतना ही ताज़ा लगता है जैसे कल ही हुआ हो। अगर गेंद कमर के नीचे लगी—आउट। अगर पत्थर जम गए—जीत। पिट्ठू में गेंद खाते हुए भी हम हंसते थे क्योंकि दर्द से ज्यादा मज़ा था उसमें छुपा रोमांच। कभी-कभी खेल के दौरान छोटे-मोटे झगड़े भी हो जाते किसी को लगता गेंद जोर से मारी गई, किसी को लगता विरोधी टीम धोखा कर रही है। लेकिन खेल खत्म होते-होते सब फिर हँसते-हँसते साथ घर लौटते। कितनी अजीब बात है — बड़े होकर हम छोटी-छोटी बातों पर लोगों से रिश्ते तोड़ लेते हैं पर बचपन में एक गेंद की मार माफ़ करने में भी हमें एक मिनट नहीं लगता था।

13. लंगड़ी टांग : एक पैर पर दुनिया दौड़ाना

लंगड़ी टांग हमारा 'सरल' खेल था। एक पैर ऊपर, दूसरे पैर पर कूदते हुए सबको छूना। अगर पैर जमीन पर रख दिया तो आउट। एक पैर पर कूदना आसान नहीं था। हम दौड़ते, गिरते, उठते। गिरकर उठना इसी खेल की सबसे बड़ी कला थी। पकड़ने वाला बच्चा, अपने ही हमउम्र दोस्तों को पकड़ने के लिए कभी किसी आम्रवृक्ष के नीचे, कभी किसी कुत्ते के पीछे से निकलता। बचने वालों की हँसी और पकड़े जाने वालों का अफ़सोस— जीवन के पहले पाठ यहीं छिपे थे। किसी का घुटना छिल जाता, किसी की कोहनी लाल हो जाती। पर कोई घर नहीं जाता। हम कहते— "चल... खून रुक जाएगा... खेल अभी बाकी है।" स्टापू (पिट्टो, पांडिया) भी लगड़ी टांग जैसा ही खेल था, जिसमें हम जमीन पर खानों की रूपरेखा बनाते और कूद-कूदकर पूरी दुनिया पार कर जाते। एक छोटी-सी कंकरी या टाइल और पूरी दुनिया उसके इर्द-गिर्द घूमती।

खेलों का वह अनगिनत रंग—कुछ और खिलौने, कुछ और उधम

लड़कपन का खेल सिर्फ खेल नहीं था— दोस्ती की शुरुआत था, मासूमियत की गवाही थी और एक ऐसी दुनिया थी जहाँ खुशी मिलने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं थी। बचपन की गलियों में खेल केवल समय काटने का साधन नहीं थे, वे ऐसे मंत्र थे जो थकान को रेत की तरह झाड़ देते थे और मन को बारिश के बाद की मिट्टी-सी महक से भर देते थे। धीरे-धीरे पढ़ाई, जिम्मेदारियाँ और जिंदगी की दौड़ ने वो खेल छीन लिए। गली का साम्राज्य अब खाली छूटा रह गया। कभी-कभी मन उस गली में लौट जाना चाहता है... जहाँ न कोई चिंता थी, न कोई लक्ष्य—बस खेल, खुशी और अपने। कंचों की थैली अलमारी में बंद हो गई, साइकिल के टायर में हवा कम हो गई और पिट्ठू के कंकड़ किसी कोने में खो गए। हम बड़े हो गए — शायद ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी। कभी-कभी इच्छा होती है... काश एक शाम फिर वही गली मिल जाए, फिर वही दोस्त मिल जाएँ और मैं भागता हुआ चिल्लाऊँ— "धप्पा!" और खुद को फिर से वही बच्चा महसूस करूं —निश्चिंत, बेपरवाह और खेलों में खोया हुआ। आज मोबाइल गेम्स और इंटरनेट की दुनिया में पल रहे बच्चों को जब देखते हैं, तो मन में कहीं न कहीं थोड़ी कसक उठती है। हमारे खेल जीवन के पहले अध्यापक थे। वे हमें गिरकर उठना, हारकर मुस्कराना और जीतकर बाँटना सिखाया। सबसे बड़ी बात—ये हमें इंसान बनना सिखाते थे। ऊपर लिखे खेल तो हमारी स्मृतियों के मुख्य दीपक हैं, पर कुछ और खेल भी थे—जो बिना नाम के, बिना नियम के, फिर भी पूरे बचपन को थामे हुए थे।

बैडमिंटन: मेरा जीवन, मेरा संकल्प, मेरी पहचान

एक अत्यंत गहन, भावनात्मक और पूर्ण आत्मकथा

मुकेश कुमार नं. 2
वरि. लेखापरीक्षक

वह पहली सुबह जिसने सब बदल दिया

मैं तब सिर्फ़ दस साल का था—उम्र छोटी, पर सपनों का बोझ पहले ही कंधों पर चढ़ने लगा था। हमारे कस्बे में बिजली की अपनी मरज़ी थी; शाम सात बजे के बाद उसका आना किसी त्योहार के अचानक दस्तक देने जैसा लगता। संकरी गलियाँ ईंटों की दीवारों के बीच साँप-सी लहराती थीं और टीन की छतें हल्की हवा में भी खड़खड़ा उठतीं। दीवाली की रात बीत चुकी थी। देर तक पटाखों की कान-फोड़ धमक गूँजती रही थी और पूरे कस्बे पर धुएँ की एक धुंधली-सी चादर फैल गई थी। सुबह बस उतना ही साफ़ था जितना रात की थकान इजाज़त देती।

उसी सुबह पिता जी बाज़ार से लौटे—उनके कदमों की आहट पहचान में नहीं आई, पर हाथ में थमा लंबा, हल्का-सा पैकेट मुझे साफ़-साफ़ दिख रहा था। वह पैकेट किसी चमत्कार की तरह चमक रहा था, जैसे उसकी पतली-सी प्लास्टिक में कोई खास रौशनी बंद हो। मैंने उत्सुकता से उसे खोला। अंदर से नीले और लाल रंगों से सजा एक प्लास्टिक का बैडमिंटन सेट निकला—दो रैकेट, दो शटल। मेरी उँगलियाँ ठिठक गईं। मुझे याद है, सेट की कीमत चार सौ पचास रुपये थी—पिताजी की एक दिन की तनख्वाह से भी कम लेकिन उनके माथे पर गर्व था, थकान नहीं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा,

"क्रिकेट में गेंद दौड़ती है, यहाँ शटल उड़ेगी। उड़ना सीखो... गिरोगे तो भी ऊँचा गिरोगे।"

पूरा दिन पैकेट मेरे पास रखा रहा, जैसे वह कोई गुप्त ख़ज़ाना हो जिसे मैं बार-बार छूकर यकीन करना चाहता था। शाम ढली और हमारे मोहल्ले का एकमात्र पीला लैम्पपोस्ट अँधेरे में अपनी सीमित-सी रौशनी फैलाने लगा। मैं उसी के नीचे खड़ा था—रैकेट हाथ में, दिल पहले से तेज़ धड़कता हुआ। पहली बार मैंने शटल को ऊपर उछाला। वह हवा में हल्की-सी काँपी, दो बार लहराई और सीधे ज़मीन पर गिर पड़ी। मैं झुककर उसे उठाता, फिर उछालता। यह क्रम चलता रहा—दस बार, पचास बार, सौ बार। हाथों में छाले पड़ गए, कंधे में तेज़ दर्द उठने लगा, लेकिन भीतर कुछ जलता रहा—एक ऐसी आग, जो दर्द को भी एक नयी ऊर्जा में बदल दे।

गली के बड़े लड़के पास से गुज़रते हुए हँसते,

"अरे पागल, क्रिकेट खेल ना! यहाँ कौन बैडमिंटन खेलता है?"

मैं चुप रहता। उनका हँसना शोर था, पर मेरी दुनिया शोर से बाहर थी। मुझे बस शटल के परों की फुसफुसाहट सुनाई देती—फुर्र... फुर्र... जैसे कोई छोटा-सा पक्षी मेरे साथ उड़ने की कोशिश कर रहा हो।

हर बार जब मैं शटल को ऊपर भेजता, वह कुछ इंच ज़्यादा ऊपर जाती या शायद मुझे ऐसा महसूस होता। लेकिन, उसी एहसास में एक सपना जन्म लेने लगा। उस शाम, उस पीली रोशनी के नीचे, उस धूल भरी गली में—पहली बार मैंने अपने भीतर उड़ने का सपना देखा। बहुत ऊँचा। बहुत दूर तक। इतना दूर कि उस कस्बे की संकरी गलियाँ भी मेरी उड़ान को रोक न सकें।

और शायद उसी शाम से भीतर की आग ने ठान लिया था—कि यह उड़ान अब कभी रुकने वाली नहीं।

पहली हार – जब लगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ।

दो साल बीत चुके थे। उम्र अब बारह की हो चुकी थी, लेकिन मेरे सपनों की उम्र उससे कहीं बड़ी थी। सुबह स्कूल जाते समय और शाम को लौटते ही मैं वही गली, वही लैम्पपोस्ट, वही पुराना बैडमिंटन रैकेट—सब कुछ दोहराता। स्कूल के खेल शिक्षक मुझे कई बार गली में खेलते देख चुके थे। शायद उनको मेरी आँखों में वह पागलपन दिखाई देता था, जो मुझे खुद भी हमेशा समझ नहीं आता था। एक दिन स्कूल की प्रार्थना के बाद उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले,

"इंटर-स्कूल ट्रायल है। आ जा। तेरे अंदर कुछ है... जिसे बस जगाने की ज़रूरत है।"

उनके शब्द कानों में गूँजते रहे। "तेरे अंदर कुछ है"—मैंने यह बात पहले कभी किसी से नहीं सुनी थी। उस रात खाने की थाली में चावल भी सपने की तरह हल्का लग रहा था। मैं तैयार था या कम से कम मुझे ऐसा लगता था।

ट्रायल का दिन साफ़ और चमकीला था, जैसे आसमान ने भी किसी मुकाबले का

मन बना लिया हो। स्कूल के बड़े मैदान के बीचों-बीच नए कोर्ट लगाए गए थे—चौड़ी लाइनें, खुरचकर समतल की गई ज़मीन और चारों तरफ बैठे बच्चे, शिक्षक, कोच। मैं अपने हाथ में वही पुराना, नीले-लाल रंग का प्लास्टिक रैकेट लिए खड़ा था। उसकी ग्रिप घिस चुकी थी। लेकिन, मुझे लगता था उसमें मेरे हाथों का पसीना और सपनों की गर्माहट बसी हुई है।

सामने खड़ा लड़का मुझसे दो साल बड़ा था। साफ़ दिख रहा था कि वह किसी दूसरे संसार से आया है—उसका रैकेट चमकदार कार्बन का, जूते महँगे, कपड़े एकदम फिट। उसके पीछे कोच खड़ा था, नोटबुक में कुछ लिखता हुआ। उसका आत्मविश्वास मुझे दूर से भी चुभ रहा था, जैसे कोई तीखी रोशनी आँखों पर पड़ती है।

मैच शुरू हुआ। पहला प्वाइंट—मेरी सर्विस नेट पर अटक गई। गेंद की हल्की-सी टिक की आवाज़ सुनकर ही समझ गया, हाथ काँपा था। दूसरी सर्विस... डबल फॉल्ट। पीछे से किसी ने धीरे से "ओह!" कहा। तीसरे प्वाइंट पर उसने स्मैश मारा—तेज़, तीर की तरह। मैं बस देखता रह गया। शटल मेरे पैरों के पास गिर चुकी थी और मुझे समझ ही नहीं आया कि वह कब आई, कैसे गई।

दस मिनट भी नहीं लगे। मेरा आत्मविश्वास छिछली पोखर की तरह सूख गया। स्कोर बोर्ड ने मेरा पूरा सच सामने रख दिया—

2-21, 3-21

फर्क सिर्फ़ अंकों का नहीं था—फर्क दुनिया का था।

खेल खत्म होते ही मैं कोर्ट के एक कोने में जाकर बैठ गया। मिट्टी से सनी मेरी नीली शॉर्ट्स पर आँसू टपक रहे थे। आँसुओं का स्वाद नमकीन था, पर वह कसक उससे भी कहीं ज्यादा नमकीन थी जो अंदर उठ रही थी। कुछ लड़के हँसते हुए गुज़रे—

"देखो, रैकेट वाला रो रहा है!"

उनकी हँसी तीरों की बारिश की तरह लग रही थी।

मैं चुपचाप घर लौटा। रास्ता पहले से लंबा लग रहा था, जैसे हर कदम मेरे थके दिल पर चढ़ रहा हो। घर में दाखिल हुआ तो माँ ने देखा—मेरे चेहरे पर लिखी कहानी पढ़ ली, पर कुछ नहीं बोलीं। वह चुपचाप मेरे माथे पर हाथ फेरकर रसोई में चली गईं। पिताजी कमरे में बैठे थे। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा, बस मेरे पास आए, मेरे कंधे

पर अपना गर्म हाथ रखा और मेरी कलाई पर ठंडी पट्टी बाँधते हुए शांत स्वर में बोले,

"हार इसलिए होती है ताकि जीत का मूल्य पता चले।
जो आज रो रहा है,
वही कल किसी को रुलाएगा—
बशर्ते आज रैकेट न छोड़े।"

उनके शब्द मेरे भीतर उतरते चले गए—धीरे, लेकिन गहरे। उस रात मैं सोया नहीं। छत पर टीन की चादरें हवा से खड़खड़ा रही थीं, पर मेरे भीतर एक और ही शोर था—हार का, दर्द का और एक नए संकल्प का। मैंने रैकेट को तकिए के नीचे रखा जैसे वह कोई ताबीज़ हो, फिर खुद से धीरे-धीरे कहा—

"मैं हारूँगा, बहुत बार हारूँगा।
पर कभी हार नहीं मानूँगा।"

उस रात मैने पहली बार समझा—उड़ान केवल पंखों से नहीं होती, घायल दिल के साहस से भी होती है।

2. कोच का आगमन – जब एक दरवाज़ा खुला और पूरी दुनिया बदल गई

कस्बे से बारह किलोमीटर दूर एक पुराना-सा इंडोर हॉल था—छत पर जाले, दीवारों पर उखड़ी हुई पुताई और एक हल्की-सी बंद गंध, जो किसी पुराने सपने की तरह हवा में तैरती रहती। वहाँ एक रिटायर्ड फौजी बैडमिंटन सिखाते थे—सख़्त चेहरे वाले, पर आँखों में अजीब-सी गर्माहट।

एक रविवार मैं अपनी पुरानी साईकिल लेकर निकल पड़ा। बारह किलोमीटर... रास्ता सुनसान, धूप चुभती हुई और पहियों की कर्र-कर्र आवाज़। पसीने से पूरी शर्ट भीग चुकी थी। हाथ में वही पुराना प्लास्टिक रैकेट। हॉल पहुँचते-पहुँचते साँस फूल चुकी थी। अंदर देखा—कोच झुककर कोर्ट की लाइनें मिट्टी से साफ कर रहे थे, जैसे हर सुबह वे कोर्ट नहीं, किसी सैनिक चौकी की तैयारी कर रहे हों।

मैंने हिम्मत जुटाकर कहा,

"मुझे बैडमिंटन सीखना है।"

उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा—फटे जूते, घिसा रैकेट, थका चेहरा—और फिर मुस्कराए बिना बोले,

"रैकेट पुराना है, जूते फटे हुए हैं... पर आँखों में आग नई है।
कल सुबह छह बजे आ जाना।
फीस? जो दिल करे दे देना।"

अगले दिन से मेरी ज़िंदगी दो हिस्सों में बँट गई—स्कूल और कोर्ट।
सुबह चार बजे नींद आँखों से लड़ती, लेकिन सपना उठाकर बिठा देता।
चार से पाँच—घर के पास की सड़क पर दौड़।
पाँच बजे—साइकिल पर बारह किलोमीटर। हवा ठंडी होती, पर पैडल गर्म।
छह से आठ—फिटनेस, स्किपिंग, शैडो फुटवर्क, मल्टी-शटल।
फिर स्कूल की घंटी का पीछा करता हुआ मैं वापस कस्बे की तरफ भागता।
दोपहर में घर लौटकर जल्दी खाना खाता; माँ चुपचाप थाली भर देतीं।
दोपहर दो बजे फिर साईकिल।

चार से सात—तकनीक, ड्रिल, रैली, मैच प्रैक्टिस।
पहले ही दिन कोच ने सीधा कहा,
"तेरी ग्रिप गलत है। फुटवर्क बिखरा हुआ है। सर्विस कमज़ोर है। स्मैश नाम की कोई चीज़ नहीं।
पर सबसे बड़ी बात—तू यहाँ है। और यह सबसे मुश्किल होता है।"
उनकी सज़ा सख्त थी, लेकिन इनाम गर्म—हर गलती पर डाँट, हर सही शॉट पर पीठ थपथपाना।
तीन महीने बाद पिता ने दो महीने की पूरी सैलरी बचाकर मुझे मेरा पहला कार्बन रैकेट दिलाया। जब उन्होंने चुपचाप मेरे हाथ में रखा, उसकी पकड़ में एक ठंडी चमक थी। मैंने उसे पकड़ा तो लगा जैसे हथियार नहीं, कोई जादुई तलवार मिल गई हो—जो मेरे सपनों की दिशा बदल देगी।

3. पहला पदक – जब आँसुओं का स्वाद मीठा हो गया

चौदह साल की उम्र—उम्र कम, लेकिन सपने अब पहले से कहीं बड़े थे। जिला अंडर-14 चैंपियनशिप का सेमीफाइनल। और सामने वही लड़का खड़ा था—वही जिसने दो साल पहले मुझे बार-बार रुलाया था, वही चमकदार कार्बन रैकेट वाला, वही आत्मविश्वास से भरा।
मैच तीन गेम का था। पहला गेम शुरू होते ही मेरी धड़कन तेज़ हो गई। शटल हवा में झूलती, रैकेट मेरे हाथ में काँपता। स्कोर 16-21। पहला गेम हार गया। अंदर का डर, वही बचपन का डर—"क्या मैं फिर हार जाऊँगा?"—उसे महसूस कर रहा था।
दूसरा गेम। मैंने गहरी साँस ली। हर शॉट पर ध्यान, हर कदम पर संतुलन। 21-16 से जीत गया।
अब अंतिम गेम। स्कोर 20-20। हर शॉट के साथ दिल तेज़ी से धड़क रहा था। आवाज़ें, चीयर, सब धुंधलाए, बस शटल और मेरा रैकेट। अंतिम पॉइंट—उसकी सर्विस। मैंने नेट के पास ड्रॉप खेला। शटल धीमे से नेट पर अटकी, झूलती रही और फिर उसकी ओर गिर गई। जीत!
साँस रोककर मैदान में खड़ा रहा। मेरी आँखों के सामने वो दो साल पहले का डर, दो साल की मेहनत, सारी चोटें, सारी हार—सब तैर गईं।
फाइनल में भी मुकाबला कड़ा था। अंतिम गेम में 21-19 से जीत। जब मुझे गले में मेडल डाला गया, तो पहली बार माँ स्टेडियम में थीं। वे चुपचाप खड़ी थीं, आँखों में आंसू, होंठों पर मुस्कान। मैं दौड़ पड़ा और उनके पास गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस गले लगा लिया।
उस गले लगने में—दो साल की सारी तकलीफ़, सारे ताने, सारी शंकाएँ, हर रात का अकेलापन—सब पिघल गया।
और मुझे एहसास हुआ कि जीत केवल स्कोर नहीं होती, जीत उस विश्वास में है जो कभी टूटता नहीं।

4. राज्य चैंपियनशिप –

वह कमबैक जिसे लोग आज भी याद करते हैं -
सोलह साल। राज्य जूनियर चैंपियनशिप। प्री-क्वार्टर फाइनल। और मैं... स्कोर बोर्ड पर 13-20 से पीछे। हॉल का वातावरण अचानक भारी लगने लगा। दर्शक धीरे-धीरे खड़े होने लगे थे, कानों में केवल अपने हृदय की धड़कन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लगा कि अब बस औपचारिकता बाकी है—हार की चुपचाप पुष्टि।
कोच ने मुझे अपने पास बुलाया। मैं सिर झुकाए खड़ा था। उन्होंने सिर्फ़ आठ शब्द बोले, लेकिन हर शब्द पर बिजली-सी ऊर्जा थी—
"स्कोर भूल जा।
अभी सिर्फ़ एक पॉइंट खेल।"
मैं कोर्ट पर लौटा। पहला पॉइंट जीता। अगले प्वाइंट के लिए साँस गहरी खींची। दूसरा। फिर तीसरा। हर जीत के साथ मेरे भीतर की आग बढ़ती गई। हॉल में हवा बदलने लगी—जैसे पूरी जगह मेरी कोशिशों को महसूस कर रही हो। स्कोर अब 18-20.. 19-20... 20-20 ।
और फिर 22–20। मैं मैच पलट चुका था। बस आठ शब्दों ने मुझे उस अँधेरे को पार करने का रास्ता दिखा दिया था, जिसे मैं हार समझ बैठा था।
उसके बाद क्वार्टर, सेमी, फाइनल—सब कुछ सपनों की तरह बीता। फाइनल में सामने था राज्य का नंबर एक सीडेड खिलाड़ी। हर शॉट, हर दौड़, हर स्मैश... वर्षों की मेहनत का परिणाम। और अंत में स्कोर—21-19, 21-17 जीत!
जब ट्रॉफी हाथ में आई, तो मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं तुरंत कोच की ओर देखा। उनकी आँखें नम थीं। वे चुपचाप मेरी ओर देखते रहे, फिर धीमे स्वर में बोले—
"तूने आज साबित कर दिया कि छोटे कस्बे के बच्चे भी आसमान छू सकते हैं।"
उस क्षण मैंने महसूस किया—सपनों की ऊँचाई नापने का पैमाना केवल स्कोर नहीं होता। यह उस संघर्ष और उस भरोसे में होता है जो किसी को उड़ान देना जानता है।

5. पढ़ाई और खेल के बीच का भीषण युद्ध

ग्यारहवीं क्लास। घर में तूफान। माँ बोलीं, "अब किताब उठा, रैकेट नीचे रख।" रिश्तेदार ताने मारते, "स्पोर्ट्स कोटा से क्या होगा? दो साल बाद कोचिंग जॉइन कर लेगा।" पिताजी चुप रहते, पर उनकी आँखों में चिंता साफ दिखती। रात को मैं कमरे में बंद होकर रोता। फिर एक रात मैंने फैसला लिया – दोनों को साथ लेकर चलूँगा। सुबह चार बजे उठना। चार से छह – पढ़ाई। छह से आठ – कोर्ट। स्कूल। दोपहर में घर लौटकर खाना। दो बजे फिर साइकिल। चार से सात – अभ्यास। रात दस बजे से दो बजे तक फिर

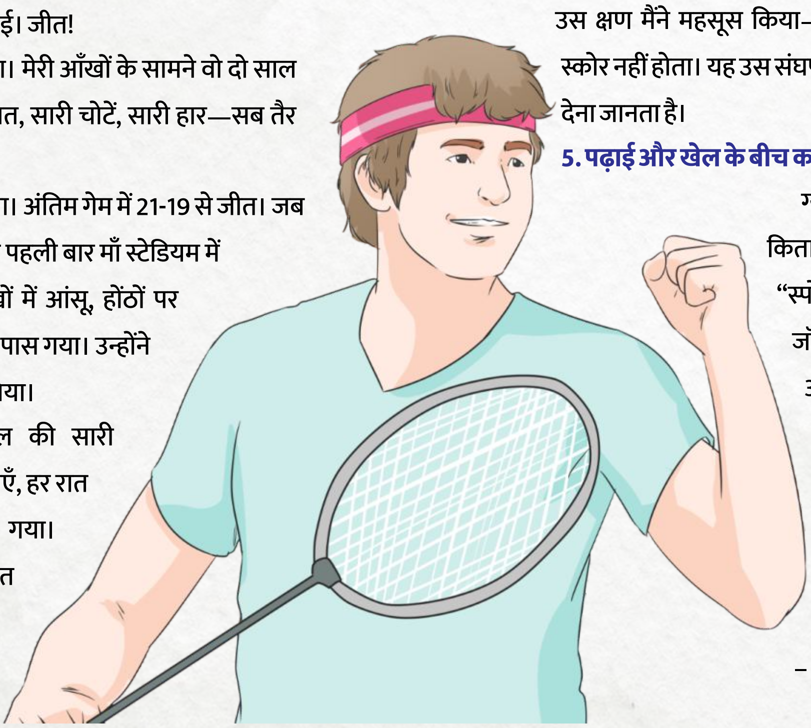

किताबें। नींद तीन-चार घंटे। दो साल तक यही दिनचर्या। बारहवीं के बोर्ड में 92.4 प्रतिशत आए और खेल में राज्य का स्वर्ण। जब रिज़ल्ट आया तो माँ ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, “बेटा, मुझे गलतफहमी थी। तू दोनों जहानों का मालिक बन सकता है।”

6. चोट – जब लगा कि सब खत्म हो गया

राष्ट्रीय चयन ट्रायल से सिर्फ़ सात हफ्ते दूर। अभ्यास के दौरान एक तेज़ स्मैश के बाद लैंडिंग गलत हुई। एंकल लिगामेंट पूरी तरह फट गया। डॉक्टर ने कहा, “सात हफ्ते पूरा आराम। कोई वजन नहीं, कोई दौड़ नहीं।” उन सात हफ्तों में मैंने कोर्ट से दूरी का दर्द जाना। पैर में प्लास्टर, हाथ में क्रच। रात को नींद नहीं आती थी। सोचता था – क्या मैं फिर कभी पहले जैसा खेल पाऊँगा? कोच हर दूसरे दिन घर आते। बोले, “शरीर को आराम दे, पर दिमाग को मैदान में रख।” मैं व्हीलचेयर पर बैठकर पुराने मैच देखता। हर पॉइंट को नोट करता। रणनीति बनाता। मानसिक खेल को इतना मज़बूत किया कि जब प्लास्टर खुला तो शरीर भले कमज़ोर था, पर मन पहले से दस गुना मज़बूत था।

7. वापसी – जब चोट ने मुझे नया जन्म दिया

चोट के महीनों बाद यह मेरा पहला बड़ा टूर्नामेंट था। शरीर अभी पूरी तरह ठीक नहीं था, पर मन में एक अजीब सी आग जल रही थी। लोग कहते थे, “अब पहले जैसा नहीं रहेगा। चोट ने उसकी रफ्तार तोड़ दी है।” शब्दों का यह साया मेरे चारों ओर मंडरा रहा था, पर मैंने खुद से कहा—“आज दिखा दूँगा कि डर और चोट कोई मेरे रास्ते को नहीं रोक सकती।”

पहले मैच में ही मैंने सबको गलत साबित कर दिया। रैकेट हाथ में जैसे फिर से जीवित हो गया था। शटल तेज़ और सटीक उड़ रही थी। हर सर्विस, हर ड्रॉप, हर स्मैश... सबमें वही पुरानी आग थी, पर अब अनुभव और संयम की ताकत भी जोड़ गई थी।

फाइनल। हॉल भर गया था। दर्शक खड़े थे, तालियाँ बजा रहे थे। हर स्मैश पर उनके तालियों की गूँज मेरे भीतर तक उतर रही थी। स्मैश पहले से तेज़, डिफेंस पहले से मज़बूत, और सबसे बड़ी बात—मन में कोई डर नहीं। कोई डर नहीं कि पिछली चोट फिर मुझे रोक देगी।

अंत में ट्रॉफी हाथ में आई। चमकती धातु में मेरा पूरा सफ़र बसा हुआ था—दो साल की मेहनत, लाखों शॉट्स, चोट की रातें। मैं तुरंत कोच की ओर देखा। उनकी आँखों में वही गर्व, वही स्नेह और संतोष था। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा,

“चोट तुझे तोड़ने नहीं, तराशने आई थी।
आज तू हीरे जैसा चमक रहा है।”

उस शब्दों में, उस मुस्कान में—मैंने महसूस किया कि लड़ाई केवल कोर्ट पर नहीं होती। यह डर, हार, चोट और खुद पर विश्वास—सबके साथ होती है। और यही लड़ाई मुझे, मेरे सपनों को और मेरे रैकेट को सच में चमकाती है।

8. राष्ट्रीय चयन – जब सपना सच हुआ

वह दिन। राष्ट्रीय जूनियर कैंप के चयन ट्रायल। पाँच दिन, दस मैच। हर मैच एक युद्‍ध। अंतिम दिन जब सूची लगी और मेरा नाम था – मैं कुछ पल तक खड़ा रहा। कुछ बोल नहीं पाया। फिर घुटनों पर बैठ गया और रोने लगा। सालों का पसीना, सारी रातें, सारी तकलीफ़ें – सब एक पल में सार्थक हो गईं।

9. आज का मैं – और आगे की अनंत यात्रा

आज मैं कॉलेज में स्पोर्ट्स कोटा से पढ़ता हूँ। राष्ट्रीय स्तर के दर्जनों टूर्नामेंट खेल चुका हूँ। नए बच्चे मुझसे सलाह लेते हैं। मैं उन्हें वही कहता हूँ जो मुझे कभी कहा गया था – “कोर्ट पर जितना ज़रूरी है जीतना, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है हारना। क्योंकि हार के बाद जो फिर रैकेट थाम लेता है, वही एक दिन चैंपियन बनता है।”

अंतिम बात – बैडमिंटन मेरी पहचान क्यों है ?

बैडमिंटन ने मुझे सिर्फ़ खेल नहीं सिखाया। इसने मुझे जीना सिखाया।

- हर हार ने विनम्रता दी
- हर जीत ने आत्मविश्वास
- हर चोट ने धैर्य और मज़बूती
- हर सुबह की दौड़ ने अनुशासन
- हर शटल की उड़ान ने सपने देखने का हौसला
- और कोर्ट की उस गहरी शांति ने जीवन के हर तूफान में स्थिर रहना सिखाया

आज मेरे हाथ में जो रैकेट है, वह सिर्फ़ एक उपकरण नहीं। वह मेरे बचपन का पहला सपना है। वह मेरे पिताजी की मुस्कुराहट है। वह मेरी माँ का गले लगाना है। वह मेरे कोच की आँखों की नमी है। वह मेरे सारे पसीने की गवाही है। वह मेरी हर रात की नींद है। वह मेरी हर सुबह की दौड़ है।

इसलिए मैं गर्व से कहता हूँ – बैडमिंटन सिर्फ़ एक खेल नहीं... यह मेरा जीवन है। मेरा संकल्प है। मेरी साँस है, मेरी पहचान है।

अखंड भारत की जटिल समस्याएं एवं उनके समाधान

चन्द्र भूषण कुमार
लेखापरीक्षक

1. भूमिका

अखंड भारत एक जटिल और काल्पनिक विचार है, जिसकी सीमाओं में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान जैसे देशों को शामिल करने का प्रस्ताव करता है। लेकिन वर्तमान में इसके निर्माण में कई जटिल समस्याएँ हैं, जिनमें राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक असमानताएँ शामिल हैं। संभावित समाधानों में विभिन्न देशों के बीच राजनयिक और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, साझी विरासत और सांस्कृतिक मूल्यों पर ज़ोर देना तथा संघर्षों के बजाय शांतिपूर्ण समाधान खोजना शामिल है। अखंड भारत एक संयुक्त वृहद भारत की संकल्पना है। यह एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अवधारणा है, जो ब्रिटिश शासन से पहले के समय में भारत के भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार को दर्शाती है।

भारत भूमि केवल भौगोलिक सीमा तक ही सीमित नहीं रही, अपितु यह आत्मा, विचार और संस्कार की एक अखंड धारा है। यह भारतीय संस्कृति का मूलमंत्र रहा है, जिसने समस्त मानवता को एक सूत्र में पिरोने का प्रयत्न किया। किन्तु, आधुनिक इतिहास में ऐसी घटनाएँ घटित हुईं जिन्होंने इस अखंड सांस्कृतिक रूप को भंग किया। विभाजन, राजनीतिक हितों की टकराहट और सांप्रदायिक विद्वेष ने भारत की उस आत्मा को आहत किया जिसे "अखंड भारत" कहा जाता है। आज जब भारत पुनः वैश्विक मंच पर अग्रसर हो रहा है, तब यह प्रश्न पुनः प्रासंगिक हो उठता है:

क्या अखंड भारत की पुनर्स्थापना संभव है?

यदि हाँ, तो किस रूप में?

2. अखंड भारत की सांस्कृतिक संकल्पना

अखंड भारत केवल भौगोलिक कल्पना ही नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक एकता की अभिव्यक्ति है। ऋग्वेद में कहा गया है- "सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्" अर्थात् सब मिलकर चलो, मिलकर बोलो और एक भाव से सोचो — यही अखंडता का सन्देश है।

प्राचीन भारत में आर्यावर्त की परिकल्पना हिमालय से लेकर सागर तक विस्तारित थी। राजनैतिक रूप से भले ही अनेक जनपद और राज्य थे, परन्तु सांस्कृतिक दृष्टि से सब में एक ही भाव था — धर्म, दर्शन, साहित्य, कला, योग और अहिंसा के आदर्श। गांधार से लेकर कामरूप और तम्रपर्णी (श्रीलंका) तक भारत का तत्त्व एक ही माना गया।

अखंड भारत की सांस्कृतिक संकल्पना भारतीय उपमहाद्वीप की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता पर आधारित एक विचार है, न कि केवल राजनीतिक सीमा का विस्तार। यह अवधारणा सभी के लिए साझा विरासत, मूल्यों और जीवन दर्शन पर जोर देती है, जिसमें भारतीय पर्व, त्यौहार, भाषाएं और रीति-रिवाज आपस में जुड़ते हैं। यह विचार भारत की एकता और गौरव को बनाए रखने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक साझा सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने का संकल्प है। अखंड भारत की सांस्कृतिक संकल्पना के मुख्य बिंदु निम्नांकित हैं:

साझा विरासत: यह अवधारणा आधुनिक राजनीतिक सीमाओं से परे जाकर, प्राचीन सभ्यताओं और साम्राज्यों जैसे मौर्य और गुप्त साम्राज्य के समय की साझा सांस्कृतिक जड़ों पर आधारित है।

सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता: अखंड भारत को केवल भौगोलिक या राजनीतिक सीमा तक सीमित नहीं माना जाता, बल्कि इसे एक जीवन-दर्शन के रूप में देखा जाता है जो लोगों को आपस में जोड़ता है।

साझा मूल्य और जीवन-पद्धति: यह संकल्पना बताती है कि भारत के लोग, चाहे वे किसी भी धर्म या क्षेत्र से हो, एक ही सांस्कृतिक जीवन-पद्धति से जुड़े हैं।

ऐतिहासिक और पौराणिक जुड़ाव: प्राचीन धर्मग्रंथों, जैसे कि चाणक्य के विचारों और भारत- श्रीलंका के बीच रामायण काल से चले आ रहे संबंध, इस एकता को दर्शाते हैं।

भविष्य का संकल्प: अखंड भारत का विचार वर्तमान पीढ़ी को एकता और सांस्कृतिक गौरव को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है और इसे भविष्य के लिए एक लक्ष्य मानता है।

सांस्कृतिक पुनर्जागरण: यह संकल्पना भारत की सांस्कृतिक विरासत को फिर से स्थापित करने और उसे भविष्य के लिए सुरक्षित करने की दिशा में एक प्रयास है।

3. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

इतिहास के पृष्ठों को पलटने पर ज्ञात होता है कि भारत ने अनेक बार राजनीतिक विभाजन झेला। किन्तु सांस्कृतिक रूप से वह कभी विभक्त नहीं हुआ। मौर्यकाल, गुप्तकाल और चोलकाल में भारत ने एकता का चरम अनुभव किया। सम्राट अशोक ने धर्मविजय के माध्यम से अखंडता का भाव विश्व तक पहुँचाया। किन्तु, मध्यकाल में इस्लामी आक्रमणों और ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने इस एकता को गहरी चोट पहुँचाई।

ब्रिटिशों के भारत छोड़ने के बाद खंडित भारत का जो हिस्सा हमारे पास रहा, उसी को हमलोग 'भारत' समझ बैठे। हम भूल गए कि हमारा "भारतवर्ष" वर्तमान भारत से कहीं ज्यादा लम्बा-चौड़ा था। 12 सदियों तक निरंतर विदेशी सत्ताओं को उखाड़ने के लिए भारतीयों ने जो संघर्ष किया, वह वर्तमान भारत के

लिए नहीं था। यह ठीक है कि विशाल भारत का एक भूखंड स्वाधीन हो गया है, परन्तु इससे अनेक गुना ज्यादा भारतीय भू-भाग आज भी विदेशी सत्ताओं के अधीन ही है। अंग्रेजनुमा नीतियों के कारण आज भारतमाता के सनातन अखंड स्वरूप की कल्पना भी कहीं दृष्टिगोचर नहीं हो रही। "भारतवर्ष" के वे भू-भाग जो विदेशियों के कब्जे में हैं, उन्हें हम स्वतंत्र करवाएंगे, ऐसा विचार भी कहीं सुनायी नहीं देता। यह उन्हीं ब्रिटिश संस्कारों का परिणाम है, जिन्हें हम आज तक घसीट रहे हैं।

1947 में जो विभाजन किया गया वह सिर्फ भूमि का विभाजन नहीं था— वह आत्मा का विभाजन था। विभाजन के उपरांत अखंड भारत देश भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीन हिस्सों में बँट गए। परंतु इन तीनों देशों में संस्कृति का प्रवाह आज भी एक ही जैसा है।

4. विभाजन की प्रक्रिया और उसके परिणाम

भारत भूमि का विभाजन अत्यंत संवेदनापूर्ण और जटिल थी। 20वीं शताब्दी के आरम्भ में भारतीय राजनीति में अंग्रेजों ने "फूट डालो और राज करो" की नीति अपनाई। 1905 में बंग-भंग से आरम्भ हुई यह विभाजन की प्रवृत्ति 1947 तक आते-आते अपने चरम पर पहुँच गयी थी। ब्रिटिश साम्राज्य, जब स्वतंत्रता की माँग करने वालो को शांत नहीं करा पाये, तब उसने धार्मिक आधार पर देश को बाँटने का षड्यंत्र रच डाला।

भारत विभाजन की पृष्ठभूमि व उसका इतिहास

अखंड भारत का विभाजन माउण्टबेटन योजना के आधार पर 1947 में हुआ, जिसे 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के तहत ब्रिटशों ने भारत को भारत और पाकिस्तान जैसे दो देशों में विभक्त कर दिया।

यह "दो-राष्ट्र सिद्धांत" के नाम से भी प्रचलित है कि हिंदू और मुसलमान दो भिन्न राष्ट्र हैं, जिनका साथ रहना असंभव है। इस सिद्धांत ने भारत की सहस्राब्दियों पुरानी एकात्मता की अवधारणा को आघात पहुँचाया था।

उपर्युक्त विभाजन की प्रक्रिया को पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा अंतिम रूप दी गई थी, जिसमें हिन्दू बहुल क्षेत्रों को भारत और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को पाकिस्तान में शामिल किया गया था। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर विस्थापन, भयानक सांप्रदायिक हिंसा और लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी।

विभाजन की प्रक्रिया:

3 जून योजना: लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून, 1947 को योजना की घोषणा की, जिसमें भारत को मुख्यतः हिंदू और मुख्यतः मुस्लिम पाकिस्तान में विभाजित करने का प्रस्ताव था।

रेडक्लिफ सीमा रेखा: सर सिरिल रेडक्लिफ ने दोनों देशों के बीच की सीमा रेखा तय की, जो हिन्दू बहुल क्षेत्रों को भारत और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को पाकिस्तान में शामिल करने पर आधारित थी।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम: ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई, 1947 को इस अधिनियम को पारित किया, जिसने विभाजन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया।

रियासतों का विलय: लगभग 565 रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प दिया गया। अधिकांश रियासतों ने अपने बहुमत धर्म के आधार पर निर्णय लिया, हालांकि कुछ रियासतों के एकीकरण में विवाद हुए।

विभाजन के परिणाम:

बड़े पैमाने पर विस्थापन: बहुत सारे लोगों को अपनी जान बचाकर सीमा पार करनी पड़ी जिसमें हिंदू और सिख भारत आए, जबकि मुसलमान पाकिस्तान चले गए।

सांप्रदायिक हिंसा: विभाजन ने हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों के बीच व्यापक और क्रूर हिंसा को जन्म दिया, जिसमें लाखों लोगों की जान गई।

सांस्कृतिक और सामाजिक विघटन: समुदाय अलग-थलग हो गए और सदियों पुरानी सांस्कृतिक परंपराएं टूट गईं।

आर्थिक परिणाम: लोगों ने अपने घर और संपत्ति खो दी, जिससे आर्थिक अस्थिरता और गरीबी बढ़ी।

स्थायी तनाव: विभाजन ने भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी तनाव और संघर्ष पैदा किया।

महिलाओं पर अत्याचार: विभाजन के दौरान बलात्कार, अपहरण और अन्य प्रकार की हिंसा का शिकार होने वाली महिलाओं की संख्या बहुत बड़ी थी।

महात्मा गांधी, सरदार पटेल और रवीन्द्रनाथ ठाकुर जैसे विचारकों ने इस विभाजन का विरोध किया था। परन्तु, परिस्थितियाँ इतनी विकट थीं कि भारत को रक्त की नदियाँ पार करनी पड़ीं थी। विभाजन के परिणाम अत्यंत त्रासद रहे— कई लोगों ने अपने प्राण गँवाए, कई विस्थापित हुए और अनगिनत परिवारों की स्मृतियों में घृणा, पीड़ा और विषाद की रेखाएँ अंकित हो गईं। यह केवल सीमाओं का बँटवारा नहीं था, बल्कि भारतीय मानस के तंतुओं का विच्छेदन था।

5. भौगोलिक, राजनीतिक एवं सामाजिक जटिलताएँ

अखंड भारत की पुनःस्थापना आज केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि राजनैतिक और कूटनीतिक जटिलताओं से भी जुड़ी है। वर्तमान में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, और अफगानिस्तान — इन

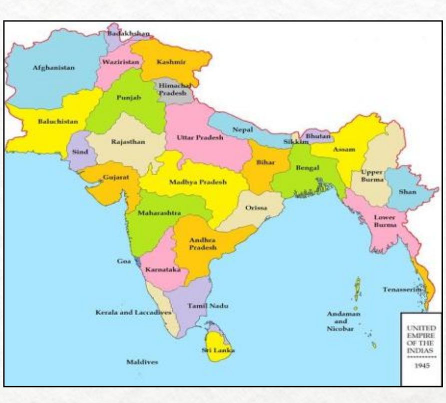

सभी के अलग-अलग शासन-प्रणालियाँ, संविधान और अंतरराष्ट्रीय संबंध हैं। ऐसे में भौगोलिक एकता स्थापित करना अत्यंत कठिन है। राजनीतिक दृष्टि से, प्रत्येक राष्ट्र अपनी संप्रभुता को बनाये रखना चाहता है। कूटनीतिक मंचों पर किसी प्रकार का पुनर्संयोजन वैश्विक संतुलन को प्रभावित कर सकता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषद और विश्व शक्तियों के हित इस क्षेत्र में गहराई से जुड़े हुए हैं। अतः यह केवल भारत का आंतरिक विषय नहीं रह गया है, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय विचार-विमर्श का विषय बन चुका है।

सामाजिक दृष्टि से देखें तो भारतवर्ष की विविधता ही उसकी शक्ति है । परंतु यही विविधता अनेक बार असहमति का कारण भी बन जाती है। धार्मिक उन्माद, भाषायी असंतुलन और प्रादेशिक असमानताएँ आज भी अखंडता की राह में चुनौती का कारण बनी हुई हैं।

अखंड भारत की भौगोलिक, राजनीतिक और सामाजिक जटिलताओं में भौगोलिक विस्तार, ऐतिहासिक और धार्मिक मतभेद और राजनीतिक प्रभुत्व और संप्रभुता की समस्याएं शामिल हैं। भौगोलिक रूप से, इसमें आधुनिक पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार जैसे कई देश शामिल होंगे। राजनीतिक रूप से, एक एकीकृत राष्ट्र के गठन से संप्रभुता के मुद्दे उठेंगे और देशों के बीच सत्ता और नियंत्रण को लेकर टकराव होगा। सामाजिक रूप से, विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों का मिश्रण संघर्ष और मतभेदों को बढ़ाएगा, जो मौजूदा एकता और विविधता में बाधा डाल सकता है।

<u>भौगोलिक जटिलताएँ:</u>

विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र: अखंड भारत में एक विशाल क्षेत्र शामिल होगा, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और तिब्बत जैसे देश शामिल होंगे।

सांस्कृतिक और भाषायी विविधता: इन क्षेत्रों में विभिन्न संस्कृतियाँ, भाषाएँ और धर्म हैं, जिससे उन्हें एक साथ लाना एक बड़ी भौगोलिक चुनौती होगी।

ऐतिहासिक सीमाएँ: आधुनिक सीमाएँ ऐतिहासिक और राजनीतिक परिवर्तनों का परिणाम हैं और अखंड भारत की भौगोलिक सीमाएँ प्राचीन काल से भिन्न हैं।

<u>राजनीतिक जटिलताएँ एवं सामाजिक जटिलताएं:</u>

संप्रभुता और शासन: एक एकीकृत राष्ट्र के भीतर, एक एकल राजनीतिक व्यवस्था बनाना बेहद जटिल होगा। प्रत्येक देश की अपनी राजनीतिक व्यवस्था और संप्रभुता है।

सत्ता संघर्ष: सत्ता संघर्ष और प्रभुत्व को लेकर देशों के बीच टकराव हो सकता है, जिससे अस्थिरता पैदा हो सकती है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध: अन्य देशों, जैसे कि चीन और अन्य वैश्विक शक्तियों के साथ संबंधों को लेकर जटिलताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

क्षेत्रीय सहयोग: अखंड भारत के बजाय क्षेत्रीय सहयोग (जैसे सार्क) अधिक यथार्थवादी दृष्टिकोण हो सकता है, जो देशों को एक साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करे।

<u>सामाजिक जटिलताएँ</u>

धार्मिक और सांस्कृतिक संघर्ष: धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेद सामाजिक तनाव और संघर्ष को बढ़ा सकते हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां धार्मिक और जातीय समूह अलग-अलग हैं।

जातीय और धार्मिक असंतोष: अखंड भारत की अवधारणा ऐतिहासिक रूप से हिंदू-केंद्रित मानी जाती है, जो अन्य धार्मिक और जातीय समूहों में असंतोष पैदा कर सकती है।

पहचान का संकट: मौजूदा राष्ट्रों की अपनी राष्ट्रीय पहचान और इतिहास है और एक नए, बड़े राष्ट्र के भीतर नई पहचान बनाना एक बड़ी चुनौती होगी।

सांस्कृतिक एकता के प्रयास: विभिन्न जातीय और धार्मिक समूहों के बीच तनाव कम करने और अधिक एकीकृत समाज को बढ़ावा देने के लिए साझा विरासत और परंपराओं पर आधारित सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देना होगा।

6. पुनः एकीकरण के वैचारिक आयाम

अखंड भारत के पुनः एकीकरण के वैचारिक आयामों में सांस्कृतिक और सभ्यता, ऐतिहासिक निरंतरता, राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण और सामाजिक लाभ शामिल हैं। इन विचारों का आधार साझा करना, विरासत और परंपराओं को पुनर्जीवित करना, राजनीतिक सीमाओं से परे सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना और उपमहाद्वीप के विकास के लिए आर्थिक और सामाजिक साझेदारी को बढ़ावा देना है।

<u>प्रमुख वैचारिक आयाम:</u>

सांस्कृतिक और सामाजिक एकता: अखंड भारत का विचार साझा इतिहास, भाषा और सांस्कृतिक विरासत पर केंद्रित है। इसके समर्थक अकसर धार्मिक त्योहारों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पारंपरिक संबंधों को बढ़ावा देने की वकालत करते हैं जैसे कि थाईलैंड में रामायण का प्रचार या मलेशिया में हिंदू मंदिरों

और त्योहारों का उत्सव।

ऐतिहासिक निरंतरता: इस विचार के अनुसार, 1947 के विभाजन ने भारत की एक लंबी और अविभाजित एकता को तोड़ दिया था। अखंड भारत का समर्थन करने वाले तर्क देते हैं कि ऐतिहासिक निरंतरता को बहाल करने से एक तरह का "ऐतिहासिक न्याय" मिलेगा।

राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण: राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण का विचार एक बड़े बाजार के निर्माण, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने और संसाधनों के अधिक प्रभावी उपयोग के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

राष्ट्रवाद और हिन्दुत्व: अखंड भारत का निर्माण, कुछ हद तक, हिन्दुत्व की अवधारणा और संगठन तथा शुद्धि के विचारों से जुड़ा हुआ है।

प्रवासी समुदाय का योगदान: अखंड भारत की अवधारणा से संबंधित व्यक्ति दुनिया भर में नेतृत्वकारी पदों पर हैं और वे अपने साथ इतिहास, संस्कृति और सहयोग की गहरी समझ लेकर आते हैं, जो वैश्विक स्तर पर साझा चुनौतियों को हल करने में मदद करता है।

विभाजन से पनपी चुनौतियां: कुछ विचारों के अनुसार, भारत के विभाजन के कारण ही पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश बने हैं। पुनः एकीकरण के विचार के समर्थक इसे एक असंभव लेकिन संभव संभावना मानते हैं, जो वर्तमान भारत से बाहर के देशों से संबंधित विचारों का भी समर्थन करता है।

अखंड भारत की अवधारणा का मूल आधार राजनीतिक नहीं, बल्कि वैचारिक एकता है। यदि भारतीय समाज पुनः अपने सांस्कृतिक मूल्यों की तरफ लौटें, तो यह एकता अपने आप सजीव हो सकती है।

वेदों में कहा गया है कि मैं एक हूँ, पर अनेक रूपों में प्रकट होता हूँ। यह वाक्य भारतीय एकात्म दर्शन का सर्वोच्च सूत्र है। भारत की भूमि पर अनेक संप्रदाय और भाषाएँ उत्पन्न हुईं, परन्तु सबमें एक ही आत्मा विद्यमान रही— वसुधैव कुटुम्बकम्। यदि यह भाव पुनः जाग्रत किया जाए, तो अखंड भारत की पुनर्स्थापना भौगोलिक नहीं तो मानसिक और सांस्कृतिक रूप में अवश्य संभव है।

आज आवश्यकता है एक ऐसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण आंदोलन की, जो जनमानस में आत्मगौरव, समानता और राष्ट्रीय एकता का संचार करे। शिक्षा, साहित्य, मीडिया और समाज — इन सब माध्यमों के द्वारा उस "भारतीय चेतना" को पुनः जीवंत किया जाना चाहिए, जो विभाजन की सीमाओं से परे है।

7. भारत की वर्तमान स्थिति और चुनौतियाँ

21वीं शताब्दी का भारत, तीव्र गति से विकास के पथ पर अग्रसर है। अर्थव्यवस्था, विज्ञान, अंतरिक्ष, तकनीक, और शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने वैश्विक पहचान स्थापित की है। किन्तु, जब हम "अखंड भारत" की संकल्पना पर दृष्टि डालते हैं, तो अनेक जटिल प्रश्न सामने आते हैं:

क्या अखंड भारत का अर्थ केवल राजनीतिक पुनः एकीकरण है?

क्या यह भावनात्मक एकता का रूपक है?

या फिर यह भारतीयता के पुनरुत्थान का प्रतीक है?

इन प्रश्नों के उत्तर तभी मिल सकते हैं, जब हम वर्तमान भारत की परिस्थितियों को गहराई से समझें। भारत में आज भी धार्मिक असहिष्णुता, प्रादेशिक असमानता, और विचारधारात्मक संघर्ष जैसी चुनौतियाँ हैं। यद्यपि, संविधान ने समानता और एकता का आदर्श दिया है, परंतु सामाजिक धरातल पर इन मूल्यों का समुचित क्रियान्वयन अभी शेष है।

राजनीतिक दृष्टि से भी क्षेत्रीय दलों का बढ़ता प्रभाव, राजनीति में धर्म और जाति का प्रयोग, राष्ट्र की अखंडता को आंतरिक रूप से प्रभावित करता है। यदि इस चेतना का पुनःनिर्माण नहीं हुआ, तो अखंड भारत केवल एक स्वप्न बनकर रह जाएगा।

अखंड भारत एक सांस्कृतिक और वैचारिक अवधारणा है, न कि वर्तमान राजनीतिक वास्तविकता। इसकी वर्तमान स्थिति यह है कि यह एक राजनीतिक लक्ष्य के रूप में विवादों को जन्म देता है, जबकि अन्य इसे सांस्कृतिक और सभ्यतागत एकता के प्रतीक के रूप में देखते हैं। इसकी मुख्य चुनौतियाँ पड़ोसी देशों से तनाव, राजनीतिक और सामाजिक जटिलताएँ और देशों की पहचान और संप्रभुता का मुद्दा हैं।

वर्तमान स्थिति:

सांस्कृतिक/वैचारिक अवधारणा: अखंड भारत एक राजनीतिक इकाई के बजाय सांस्कृतिक और वैचारिक एकता का प्रतीक है।

राजनीतिक लक्ष्य के रूप में: कुछ हिंदू राष्ट्रवादी संगठन और नेता इसे एक राजनीतिक लक्ष्य मानते हैं, खासकर जम्मू और कश्मीर के अनुच्छेद 370 हटाने के बाद।

सपना और संभावना: कुछ लोग इसे अभी भी एक सपना मानते हैं जो युवा पीढ़ी के प्रयासों से संभव हो सकता है।

मुख्य चुनौतियाँ:

राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियाँ: अखंड भारत एक जटिल राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा है क्योंकि इसमें विभिन्न देशों और उनकी अलग-अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं और पहचानों को एक करना शामिल होगा।

पड़ोसी देशों से तनाव: इस विचार से पड़ोसी देशों के साथ तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि यह उनके संप्रभुता के लिए एक खतरे के रूप में देखा जा सकता है।

पहचान का मुद्दा: यह सवाल उठता है कि क्या विभिन्न देशों के लोग, जिनकी अपनी अलग पहचान और राष्ट्रीयता है, एक साथ आने के लिए तैयार होंगे।

सांस्कृतिक और धार्मिक मतभेद: विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के बीच मतभेद हो सकते हैं, जिससे एकता और सद्भाव बनाए रखना कठिन हो जाएगा।

असुरक्षा की भावना: पाकिस्तान और अन्य देश इस विचार को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक खतरे के रूप में देख सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ सकती है।

8. समाधान के उपाय

अखंड भारत की पुनर्स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है — आत्मिक और सांस्कृतिक एकता का पुनरुत्थान। यह कार्य न तो केवल राजनीतिक साधनों से संभव है, न ही बलप्रयोग से। इसके लिए आवश्यक है एक मानसिक क्रांति — जो व्यक्ति, समाज और शासन — तीनों स्तरों पर समान रूप से कार्य करे।

(क) शिक्षा के माध्यम से एकता का संवर्धन:

भारतीय संस्कृति के गौरवशाली इतिहास और एकात्म दर्शन को विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में समुचित स्थान मिलना चाहिए। नई पीढ़ी तभी अखंड भारत के विचार का सम्मान करेगी, जब उसे अपने अतीत की गौरवगाथा का ज्ञान होगा।

(ख) सांस्कृतिक आदान-प्रदान:

भारत के सभी राज्यों और पड़ोसी देशों के मध्य सांस्कृतिक, साहित्यिक और धार्मिक मेल-जोल बढ़ाना अखंडता के भाव को मजबूत कर सकता है। योग, आयुर्वेद, संगीत और संस्कृत भाषा — ये ऐसे सूत्र हैं जो सम्पूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप को एक बंधन में बाँध सकते हैं।

(ग) राजनीतिक सद्भाव और कूटनीतिक दृष्टि:

भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ संवाद और सहयोग की नीति अपनानी चाहिए। सैन्य दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि विकास, शिक्षा और संस्कृति के माध्यम से संबंधों को प्रगाढ़ करना ही वास्तविक समाधान है।

(घ) आर्थिक सहयोग:

यदि दक्षिण एशियाई देशों के मध्य आर्थिक एकता का निर्माण किया जाए, तो यह न केवल व्यापारिक दृष्टि से लाभकारी होगा, बल्कि अखंड भारत की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा।

9. भावी संभावनाएँ

अखंड भारत की अवधारणा आज भी भारतीय जनमानस में जीवित है। यह एक सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दे सकती है, जबकि आलोचकों द्वारा इसे अव्यावहारिक और साम्राज्यवाद की ओर ले जाने वाली अवधारणा माना गया है। संभावित लाभों में आर्थिक और सैन्य लाभ शामिल हैं, लेकिन यह भी संभावना है कि यह अन्य देशों के साथ जटिल राजनीतिक चुनौतियां पैदा कर सकता हैं। इसकी संभावनाएँ एवं चुनौतियाँ निम्नांकित हो सकती हैं:

संभावनाएं:

आर्थिक लाभ: अधिक संसाधन और श्रम शक्ति के कारण भारत की अर्थव्यवस्था को लाभ हो सकता है।

सांस्कृतिक एकता: यह "एक देश, एक राष्ट्र, एक संस्कृति" की भावना को बढ़ावा दे सकता है, जिससे एक मजबूत सामाजिक एकता का निर्माण होगा।

भौगोलिक विस्तार: अखंड भारत में कई नदियाँ और संसाधन शामिल होंगे, जो देश की समृद्धि में योगदान कर सकते हैं।

चुनौतियाँ:

राजनीतिक और सैन्य: पड़ोसी देशों के साथ एकीकरण की राजनीतिक और सैन्य चुनौतियाँ बहुत बड़ी हैं, क्योंकि वे अब संप्रभु राष्ट्र हैं।

<u>साम्राज्यवाद की धारणा:</u> आलोचकों का तर्क है कि यह अवधारणा साम्राज्यवादी आकांक्षाओं को दर्शाती है, जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खारिज कर दिया गया था।

<u>जटिलताएँ:</u> यह विचार अन्य देशों की अपनी पहचान, संस्कृति और संप्रभुता को खतरा पैदा कर सकता है।

<u>वैकल्पिक विचार:</u>

यूरोपीय संघ के समान संरचना: एक विकल्प यह हो सकता है कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश यूरोपीय संघ की तरह एक साथ आएं, जहाँ प्रत्येक की अपनी सरकार हो, लेकिन एक उच्च-स्तरीय सरकार भी हो।

नैतिक कर्तव्य: भारत को एक बड़े भाई के रूप में अपने पड़ोसियों को मजबूत और बेहतर संप्रभु देश बनने में मदद करनी चाहिए, बजाय उन्हें अपने में शामिल करने के।

युवा पीढ़ियों में राष्ट्रगौरव की भावना तीव्र होती जा रही हैं। डिजिटल युग ने सीमाओं को भले ही भौगोलिक बना दिया हो, परंतु सांस्कृतिक रूप से भारत पुनः एक हो रहा है। धर्म, भाषा, कला और संगीत — इन सभी माध्यमों से आज भी पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के लोग भारतीय संस्कृति से गहरे रूप से जुड़े हुये हैं। यह सांस्कृतिक एकता ही भविष्य में अखंड भारत के बीज को पुनः अंकुरित कर सकती है। विश्व की बदलती राजनीति में जब भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, तब यह संभावना और प्रबल हो जाती है कि एक दिन यह उपमहाद्वीप आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्तर पर पुनः एकजुट होगा।

10. उपसंहार

"सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः" यह श्लोक भारत की आत्मा का परिचायक है। अखंड भारत की संकल्पना किसी आक्रामक राष्ट्रवाद का प्रतीक नहीं, बल्कि यह सामंजस्य, शांति और मानवीय एकता का प्रतीक है।

भारत का वास्तविक अखंडत्व तभी संभव होगा जब हम सीमाओं की लड़ाइयों से ऊपर उठकर अपनी अंतर-आत्मा की आवाज को सुनेंगे और यह अनुभव करेंगे कि हम और अन्य देशवासी ईश्वर की ही संतान हैं जो एक-दुसरे से भिन्न नहीं हैं। हमारी संस्कृति भले ही अलग हो परन्तु इस देश एवं अन्य देश के देशवासियों को मानव जीवन के महत्व को समझना चाहिए कि विभाजन की रेखाएँ मानचित्र पर भले ही अंकित हों, परंतु भारतीयता की भावना अब भी सबके हृदय में विद्यमान है।

अतः अखंड भारत का समाधान किसी युद्ध या समझौते में नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की उसी चेतना में है, जो कहती है — "एकं सत्, विप्रा बहुधा वदन्ति"

<u>निष्कर्ष:</u>

अखंड भारत की जटिल समस्यायों का समाधान राजनीतिक नहीं, अपितु सांस्कृतिक, वैचारिक और आध्यात्मिक है। जब तक प्रत्येक भारतवासी यह अनुभव नहीं करेगा कि वह केवल इस देश का नागरिक ही नहीं, बल्कि उस महान संस्कृति का वाहक है जिसने "वसुधैव कुटुम्बकम्" का मंत्र दिया है, तभी वास्तविक अर्थों में भारत पुनः अखंड होकर अखंड भारत की ओर अग्रसर हो सकेगा।

जलवायु परिवर्तन तथा डेल्टा क्षेत्रों का महत्व

श्री राजेश साह
वरिष्ठ लेखापरीक्षक

वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन भारत की सबसे गंभीर वैश्विक चुनौतियों में से एक है । जिसका प्रभाव पृथ्वी के सभी पारिस्थितिकी तंत्र और मानव समाज पर गहन रूप से पड़ रहा है। वैश्विक तापमान में वृद्धि, समुद्र स्तर में वृद्धि और मौसमी पैटर्न में बदलाव जैसे प्रभाव दुनिया के अनेक हिस्सों में प्रत्यक्ष रूप से देखे जा रहे हैं। एक प्रमुख कृषि प्रधान देश के रूप में भारत भी जलवायु परिवर्तन से प्रभावित है, जहाँ इसकी जीवन-शैली और अर्थव्यवस्था का एक बड़ा भाग मानसून पर ही निर्भर है। जलवायु परिवर्तन से तात्पर्य तापमान और मौसम के पैटर्न में दीर्घकालिक बदलावों से है। ये बदलाव प्राकृतिक हो सकते हैं, जैसे सूर्य की गतिविधि में परिवर्तन या बड़े ज्वालामुखी विस्फोट। लेकिन 1800 के दशक से, मानव गतिविधियाँ जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण रही हैं । मुख्यतः कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों के जलने के कारण। जीवाश्म ईंधन जलाने से ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है जो पृथ्वी के चारों ओर लिपटे कंबल की तरह काम करती हैं तथा सूर्य की गर्मी को रोककर तापमान बढ़ाती हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख ग्रीनहाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन शामिल हैं। उदाहरण के लिए, कार चलाने के लिए गैसोलीन या ईमारतों को गर्म करने के लिए कोयले के उपयोग से ये गैसें उत्पन्न होती हैं। कृषि, तेल और गैस उत्पादन मीथेन उत्सर्जन के प्रमुख स्रोत हैं। ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, भवन निर्माण और भूमि उपयोग ग्रीनहाउस गैसों के मुख्य प्रदूषकों में से हैं। ये बदलाव जलवायु परिवर्तन के प्रत्यक्ष परिणाम हैं, जिनका गंभीर असर देश के डेल्टा क्षेत्रों पर भी पड़ रहा है।

वर्तमान में, भारत में भारी वर्षा की आवृत्ति में वृद्धि, मानसून की अस्थिर स्थिति और बाढ़ जैसी आपदाओं में वृद्धि देखी जा रही है। डेल्टा क्षेत्र अपनी विशेष भौगोलिक संरचना, समुद्र से निकटता और नदियों के संगम की वजह से प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। समुद्र स्तर में बढोतरी, मानसून की अनियमितता और भारी वर्षा की तीव्रता जैसे जलवायु कारक इन क्षेत्रों में बाढ़ के जोखिम तथा खतरों को बढ़ाते हैं। इसके साथ ही मानवीय हस्तक्षेप (जैसे नगरीकरण), नदी संरक्षण की कमी, बांधों का असंतुलित निर्माण एवं पारिस्थितिक तंत्र का क्षरण इस संवेदनशीलता को और तीव्र करते हैं। डेल्टा क्षेत्र नदियों के मुहाने पर स्थित होते हैं जहाँ नदी का मीठा जल समुद्र में मिलता है। भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, महानदी, गोदावरी और कावेरी जैसे प्रमुख डेल्टा क्षेत्र मौजूद हैं, जिनका भौगोलिक, आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत महत्त्व है।

भारत के प्रमुख डेल्टा क्षेत्रों के भौगोलिक एवं सामाजिक-आर्थिक महत्व : ये डेल्टा क्षेत्र न केवल देश की खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण आजीविका और पारंपरिक जीवनशैली के आधार हैं, बल्कि भौगोलिक रूप से संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र भी हैं। भारत की प्रमुख नदियाँ अपने प्रवाह के अंतिम चरण में समुद्र में मिलने से पूर्व विशाल मात्रा में तलछट जमा कर विस्तृत, उपजाऊ और जटिल डेल्टा क्षेत्रों का निर्माण करती हैं। जलवायु परिवर्तन, भारी वर्षा और समुद्र स्तर में वृद्धि के कारण ये क्षेत्र विभिन्न पर्यावरणीय एवं सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

प्रमुख डेल्टा क्षेत्र:

गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना डेल्टा :

सुंदरबन का क्षरण जैविक असंतुलन और मानव विस्थापन को बढ़ावा दे रहे है। जैव-विविधता से भरपूर यह डेल्टा क्षेत्र भारत (पश्चिम बंगाल) और बांग्लादेश में विस्तृत है। इसकी सबसे विशिष्ट विशेषता सुंदरबन के मैंग्रोव वन हैं, जो वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक तटीय बफ़र के रूप में कार्य करते हैं। इस क्षेत्र में धान, जूट एवं गन्ने की खेती, मत्स्य पालन और मधु संग्रहण आजीविका के प्रमुख स्रोत हैं। उच्च जनसंख्या घनत्व, समुद्र जलस्तर में वृद्धि और चक्रवातों की तीव्रता के कारण यह क्षेत्र अत्यधिक जोखिमग्रस्त तथा खतरों वाला हो चुका है।

गोदावरी डेल्टा :

यह क्षेत्र आधुनिक सिंचाई प्रणालियों और नहर नेटवर्क से समृद्ध है, जिससे कृषि पर निर्भरता और भी बढ़ गई है। आंध्र प्रदेश में स्थित यह डेल्टा क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। यहाँ धान, गन्ना, मिर्च और तंबाकू की व्यापक खेती होती है। मछली पकड़ना और कुटीर उद्योग ग्रामीण जीवन का अभिन्न अंग हैं, लेकिन तटीय कटाव और जलवायु परिवर्तन से प्रेरित बाढ़ यहाँ की स्थिरता के लिए चुनौती तथा समस्या बन रहे हैं।

कृष्णा डेल्टा

विजयवाड़ा से मछलीपट्टनम तक विस्तृत यह क्षेत्र उपजाऊ जलोढ़

मिट्टी, विस्तृत सिंचाई नेटवर्क और घनी बस्तियों के लिए प्रसिद्ध है। कृष्णा नदी द्वारा निर्मित यह डेल्टा क्षेत्र धान उत्पादन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर महत्त्व रखता है। जलवायु परिवर्तन के कारण असमय वर्षा, समुद्री तूफानों की तीव्रता और खारे पानी के प्रवेश की घटनाएँ बढ़ रही हैं, जो दीर्घकालिक कृषि उत्पादकता के लिए खतरा उत्पन्न कर रही हैं। कृषि के अतिरिक्त मछली पालन, डेयरी और कुटीर उद्योग यहाँ के आर्थिक तंत्र को सहारा देते हैं जिससे यहाँ के लोगों को जीवन यापन में मदद मिलता रहता हैं।

<u>कावेरी डेल्टा :</u>

यह तंजावुर, तिरुचिरापल्ली और नागपट्टिनम जैसे ज़िलों में विस्तृत है और ऐतिहासिक रूप से चोल वंश की सिंचाई व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध रहा है। तमिलनाडु के पूर्वी तट पर स्थित यह डेल्टा क्षेत्र 'दक्षिण भारत का धान्य भंडार' कहलाता है। यहाँ चावल, गन्ना, नारियल और केले की बहुत खेती होती है। अत्यधिक कृषि निर्भरता के कारण यहाँ की आर्थिक विविधता सीमित है, जिससे जलवायु संकट की स्थिति में जोखिम और बढ़ जाता है।

<u>महानदी डेल्टा :</u>

यह क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से सपाट और समुद्र के समीप होने के कारण बार-बार बाढ़ से प्रभावित होता है। जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ चक्रवातों की आवृत्ति एवं तीव्रता में वृद्धि देखी गई है, जिससे फसल क्षति, विस्थापन और स्वास्थ्य संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ओडिशा राज्य के कटक, पुरी और केंद्रपाड़ा ज़िलों में विस्तृत यह डेल्टा क्षेत्र पारंपरिक रूप से धान, तिलहन और दलहन की खेती के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही नदी एवं खाड़ी मत्स्य पालन स्थानीय आजीविका का अंग है।

अन्य डेल्टा: नर्मदा, ताप्ती और माही :

पश्चिम भारत की ये सभी नदियाँ संकीर्ण घाटियों से होकर समुद्र में गिरती हैं, जिससे अपेक्षाकृत छोटे और सीमित डेल्टा क्षेत्रों का निर्माण होता है। भले ही इनका आकार छोटा हो, फिर भी ये क्षेत्र औद्योगिक गतिविधियों, शहरीकरण और समुद्री मत्स्यग्रहण के कारण सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं।

<u>जलवायु परिवर्तन तथा भारी वर्षा होना :</u>

IPCC की छठी मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण एशिया में मानसून पहले की तुलना में कम पूर्वानुमान योग्य होता जा रहा है। पारंपरिक 'समान वितरण' के बजाय वर्षा अब अधिक केंद्रित, अनियमित और असंतुलित हो गई है, जिससे मौसम चक्र का संतुलन भी प्रभावित हो रहा है। IMD के विश्लेषण के अनुसार, विशेष रूप से वर्ष 2000 के बाद भारत के कई हिस्सों में 24 घंटे की अवधि में होने वाली भारी वर्षा की घटनाओं में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। यह प्रवृत्ति विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों, तटीय राज्यों और डेल्टा क्षेत्रों में अधिक स्पष्ट रही है। ऐसी वर्षा प्रायः एक लघु समयांतराल में प्रकट होती है, जिससे बाढ़, जलजमाव, मिट्टी का कटाव और फसल क्षति जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। यह न केवल पारिस्थितिकीय संतुलन को बाधित करता है बल्कि मानव स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और आपदा जोखिम को भी गहरा करता है।

असमान मानसूनी वितरण: अतिवृष्टि और सूखे का होना :

वैसे क्षेत्र जो पहले निरंतर कृषि और स्थिर जल आपूर्ति के लिए जाने जाते थे, अब अस्थिर जल उपलब्धता और फसल असफलता के संकट से जूझ रहे हैं। वर्तमान परिदृश्य में एक ओर जहाँ कुछ क्षेत्रों में लगातार अतिवृष्टि हो रही है, वहीं कुछ अन्य क्षेत्र दीर्घकालिक सूखे का सामना कर रहे हैं। 'वैकल्पिक चरम स्थितियों' का यह परिदृश्य डेल्टा क्षेत्रों में विशेष रूप से गंभीर होता जा रहा है।

समुद्र स्तर वृद्धि और तटीय जोखिम का होना :

अन्य रिपोर्टों और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के आकलनों के अनुसार, बीते सौ वर्षों में समुद्र का स्तर औसतन 20 से 25 सेंटीमीटर तक बढ़ा है और वर्तमान रुझानों के अनुसार यह दर तेज़ हो रही है। जलवायु परिवर्तन ने एक और गंभीर प्रभाव डाला है, जो वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि के रूप में प्रकट हुआ है और जिसके कारण डेल्टा क्षेत्रों के लिए एक प्रत्यक्ष एवं अस्तित्वगत संकट पैदा हुआ है। इसका सीधा प्रभाव गंगा-ब्रह्मपुत्र और महानदी जैसे डेल्टा क्षेत्रों पर देखा जा रहा है । जहाँ तटीय कटाव, खारे जल का प्रवेश और बाढ़ की आवृत्ति में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है। समुद्र स्तर में वृद्धि न केवल स्थानीय जैव विविधता को नष्ट कर रही है बल्कि तटीय आबादी के स्थायी विस्थापन की आशंका भी बढ़ा रही है। जिससे लोगों को अनेक तरह की मश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

चक्रवातों की तीव्रता और बढ़ती विनाश :

भारत में हाल के वर्षों में आए चक्रवात, जैसे फजी (2019), अम्फान (2020), यास (2021) और मोचा (2023) ने न केवल आर्थिक दृष्टि से भारी क्षति पहुँचाई, बल्कि लाखों लोगों को विस्थापन के लिए भी मजबूर किया। जलवायु परिवर्तन के कारण बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में समुद्री सतह का तापमान बढ़ रहा है, जिससे चक्रवातों की ऊर्जा, तीव्रता और जीवनकाल में बढोतरी हो रही है। वैज्ञानिक प्रमाण दर्शाते हैं कि समुद्र की गर्म सतह अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिससे चक्रवात अधिक तेज़ी से विकसित होते हैं और अधिक खतरनाक साबित होते हैं।

वर्तमान नीतियाँ, योजनाएँ और प्रबंधन का प्रयास :
भारत में डेल्टा क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन और बाढ़ जोखिम को कम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई नीतिगत और प्रबंधन के प्रयास किए जा रहे हैं।

सरकारी नीतियाँ :

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत बाढ़ के जोखिम को कम करने, पूर्व-चेतावनी प्रणाली विकसित करने और राहत कार्यों को प्रभावी बनाने के लिए योजनाएँ तैयार की गई हैं। राष्ट्रीय जल नीति, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा-निर्देश एवं तटीय सुरक्षा नीति प्रमुख हैं। राष्ट्रीय जल नीति में जल संरक्षण, जल संसाधन प्रबंधन और सतत् विकास पर बल दिया गया है, जो डेल्टा क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण साबित हुआ है।

जलवायु अनुकूलन तथा आपदा जोखिम में कमी के कार्यक्रम संबंधी:

आपदा जोखिम कम करने के लिए स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में शहरी जल निकासी को बेहतर बनाने और जल संचयन प्रणालियों को स्थापित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार ने 'राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना' के तहत डेल्टा क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इस योजना के अंतर्गत मैंग्रोव संरक्षण, तटीय बाढ़ अवरोध का निर्माण और पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्स्थापना जैसे कदम शामिल हैं।

स्थानीय स्तर पर तकनीकी उपाय संबंधी:

तकनीकी उपायों में बाढ़ पूर्व-चेतावनी प्रणाली, जी आई एस एवं रिमोट सेंसिंग आधारित मॉनिटरिंग और ड्रोन सर्वेक्षण शामिल हैं। 'सामुदायिक आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन' कार्यक्रम इसके उदाहरण हैं। डेल्टा क्षेत्र की सुरक्षा में स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ाई जा रही है। इसके तहत स्थानीय लोगों को आपदा तैयारी, बचाव और पुनर्वास की शिक्षा दी जाती है जिससे बहुत से लोगों के जान माल के नुकसान होने से बच जाते हैं।

क्षेत्रीय जल प्रबंधन और संरक्षण:

डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि ये प्राकृतिक बाढ़ अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं। मैंग्रोव पुनरुद्धार से तटीय कटाव को कम करने में मदद मिलती है। बांध, बैराज और जलाशयों के प्रबंधन में सुधार के लिए विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रभावी बचाव रणनीतियाँ और सुझाव

जल निकासी तथा बाढ़ नियंत्रण के लिए तकनीकी उपाय:

जल निकासी तथा बाढ़ नियंत्रण के लिए तकनीकी उपाय द्वारा डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण के लिए उन्नत जल निकासी प्रणालियाँ विकसित की जानी चाहिये। ये शहरों और ग्रामीण इलाकों में जलभराव रोकने में मदद करती हैं। इसके लिए बहु-स्तरीय जल निकासी नेटवर्क, फ्लड-प्रूफ निर्माण, जलाशय आदि का निर्माण महत्त्वपूर्ण है। नदी तटबंधों, बांधों और नहरों की नियमित देख-रेख एवं सुधार से बाढ़ के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसके साथ ही जल प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीकों, जैसे जी आई एस, रिमोट सेंसिंग और मौसम पूर्वानुमान मॉडल का उपयोग आवश्यक है जिससे लोगों को राहत मिल सके।

प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण :
मैंग्रोव वन एवं दलदली क्षेत्र डेल्टा पारिस्थितिकी के प्राकृतिक बफ़र हैं जो तटीय कटाव को रोकते हैं और बाढ़ के प्रभाव को कम करते हैं। इनके विनाश को रोकने के लिए विशेष कड़े नियम लागू किए जाने चाहिए और स्थानीय समुदायों को संरक्षण में वृहत् रूप से शामिल किया जाना चाहिए। इन प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और पुनर्स्थापन जलवायु परिवर्तन के प्रति डेल्टा क्षेत्रों की सुरक्षा में केंद्रीय भूमिका निभाता है।

कृषि प्रणालियों में जलवायु-प्रतिरोधी सुधार :
इस परिदृश्य में जलवायु-प्रतिरोधी कृषि तकनीकों को अपनाना आवश्यक है। इसमें जल-संवेदनशील फसलें, सूखा एवं बाढ़ प्रतिरोधी क़िस्म, बहु-फसली प्रणाली और सूक्ष्म सिंचाई तकनीकें शामिल हैं। डेल्टा क्षेत्रों में कृषि आधारित आजीविका प्रमुख है। इसके साथ ही जैविक खेती और मृदा संरक्षण के उपाय भी अपनाने चाहिये, ताकि भूमि की उर्वरता बनी रहे और फसल की पैदावार भी अधिक मात्रा में हों।

आपदा तैयारी, चेतावनी प्रणाली तंत्र :

पूर्व-चेतावनी प्रणालियाँ, मोबाइल आधारित अलर्ट और स्थानीय स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया टीमों का गठन आवश्यक है। जलवायु आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए आपदा तैयारी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम, नियमित आपदा ड्रिल और बचाव संसाधनों की उपलब्धता से प्रतिक्रिया समय को कम किया जा सकता है।

सामाजिक सुरक्षा और पुनर्वास योजनाएँ :

सामाजिक सुरक्षा और पुनर्वास योजनाओं के तहत, बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क विकसित करना आवश्यक है। इसमें बीमा योजनाएँ, आपदा राहत कोष, रोज़गार और पुनर्वास कार्यक्रम शामिल हैं। विशेष रूप से कमज़ोर वर्गों जैसे- महिला, बच्चे और वृद्धों के लिए लक्षित योजनाएँ बनानी चाहिये, ताकि वे आपदा के बाद त्वरित रूप से पुनःस्थापित हो, जिससे कठिन समस्याओं से राहत मिल सके।

नीति सुधार और दीर्घकालिक सतत् विकास मॉडल:

दीर्घकालिक दृष्टि से स्मार्ट सिटी, हरित ऊर्जा और पारिस्थितिक तंत्र आधारित प्रबंधन को प्राथमिकता देना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। जिसमें राज्य और केंद्र सरकार के बीच बेहतर समन्वय तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी आवश्यक होना चाहिए। नीति स्तर पर जलवायु प्रभावों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय विकास योजना का प्रभावी प्रबंधन आवश्यक होना चाहिए, जिसमें आर्थिक विकास पर्यावरण सुरक्षा और सामाजिक समरसता का संतुलन सुनिश्चित किया जा सके।

धन्यवाद।

प्रशंसा पत्र

Admn/रा.भा./05(671)/2022-23 I/1207197/2025

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), लखनऊ
तृतीय तल, ऑडिट भवन, टीसी–35–वी–1,
विभूति खंड, गोमती नगर,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226 010

Office of the Principal Director of Audit (Central), Lucknow
IIIrd Floor, Audit Bhawan, TC-35-V-1,
Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow, Uttar Pradesh - 226 010

पत्रांक सं.: प्र.म.नि.(के.)/प्रशासन/रा.भा.हि./फा.सं. 82047/2025-26/I/1207197/2025 दिनांक:21-11-2025

सेवा में,

सहायक निदेशक (रा.भा.)

प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा) का कार्यालय

झारखंड, राँची-834002

विषय – अर्ध-वार्षिक हिंदी पत्रिका "उदयाचल" के 43वें अंक की ई-प्रति के सम्बन्ध में।

आदरणीय महोदय/महोदया,

आपके कार्यालय द्वारा प्रेषित अर्ध-वार्षिक हिंदी पत्रिका "उदयाचल" के 43वें अंक की ई-प्रति प्राप्त हुई है। एतदर्थ धन्यवाद | पत्रिका के माध्यम से राजभाषा हिंदी के सृजनात्मक उत्थान हेतु आपके कार्यालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किया गया प्रयास अति सराहनीय है |

पत्रिका का यह अंक साज-सज्जा एवं मुद्रण स्पष्टता के कारण बहुत ही आकर्षक एवं मनोहारी बन पड़ा है साथ ही पत्रिका में समाविष्ट सभी रचनाएं प्रशंसनीय हैं विशेष तौर पर **"अधूरी किताब"**, **"ख़ामोशी- एक संवाद"** एवं **"पैदाइशी मिडिल क्लास"** सारगर्भित एवं सराहनीय हैं| पत्रिका की साज-सज्जा उत्तम है। कार्यालयीन चित्रों ने पत्रिका की सुंदरता को और निखारा है। पत्रिका के प्रकाशन हेतु संपादक मंडल एवं रचनाकारों का हार्दिक अभिनन्दन एवं शुभकामनाएँ ।

भवदीय,

Digitally signed by
Rajesh Kumar Swyambhu
Date: 21-11-2025
10:07:53

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी /प्रशासन

Phone: 0522-2970789, 2989000 Fax: 0522-2970780 Email: pdaclucknow@cag.gov.in

---

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय
सिक्किम, लेखापरीक्षा भवन, देवराली
गान्तोक 737 102

Office of the Accountant General
(Audit), Sikkim, Lekha Pariksha
Bhawan, Deorali, Gangtok- 737 102

संख्या: Admn(Audit)/Publicationsofotheroffices/2022-23/384
दिनांक: 30 OCT 2025

सेवा में,
सहायक निदेशक (राजभाषा),
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय,
झारखण्ड, राँची – 834002

विषय: कार्यालय की हिंदी ई-पत्रिका "उदयाचल" के 43वें अंक की पावती के सम्बन्ध में |

महोदय/महोदया,

हम आपके कार्यालय द्वारा भेजी गई हिंदी पत्रिका "उदयाचल" के 43वें अंक के लिए आभार और प्रशंसा व्यक्त करते हैं।

पत्रिका की साज-सज्जा सुंदर और आकर्षक है। पत्रिका में प्रकाशित सभी लेख अत्यंत रोचक, प्रशंसनीय और ज्ञानवर्धक हैं। विविध लेख पत्रिका को और भी रोचक बनाते हैं। कुछ लेख अत्यंत प्रेरक, कुछ विचारोत्तेजक और हल्के फुल्के हैं |

हम कामना करते हैं कि आपकी पत्रिका निरंतर विकसित होती रहे और इसकी गुणवत्ता प्रतिदिन नई ऊँचाइयों को छुए।

एक बार पुनः धन्यवाद एवं शुभकामनाएँ |

यह पत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

भवदीय,

तुलसी

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन

Phone: (03592) 280614 E-mail: agausikkim@cag.gov.in

सं.लेप.II(हिंदीकक्ष)/पत्रिका/2023-24 I/1177616/2025

महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) का कार्यालय
केरल, तिरुवनंतपुरम - 695 001

OFFICE OF THE
ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-II)
KERALA, THIRUVANANTHAPURAM - 695 001

सं.लेप.II/हिंदी कक्ष/ पत्रिका/2025-26 दिनांक :29-10-2025

सेवा में,
सहायक निदेशक (राजभाषा)
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा),
झारखंड, रांची

विषय:- पत्रिका की पावती – बाबत्

महोदय,

आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित छमाई राजभाषा पत्रिका"उदयाचल" के 43वें अंक की ई-प्रति प्राप्त हुई, सहस्त्र धन्यवाद । पत्रिका में समाहित सामग्री ज्ञानवर्धक एवं सराहनीय है । सार्थक सामग्री के चयन हेतु बधाई ।

पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाएँ रोचक, मनोरंजक एवं लाभप्रद हैं विशेषकर, श्री अजित कुमार तिवारी द्वारा रचित 'पैदाइशी मिडिल क्लास', श्री अमर आनंद मिंज द्वारा रचित 'कच्ची मिट्टी' श्री कुंदन कुमार द्वारा रचित 'सिंदूर' तथा सुश्री रीचा कुमारी द्वारा रचित कविता 'अधूरी किताब' अत्यंत सराहनीय हैं । पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए संपादक मंडल को बधाई एवं शुभकामनाएँ ।

भवदीया,

Digitally signed by
A M Bhadrambika
Date: 29-10-2025
11:11:22

सहायक निदेशक (राजभाषा)

दूरभाष / Telephone :0471 – 2330899 ई-मेल / e-mail : agaukerala2@cag.gov.in फैक्स / Fax – 0471-2332022
वेबसाइट / Website : https://cag.gov.in/ag2/kerala/en

प्रधान महालेखाकार (ले०&ह०) का कार्यालय
बीरचंद पटेल पथ,
पटना, बिहार - 800001

OFFICE OF THE PRINCIPAL
ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
BIRCHAND PATEL PATH
PATNA, BIHAR - 800001

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

पत्रांक/Letter No.:- हिं.अ./ले. व हक./5/पत्रिका प्रतिभाय/25-26/92
दिनांक/Date:- 07.11.2025

सेवा में,
सहायक निदेशक (राजभाषा),
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय,
झारखण्ड, राँची

विषय: राजभाषा गृह पत्रिका "उदयाचल" के 43वें अंक (अर्ध-वार्षिक) की अभिस्वीकृति एवं प्रतिक्रिया।

महोदय/महोदया,

आपके कार्यालयीन हिंदी पत्रिका "उदयाचल" के 43वें अंक ई-मेल के द्वारा प्राप्त हुआ। पत्रिका का आवरण पृष्ठ अत्यंत मनोरम है। साथ ही पत्रिका का प्रस्तुतीकरण एंव साज-सज्जा अत्यंत ही प्रभावशाली है। पत्रिका में सम्मलित सभी रचनाएँ पठनीय एंव उत्कृष्ट हैं; विशेषकर, निम्नलिखित रचनाकारों की रचनाएं अत्यधित प्रशंसनीय हैं :-

क्रम सं.	रचनाएँ	रचनाकार (सर्व श्री/श्रीमती)
1.	स्वर्ग - सा पहाड़	शम्भू शरण भारती
2.	अधूरी किताब	रीचा कुमारी
3.	पैदाइशी मिडिल क्लास	अजीत कु. तिवारी
4.	माँ-बापः ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप	अमित कुमार रवि
5.	हिंदी फिल्मों का सामाजिक प्रभावः स्त्री दशा के परिप्रेक्ष्य में	इंद्र कुमार झा

आशा है कि यह पत्रिका राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के साथ कार्यालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की हिंदी मौलिक लेखन प्रतिभा को बढ़ावा देने में प्रेरक की भूमिका निभाएगी। पत्रिका के श्रेष्ठ संकलन हेतु संपादक मंडल बधाई का पात्र है। पत्रिका इसी प्रकार निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर रहे, यही हमारी शुभकामना है।

भवदीय,

Digitally signed by
SUNIL KUMAR
Date: 07-11-2025
17:55:26

सहायक निदेशक (राजभाषा)

Phone: 0612-2225634 Fax: 0612-2221056 Email: ageebihar@cag.gov.in

हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह की झलकियाँ

हिंदी कार्यशाला में व्याख्यान देते अतिथि वक्ता
श्री मनोज सिंह, कनिष्ठ अधीक्षक, राजभाषा (गेल)

हिंदी कार्यशाला में व्याख्यान देती उप महालेखाकार महोदया

हिंदी पखवाड़ा प्रतियोगिता 2025 की झलकियाँ